ग्रामीण विकास
को समर्पित

कुरुक्षेत्र

वार्षिक मूल्य : 70 रुपये

वर्ष 52 अंक : 9 | जुलाई 2006 | मूल्य : 7 रुपये

बढ़ती जनसंख्या : वर्तमान और भविष्य

भारत में बढ़ती जनसंख्या : समस्या एवं निदान

बढ़ती जनसंख्या - राष्ट्र विकास में बाधक

बढ़ती आबादी की चुनौतियां

जनसंख्या विस्फोट

औषधीय पौधों की लाभकारी खेती

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

भारत में अनुबंधित खेती

माइक्रो सिंचाई प्रणाली

आदिवासी महिला रोजगार में क्रांतिकारी कदम

लघु उद्योगों के अस्तित्व पर गहराता संकट

समता और सामाजिक न्याय के अग्रदूत

"मैं एक ऐसा आदर्श समाज चाहता हूं जो
स्वतंत्रता, समता और बंधुता पर आधारित हो।"
-डॉ. भीमराव अम्बेडकर

कृतज्ञ राष्ट्र भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर
का उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक
स्मरण करता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

davp 2006/25

KH-07/06/02

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 52 ● अंक : 9 ● पृष्ठ : 48

आषाढ़–श्रावण 1928

जुलाई 2006

सपादक

स्नेह राय

संपादकीय पत्र–व्यवहार

संपादक, कुरुक्षेत्र
कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014
तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : dpd@sh.nic.in dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)

एन.सी. मजुमदार

व्यापार प्रबंधक

जगदीश प्रसाद

दूरभाष : 26105590,
फैक्स : 26175516

आवरण

संजीव सिंह

सज्जा

रजनी दवे

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

बढ़ती जनसंख्या : वर्तमान और भविष्य
प्रांजल धर
पृ. 4–6

भारत मे बढ़ती जनसंख्या : समस्या एवं निदान
रवींद्र नाथ ओझा
पृ. 7–10

बढ़ती जनसंख्या - राष्ट्र विकास में बाधक
राकेश शर्मा "निशीथ"
पृ. 11–12

प्रगति के लिए आवश्यक है आबादी में संतुलन
मनोहर पुरी
पृ. 13

जनसंख्या शिक्षा आर्थिक विकास में सहायक
चंदेश्वर यादव
पृ. 15–16

बढ़ती आबादी की चुनौतियां
प्रतापमल देवपुरा
पृ. 17–19

जनसंख्या स्थिरीकरण में शिक्षित महिलाओं की भूमिका
दयाशंकर सिंह यादव
पृ. 20–21

जनसंख्या विस्फोट
अवधेश कुमार मिश्र
पृ. 22–23

स्त्री के हाथ जनसंख्या नियंत्रण
मीनाक्षी सिन्हा
पृ. 24

औषधीय पौधों की लाभकारी खेती
अर्चना सूद
पृ. 25–27

राष्ट्रीय बागवानी मिशन
पृ. 28–29

भारत में अनुबंधित खेती
नीरज कुमार वर्मा
पृ. 30–31

माइक्रो सिंचाई प्रणाली
सुरेंद्र सिंह चौधरी
पृ. 32

हरित क्रांति के असंतुलन को दूर करने के उपाय
रमेश कुमार दुबे
पृ. 33–34

राष्ट्रीय सेवा योजना संगठन की ग्रामीण विकास में भूमिका
रामनिवास यादव
पृ. 35–37

आदिवासी महिला रोज़गार में क्रांतिकारी कदम
बी.के. द्विवेदी, दयाशंकर श्रीवास्तव
तथा रवीन्द्र प्रकाश पाण्डेय
पृ. 38–39

लघु उद्योगों के अस्तित्व पर गहराता संकट
अनिता मोदी
पृ. 40–41

चित्रकार से काष्ठ शिल्पी तक का सफर
ओम प्रकाश कादयान
पृ. 42–43

तीखी पर बहुपयोगी है मिर्च
सुनील कुमार 'प्रियबच्चन'
पृ. 44

स्वच्छता अभियान का नायक - ग्राम बछोड़ा
मधुकर पवार
पृ. 45–46

स्वास्थ्य देखभाल की किफायती पारंपरिक पद्धतियां
पृ. 47–48

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

मत–सम्मत

मई दिवस के परिप्रेक्ष्य में प्रकाशित 'कुरुक्षेत्र' के श्रम–आधारित विशेषांक के लिए कुरुक्षेत्र–टीम को कोटि–कोटि धन्यवाद। साथ ही उन तमाम दिवंगत श्रमिक नेताओं को मेरी ओर से नम्र श्रद्धांजलि, जो श्रमिकों के सार्वजनिक हित हेतु अपना बहुमूल्य जीवन, उच्चतम आदर्शों के शरणागत, होम कर गए। व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि श्रमिक–शोषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारी सरकार है, जो उन्हें जीवन जीने के न्यूनतम साधन भी उपलब्ध नहीं कराती।

संजीव भाई पटेल, वाराणसी

ग्रामीण विकास में सतत् संलग्न कुरुक्षेत्र का मई 2006 का श्रम आधारित अंक प्राप्त हुआ। जिस के सभी लेख ज्ञानदायक थे। आशुतोष शुक्लजी का लेख जहां श्रम और श्रमिक इतिहास का विवेचन करता है तो ऋतु सारस्वतजी का लेख बालश्रमिकों की पीड़ा का हृदयस्पर्शी मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करता है और बाल श्रम को रोकने के विभिन्न कानूनों का विवेचन अच्छा प्रयास है। एम.एल. धर का लेख अखिलेश आर्येन्दु, नीरज दूबे और तृप्ति दूबे का लेख सराहनीय हैं। इन सभी रचनाकारों ने अपने लेखों के द्वारा संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं को सटीक तरीके से उजागर किया है। चाहे शिक्षा हो, उनसे संबंधित कानून हो या बंधुआ मजदूरों की समस्या हो, उनका समाधान और सुझावों से हम सभी को अवगत कराया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि श्रमिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं शिक्षित किया जाय और उनके उत्थान से संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू किया जाय। अगर देश का श्रमिक खुशहाल होगा तो श्रम उत्पादक होगा, श्रम के उत्पाद होने से देश में वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा। जिसको श्रम और श्रमिक प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा और देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सकेगा। वही निशीथजी का लेख नेत्रदान–महादान, नेत्रदान से संबंधित भ्रांतियों को दूर करता है और नेत्रदान के द्वारा लोगों की अंधेरी दुनिया को प्रकाशित करने की प्रेरणा देता है।

हरि मोहन त्रिपाठी टीपू, कानपुर

कुरुक्षेत्र का मई– 2006 अंक पढ़ा। अखिलेश आर्येन्दुजी द्वारा लिखित लेख "बाल–श्रमिकों" की स्थिति समस्या और समाधान पढ़ा। बाल श्रमिकों की स्थति, समस्या.... तक तो बात समझ में आयी किंतु समाधान समझ के बाहर हो गया। बाल श्रम कानून को चाहे जितना सख्त बनाया जाये बाल श्रम पर रोक नहीं लगेगी। केवल एक गांव को चुन करके बालश्रम पर रोक लगाने के लिए सर्वप्रथम उस बच्चे के पूरे परिवार को भोजन की व्यवस्था करनी होगी। उस परिवार को ऐसा काम दिया जाये जिससे कि वह अपने भोजन एवं दवा आदि की व्यवस्था कर सके। परिषद प्राथमिक विद्यालयों में चलायी जा रही विद्यालयों में चलायी जा रही मिड–डे–मील योजना किस तरह से चल रही है? रेडियो, टेलीविजन, पत्र–पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती रहती है। बाल श्रमिकों पर चिंता व्यक्त करने वाले अधिकारी, कर्मचारी एवं जन सेवक जिस होटल में रुकते हैं उनकी सेवा करने वालों में अधिकतम बाल–श्रमिक ही होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकारों की हिमायत करने वाले सभी कार्यालयों में चाय आदि बच्चे ही पहुंचाते हैं। लोग यही चाहते हैं कि उनका घरेलू नौकर बच्चा हो।

असित कुमार सिंह, सुल्तानपुर (उ.प्र)

कुरुक्षेत्र किसानों को खेती के लिए नये तरीके, विकास योजनाओं की जानकारी, स्वास्थ्य उपचार के साथ–साथ महिलाओं को लाभदायक योजनाओं की जानकारी देती है। आज पूर्णिया जिला के जयनगर के किसान जहां दस, पन्द्रह मन के बीघा मकई फसल उगाते थे, आज वे अस्सी मन के बीघा उपजाने लगे हैं। आज उनके पास क्या नहीं है? ट्रैक्टर, थ्रैशर, पंपसेट, बोरिंग सभी खेतों में लगे हुए हैं तथा नई जानकारी भी प्राप्त करने में सक्रिय रहते हैं। 'कुरुक्षेत्र' निर्भीक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रिका रहने पर भी इसकी कीमत इस लिए कम रखी गयी है जिससे किसानों के हौसले बढ़े और वे खेती कर आत्मनिर्भर बनें।

डा. नामेश्वर प्रसाद जायसवाल जिला पूर्णिया, बिहार

सामाजिक सरोकार से जुड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर तथ्यात्मक प्रस्तुति का वाकई आपका कोई जबाव नहीं खेलने–कूदने के और उत्साहित जीवन जीने की उम्र में इन बच्चों का इन कल–कारखानों में बचपन गंवाना वाकई भारत जैसे देश के लिए बड़ी शर्म की बात है क्योंकि अंग्रेजी राज में भी बालश्रम की कुप्रथा थी लेकिन आजादी के बाद भी हम इस बुराई को नही हटा सके। देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्व. जवाहरलाल नेहरू ने भी बच्चों के प्रति जो भाव जताया था वही वर्तमान राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम ने भी बच्चों की वर्तमान स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए बच्चों के कल्याण में जुड़ी संस्थाओं को भी निष्ठा के साथ आगे आने का आहवान किया है जो स्वागत योग्य है। आपका यह विचारोत्प्रेरक अभियान यूं ही बरकरार रहे बस यही कामना है।

छैल बिहारी शर्मा इंद्र, उ. प्र.

'कुरुक्षेत्र' मई 2006 (पृष्ठ 13) इंडस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 80 हजार बालश्रमिकों का पुनर्वास की पूरी योजना को पढ़ा। वास्तव में यह एक कल्याणकारी योजना है। लेकिन जैसा कि हमारी सभी योजनाओं में होता है इस योजना में भी मूल समस्या की अनदेखी की गई है अतः इस योजना का पैसा भी कूड़ेदान में जाएगा। इस देश में शिक्षित बेरोजगारों की भीड़ वैसे ही बढ़ रही है, उनमें 80 हजार की वृद्धि के अलावा आप क्या करेंगे' पूरी योजना में पैसा कमाने पर एक शब्द भी नही है। ऐसी निरर्थक योजनाओं से देश का क्या भला होगा।

ठाकुर सोहन सिंह भदौरिया, बीकानेर

मैं कुरुक्षेत्र पत्रिका का नियमित प्राठक हूं मैं इसे दो वर्षों से लगातार पढ़ रहा हूं। इस पत्रिका ने मुझे बहुत ही ज्ञानवान बना दिया है इसके लिए मैं कुरुक्षेत्र पत्रिका का सदा अभारी रहूंगा। यह पत्रिका ग्रामीण विकास को समर्पित किसी विशेष क्षेत्र की बात न करते हुए 'ग्लोबल विलेज' तथ्य को चरितार्थ करती है। इस पत्रिका के आलेखों का तो कोई सानी नहीं है। इसे पढ़कर व्यक्ति को अपने अंतर्मन में गहन चिंतन करने को विवश करता है तथा आगे पढ़ने की जिज्ञासा बनी रहती है।

प्रवीण कुमार पाठक, बिहार

मई 2006 का बाल श्रम, महिला श्रमिक, स्वच्छता, स्वास्थ्य पर केंद्रित आलेखों के कारण बेहतर लगा। बालश्रम मानवता पर एक अभिशाप ऋतु सारस्वत का आलेख यह स्पष्ट करने में सफल रहा कि संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों, कारखाना अधि. 1922 एवं 1948, खान एक्ट 1952, बागान श्रमिक एक्ट 1951 बाल श्रमिक (निषेध तथा नियमन) अधि. 1986 के विभिन्न प्रावधानों के उपरांत भी बाल श्रमिकों की समस्या बनी हुई है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, स्वच्छता, बौद्धिक संपदा अधिकार आधारित आलेख पसंद आए।

डा. सुनील कुमार शर्मा, झाबुआ, म. प्र.

मई 2006 का अंक पढ़ा कुछ पीड़ा हुई किंतु वंचित असहाय बाल–श्रमिकों के बारे में जन–जन तक सही आंकड़े व तस्वीर पेश करने के लिए हम सभी प्रतियोगी आपके आभारी है। मीडिया अर्थात चौथा स्तम्भ संविधान का स्थान रखता है, लेकिन आज देखने में आ रहा है कि वह ग्लैमर के चक्कर में पड़ा है। इस स्थिति में मूलभूत समस्याएं पीछे रह जा रही है। जिसकी पूर्ति 'कुरुक्षेत्र' जैसी मानक पत्रिका से हो रही है। सरकार को चाहिए की इस पत्रिका को ग्रामीण क्षेत्र में पंच से लेकर पंचायत सदस्यों तक निशुल्क पहुचाये जिससे देश के बारे में जानकारियों का लाभ उठाया जा सके।

नीलम सिंह, लखनऊ

'कुरुक्षेत्र' का मई 06 का अंक मैंने पढ़ा। यह मुझे 'गागर में सागर' की तरह एक उत्कृष्ट अंक लगा। इससे मैं ग्रामीण विकास को समर्पित पत्रिका 'कुरुक्षेत्र' का नया पाठक बन गया हूं। यह अंक हर दृष्टि से बेहद प्रंशसनीय एवं अतुलनीय है। इसमें प्रकाशित होने वाले सभी निबंध अत्यंत सराहनीय हैं। मैंने कुरुक्षेत्र के अंक सात (मई 2006) में प्रकाशित आशुतोष शुक्ल के लेख श्रम और श्रमिक : इतिहास और विकास पढ़ा। इससे मुझे श्रमिकों के विषय में मौलिक तथा आधारभूत अवधारणाएं स्पष्ट हुई। लेखक का श्रमिकों के विषय में यह विचार अत्यंत प्रशंसनीय है कि "श्रमिकों की समस्याओं को हल सिर्फ कानून बनाकर नही किया जा सकता क्योंकि अशिक्षा, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि और जानकारी के अभाव के चलते ये समस्याएं मुंह बाये हमेशा खड़ी रहेगी"

मो. मोबीन हैदर, बिहार

मैं समाज सेवक हूं। मेरी एक स्वयंसेवी संस्था है जिसका नाम रामईश्वर शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान है। मैं इस संस्थान में आपकी पत्रिका विगत 7–8 माह से खरीद रहा हूं। यह पत्रिका विशेषकर ग्रामीण विकास से संबंधित जानकारी देती है। इस पत्रिका के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत सारी योजनाओं की जानकारी देता हूं। पत्रिका के माध्यम से जानकारी मिलती है इसके लिए संस्थान कुरूक्षेत्र परिवार को आभार प्रकट करता है। आपका मई 2006 अंक पढ़ा। इसमें रोजगार गारंटी योजना और श्रम श्रमिक पर आलेख अच्छा लगा।

नागेन्द्र कुमार, बिहार

मैं 'कुरूक्षेत्र' हिंदी मासिक का नियमित पाठक हूं। पत्रिका का मई 2006 का अंक हस्तगत हुआ। अध्ययन, अवलोकन और सिंहावलोकन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह पत्रिका ग्रामीण विकास के संदर्भित सूचनाओं का प्रमाणित सूचना बुलेटिन है जो नित्य सत्य सूचनाओं को प्रकाशित करती है। इस पत्रिका को प्रतियोगितात्मक लाइफ के लिए संचालक और मेहनती जीवन के लिए उत्प्रेरक कहें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

मई माह में प्रकाशित "बालश्रम : मानवता पर एक अभिशाप" "बाल श्रमिकों में अशिक्षा की समस्या", "बाल श्रमिकों की स्थिति, समस्या और समाधान", "बौद्धिक संपदा अधिकार" एवं "ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम" ने विविधतापूर्ण जानकारियों से अवगत कराया गया। विभिन्न अंकों में विभिन्न तथ्यों से यह कुरूक्षेत्र प्रतियोगितात्मक क्षेत्र के लिए विजय बिंदु एवं संग्रहणीय है। इसके साथ–साथ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई।

रामा रविदास, झारखंड

बढ़ती जनसंख्या : वर्तमान और भविष्य

प्रांजल धर

औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक प्रगति, सूचना क्रांति और आर्थिक विकास के फलस्वरूप विश्व बदला है, लोग अपेक्षाकृत अधिक सूचित और शिक्षित हुए हैं। और नई–नई संभावनाओं के द्वार भी खुले हैं। खासकर पिछली दो शताब्दियों में विश्व के लगभग सभी देशों ने अपनी जनसंख्या की जीवन–स्थितियों को सुधारने के लिए विभिन्न विकासात्मक नीतियां अपनाई हैं। कई देशों में कुछ नीतियों के सकारात्मक परिणाम भी आए हैं जिनसे अन्य राष्ट्रों ने प्रेरणाएं भी ग्रहण की हैं। प्रति व्यक्ति आय और उपभोग स्तर के मामले में आज भी विकसित देश अग्रणी हैं। अधिकतर विकासशील देशों की तुलना में विकासशील देश अभी भी बुनियादी सुविधाएं जुटाने में लगे हुए हैं और आधारभूत संरचना का विकास करने में व्यस्त हैं। कुछ बुनियादी किस्म की समस्याओं से जूझने की वजह से विकासशील और विकसित देशों के बीच आय का अंतर बढ़ता है। जनसंख्या का अधिक होना एक ऐसी ही बुनियादी किस्म की समस्या है जिससे निपटने में तीसरी दुनिया का बहुत धन और समय बेकार जाता है। संसार की जनसंख्या पिछले चालीस साल सालों (1961–2001) में 3 अरब से बढ़कर छः अरब हो गई है। जनसंख्या का दूना हो जाना वास्तव मे किसी एक देश को ही प्रभावित नही करता, वरन सभी देशों पर कमाबेश इसका असर पड़ता है क्योंकि अंततः जल, खनिज और भूमि जैसे तमाम अनमोल प्राकृतिक संसाधन असीमित न होकर सीमित ही हैं। जनसंख्या में वृद्धि ने काफी लंबे समय तक जनता का या सरकारों का ध्यान आकृष्ट नहीं किया। सिर्फ पिछले कुछ दशकों में ही विश्व की लगभग सभी सरकारों ने इस विषय पर प्रमुखता से ध्यान दिया है और कई देशों में तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखना सरकारों की महत्वपूर्ण सूची में शामिल है।

विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में चीन, भारत, अमरीका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, नाइजीरिया और जापान शामिल हैं। ये विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष के दस देश हैं जिनमें सात विकासशील और तीन विकसित देश सम्मिलित हैं। चीन के बाद भारत दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा देश है। भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र दो प्रतिशत होते हुए यहां विश्व की सोलह प्रतिशत आबादी निवास करती है। भारत की जनसंख्या कितनी अधिक है, इसका अनुमान इस तथ्य से लगया जा सकता है कि यह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और आस्ट्रेलिया जैसे तीन महाद्वीपों की सयुंक्त जनसंख्या से भी ज्यादा है। जनसंख्या की विशालता के अलावा नृ–जातीय और धार्मिक विविधता, अत्यधिक ग्रामीण स्वरूप और असमान वितरण अन्य पहलू हैं जिनसे हमारे सामाजिक–आर्थिक विकास की प्रक्रिया और रफ्तार दोनो पर एक नकारात्मक असर पड़ता है। इतनी विशाल जनसंख्या के सीमित संसाधनों पर निर्भर रहने की वजह से अनेक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उलझनें पैदा हो जाती हैं। मसलन, आबादी ज्यादा होने पर हर हाथ को काम देना मुश्किल हो जाता है, प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न हो जाता है और बहुआयामी प्रगति की धार कुंद पड़ जाती है। अधिक जनसंख्या प्राकृतिक तथा मानव निर्मित संसाधनों के ऊपर वास्तव मे एक बोझ है। इससे कई समस्याएं उपजती हैं। जैसे–गरीबी और पर्यावरणीय ह्रास वर्तमान भारत की दो प्रमुख समस्याये हैं।

हरियाली और प्राकृतिक छटाओं से भरपूर भारत वास्तव में गांवों का देश है। गांव ही भारत का सच्चा प्रतिनिधित्व करते हैं और गांवों में तमाम सांस्कृतिक विविधताएं भी हैं। जनसंख्या के पैमाने पर देखने पर यह बात और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। भारत की 72 प्रतिशत से भी अधिक आबादी विभिन्न आकारों के लगभग छः लाख गांवों में रहती है। इन सभी ग्रामीण बस्तियों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी सामाजिक सेवाएं व सुविधाएं जुटाना एक कठिन काम है। यह काम वास्तव में सरकार और प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। जनसंख्या में तेजी से हुई वृद्धि की वजह से ये समस्याएं कई गुना बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं,

ज्यादातर ग्रामीण जनसंख्या छोटे पैमाने पर खेती–किसानी के काम में लगी हुई है। अपने विशेष स्वभाव के अनुरूप, कृषि तेजी से बढ़ रही जनसंख्या का भरण–पोषण या विकास करने में पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं है। भारत की जनसंख्या का वितरण काफी असमान है। जिस क्षेत्र में जमीन उपजाऊ है, नदियां हैं या सिंचाई वगैरह की सुविधा अधिक है, उस क्षेत्र में जनसंख्या भी अधिक रहती है। पर्वतों, रेगिस्तानों या वनीय भूमियों की अपेक्षा मैदानी भागों में जनसंख्या ज्यादा है। नदी द्रोणी और तटीय मैदानों मे स्थित राज्यों, जिलों और नगरीकृत क्षेत्रों में भी जनसंख्या के वितरण पर नजर डालें तो हमे अनेक विषमताएं मिलती हैं क्योंकि राज्यों के क्षेत्रफल में तथा उनके संसाधन आधार में भी अनेक विभिन्नताएं है। उदाहरण के लिए हिमालयी छोटे राज्य सिक्किम की जनसंख्या लगभग साढ़े पांच लाख है। जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी सोलह करोड़ से भी ज्यादा है। हमारे राज्यों में से दस तो ऐसे है जिनमें से हरेक की आबादी पांच करोड़ से ज्यादा है। केवल पांच राज्यों में देश की आधे से अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि विशाल क्षेत्रफल वाले राज्यों की जनसंख्या भी विशाल ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन यहां देश की मात्र साढ़े पांच प्रतिशत जनसंख्या ही रहती है। इसी प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 9.37 प्रतिशत है। जबकि जनसंख्या केवल 5.88 प्रतिशत ही है। क्षेत्रफल कि हिसाब से जनसंख्या का अनुपात काफी विविधतापूर्ण है। कुछ राज्यों में जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक है, परिणामस्वरूप इन राज्यों में प्रति ईकाई क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव राष्ट्रीय औसत से कही अधिक है।

सन् 2001 में भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यह औसत घनत्व चीन के औसत घनत्व से भी कहीं अधिक है जबकि हमारी आबादी से ज्यादा आबादी चीन में रहती है। संसार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश चीन में वर्ष 1997 में जनसंख्या का औसत घनत्व 129 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। संसार के दस सबसे अधिक आबादी वाले देशों में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत का स्थान तीसरा है। बांग्लादेश में यह 849 है जबकि जापान में यह 334 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है। वैश्विक स्तर पर जनसंख्या के वितरण का एक अनुमान इन बातों से जरूर लगता है। साथ ही इस बात की भी महती जरूरत महसूस होती है कि हम अपनी बढ़ रही आबादी को काबू में करें। भारत के जिला स्तर के घनत्व का परिसर भी बहुत व्यापक है। 29,395 (लगभग तीस हजार) व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ उच्चतम घनत्व दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में है और न्यूनतम घनत्व, दो व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. हिमाचल प्रदेश के लाहूल तथ स्पीति जिलों में है। वास्तव में जनसंख्या को और उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जैसे– भौतिक कारक, सामाजिक–आर्थिक कारक और जनांकिकीय कारक। जनांकिकीय कारकों में प्रजनन दर, मृत्यु दर और प्रवास वगैरह शामिल है। आप्रवासन महानगरों में विशाल संकेंद्रण का प्रमुख कारण है। जन्म और मृत्यु के अलावा प्रवास की भी जनसंख्या की वृद्धि में उल्लेखनीय भूमिका रही है। इसी के परिणामस्वरूप नगरों की तुलना में गांवों में वृद्धि कम हुई है। इसी प्रकार आयु, लिंग, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, निवास स्थान, मानव प्रजातीयता, साक्षरता, शिक्षा और व्यावसायिक संरचना के आधार पर भी हम अपनी जनसंख्या के संघटन को देख सकते हैं। विकसित देशों में किशोर जनसंख्या का अनुपात 25 प्रतिशत से अधिक नहीं है। हमारे देश में किशोर जनसंख्या का अनुपात अधिक है। इसके कई कारण है। मसलन, अपेक्षाकृत उच्च जन्म दर और तीव्रता से घटती शिशु और बाल मृत्यु दर। वास्तव में घटती शिशु मृत्यु दर एक सकारात्मक संकेत है क्योकि इससे लोगों को सुरक्षा का बोध होता है और इस वजह से जनसंख्या नियंत्रित करने में एक मानसिक सहायता मिलती है। शिशु मृत्यु दर को अभी और घटाने की जरूरत है ताकि हम भी विकसित देशों की पंक्ति में खड़े हो सकें, जहां यह काफी कम है। आर्थिक नजरिए से यह किशोर वर्ग अनुत्पादक होता है और इसी वर्ग की भोजन, वस्त्र, शिक्षा आदि की जरूरतों पर सबसे अधिक व्यय होता है। यह आश्रित जंनसंख्या का ही एक अंग है।

जनसंख्या के लिंग संघटन को प्रायः लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में की जाती है लिंग संघटन को समाज में पुरुषों और महिलाओं के मध्य विद्यमान असमानता की माप के महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक के रूप में माना जाता है। वर्तमान समय में भारत में लिंगानुपात सिर्फ 933 है। यह विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। भारत के कुछ

राज्यों में तो यह चिंताजनक स्तर तक कम है जबकि कुछ राज्यों में (जैसे–केरल) यह संतोषजनक से भी बेहतर है। महिला सशक्तीकरण और नारी आंदोलनों जैसे कार्यक्रमों का लक्ष्य और ध्यान महिलाओं को अधिक अधिकार दिलाने के साथ–साथ बेहतर लिंगानुपात की स्थिति को प्राप्त करने पर भी रहता है।

जनसंख्या का दबाव अधिक होने के कारण हम मानव विकास के मामले में भी पीछे रह जाते हैं जैसा कि यूएनडीपी की रिपोर्टों से पता चलता है। इस पैमाने पर चीन और श्रीलंका जैसे देशों की स्थिति हमसे बेहतर रहती है और हम नामीबीया और बोत्सवाना जैसे अल्पविकसित अफ्रीकी देशों के इर्द–गिर्द ही रहते हैं। यदि हम नार्वे, स्वीडन, आस्ट्रेलिया या कनाडा जैसे उच्च मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में नही हैं तो इसका एक प्रमुख कारण हमारी अत्यधिक जनसंख्या है। हां, चीन जैसे देशो से इस मामले में प्रेरणा ली जा सकती है कि चीन की जनसंख्या भारत से अधिक होने के बावजूद चीन मानव विकास सूचकांक के पैमाने पर हमसे आगे है। साक्षरता और प्रारंभिक शिक्षा जैसे सामाजिक संकेतकों के सुधार के लिए कार्यक्रम तो बनाए जा सकते हैं और यहां तक कि उन्हें लागू भी किया जा सकता है लेकिन फिर भी जनसंख्या के दबाव के आगे अक्सर ये कार्यक्रम घुटने टेकते ही नज़र आते हैं और जमीनी हकीकत में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पाता। होता भी है तो उसकी गति काफी मंद हो जाया करती है।

जनसंख्या, पर्यावरण और विकास के संबंधों को भी रेखांकित करना जरूरी है। विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में मानव प्रकृति के अधिक निकट थे, उनकी जरूरतें काफी कम थीं जो प्रकृति द्वारा सीधे ही पूरी हो जाया करती थीं। औजारों और आर्थिक प्रगति के साथ–साथ तकनीकें बदलीं। मानव की आवश्यताएं बढ़ीं जिससे प्रकृति का दोहन भी बढ़ा। समय के साथ–साथ मानव ने प्रकृति पर नियंत्रण शुरू कर दिया तथा पदार्थों और ऊर्जा के साधनों के रूप में उसने प्रकृति का बड़े पैमाने पर भयंकर दोहन प्रारंभ कर दिया। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जाने–अनजाने मानव प्रकृति का विनाशक बन गया। हालिया समय के जल, जंगल और जमीन के मुद्दे और इनके लिए अनेक देशों और राज्यों में चलाए जा रहे सामाजिक आंदोलन आखिर क्या संदेश देते है? औद्योगीकरण और बांधों की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर चल रही गंभीर चर्चाएं क्या हमें यह संकेत नहीं देती कि संपूर्ण विश्व को पर्यावरण की रक्षा के लिए सजग हो जाने की आवश्यकता है? पर्यावरण ह्रास के कारको का साधारणीकरण करना कठिन है। यह किसी एक जिले या किसी एक देश की ही समस्या न होकर पूरी मानवता और सकल संसार की समस्या है जिससे निटने के लिए पृथ्वी के सभी लोगों को मिलकर सक्रिय प्रयत्न करने पड़ेंगे। पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के द्वारा पड़ता है। यही नहीं, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उपभोग की प्रक्रिया से उत्पन्न अवशिष्ट प्रदूषकों के पर्यावरण में उत्सर्जन से भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। उदाहरण के लिए विकसित राष्ट्रों का औद्योगिक कूड़ा–कचरा और उससे निकले घातक रसायन महासागरों को प्रदूषित करते हैं। इस महासागरीय प्रदूषण से जलचरों और अन्य जीव–जंतुओं का जीवन संकट में पड़ता है। यह पारिस्थितिक–तंत्र को असंतुलित करता है जिससे स्वयं मानव का जीवन और अस्तित्व तक भविष्य में खतरे में पड़ सकता है।

बढ़ती जनसंख्या की समस्या से निपटना समय के साथ अब काफी जरूरी होता जा रहा है। हालिया समय की 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड 2006' के रिपोर्ट को देखे तो पता चल जाता है कि चीन और भारत के लिए धरती कितनी नाकाफी है। इसके मुताबिक संसाधनों की खपत के पाश्चात्य स्तर को पाने की भारतीय और चीनी कोशिशों के लिए जरूरी ऊर्जा, खेत और पानी का धरती पर अभाव है। यदि खाद्यान्नों की खपत पर गौर करें तो वातावरण और आबादी के चलते सिकुड़तें खेतों के मद्देनजर दोनों पड़ोसी देशों की आयात पर निर्भरता बढ़ती जाएगी जिसका परिणाम विश्वव्यापी मंहगाई होगा।

भारत 1952 में जनसंख्या नीति बनाने वाला पहला देश था। सरकार ने सतत पोषणीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जनसंख्या को स्थिर रखने के कार्यक्रम को स्वीकार किया है। इनमें कई चीजें शामिल है। उदाहरण के लिए–विवाहित महिलाओं को सामर्थ्य अनुसार स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल और मकान जैसी आधारभूत संरचनाओं का विकास करना, महिला सशक्तीकरण और उनके रोजगार के अवसर बढ़ाना और यातायात व दूरसंचार का विकास इत्यादि सरकार के कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं जो बहुलक्षीय प्रकृति के है।

विकासशील देश होने के नाते भारत तेजी से बढ़ती जनसंख्या का सामना कर रहा है। विकास के फल सभी को समान रूप से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। 1920 के दशक से भारत में लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है जो पहले की विशाल जनसंख्या में जुड़ती जा रही है। 2050 में डेढ़ बिलियन यानी डेढ़ अरब लोगों के साथ भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या ने कृषि क्षेत्र पर बोझ बढ़ा दिया है। जमीन पर भी जनसंख्या का दबाव बढ़ा है। इस तथ्य, चेतावनी और चुनौती को समझना होगा। यह सिर्फ सरकार पर ही नही छोड़ा जा सकता। जनता की भी इसमें सहभागिता आवश्यक है। भारत के प्रत्येक नागरिक को इस चेतावनी का अर्थ समझना चाहिए। अधिक जनसंख्या के अपने लाभ भी हैं। मसलन हमारे पास बहुत बड़ी श्रमशक्ति है, इसी श्रमशक्ति का कुछ भाग बीपीओ सेक्टर में सफलता के लिए उत्तरदायी है। फिर भी समग्र और चहुंमुखी विकास के लिए जनसंख्या का स्थिरीकरण और नियंत्रण अनिवार्य है। विश्व जनसंख्या दिवस की सार्थकता भी इसी में है।

(लेखक पत्रकार हैं)

भारत में बढ़ती जनसंख्या : समस्या एवं निदान

रवींद्र नाथ ओझा

जनसंख्या आकार की दृष्टि से भारत चीन के पश्चात् विश्व का द्वितीय बृहत्तम राष्ट्र है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 102 करोड़ से भी अधिक थी जो विश्व की कुल जनसंख्या का 16.67 प्रतिशत ही है और यहां की राष्ट्रीय आय विश्व की राष्ट्रीय आय का लगभग 1.2 प्रतिशत है। चीन की जनसंख्या का लगभग 20 प्रतिशत है जबकि इसका क्षेत्रफल विश्व क्षेत्रफल का 7 प्रतिशत है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक है।

इस समय भारत की जनसंख्या 115 करोड़ से भी अधिक हो गई है जो विश्व जनसंख्या का 17 प्रतिशत है। सही रूप में कहा जाय तो भारत 1961 के बाद से 'जनसंख्या विस्फोट' की स्थिति से गुजर रहा है क्योंकि 1961–71 के बीच के वर्षों में जनसंख्या वृद्धि की दर लगभग 2.24 प्रतिशत वार्षिक रही है। 1981 की जनगणना के अनुसार 1971 और 1981 के बीच जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर 2.23 प्रतिशत रही है जो पिछले दशक के वार्षिक दर के बिल्कुल बराबर है। यदि 1951 से 1981 के बीच जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर का विश्लेषण करें तो यह 2.15 प्रतिशत रही है। तात्पर्य यह कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रभाव जनसंख्या वृद्धि की दर को नियंत्रित करने में असफल रहा है। 1981–91 के बीच जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर 2.11 प्रतिशत और 1991–2001 के बीच थोड़ा कम होकर 1.93 प्रतिशत हो गई है। यदि जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो 2035 तक भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा और देश के सामने एक विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी। निम्नलिखित तालिका में भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को दिखाया गया है:

तालिका से स्पष्ट है कि 1951 से 2001 तक 50 वर्षों में जिस तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हुई, उससे सघनता 117 प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 324 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गई। अतः इस समय देश में 'जनसंख्या विस्फोट' की स्थिति है जो देश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ी बाधा है।

भारत की जनसंख्या (1951–2001)

जनगणना वर्ष	जनसंख्या वृद्धि करोड़ में	जनसंख्या में वृद्धि अथवा कमी (करोड़ में)	दशक में प्रतिशत प्रतिशत वृद्धि	जनसंख्या का घनत्व	लिंग–अनुपात स्त्री प्रति हजार पुरुष
1951	36.1			117	946
1961	43.9	7.8	21.5	142	941
1971	54.8	10.9	24.8	178	930
1981	68.3	13.5	24.7	216	934
1991	84.4	16.1	23.5	274	927
2001	102.7	18.3	21.3	324	933

जनसंख्या वृद्धि की चुनौतियां

जनसंख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर द्वारा निर्धारित की जाती है जिसे प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। मृत्यु दर की अपेक्षा जन्म दर जितनी अधिक होगी जनसंख्या की वृद्धि भी उतनी ही त्रीव होती है। जन्म दर में वृद्धि तथा आधुनिक औषधियों एवं स्वास्थ्य रक्षा की विधियों के उपयोग के कारण मृत्यु दर में अधिक कमी होने से भारत में जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई है। खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि परिवहन, व्यापार एवं औद्योगिक विकास आदि कारणों का भी इस वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान है।

1951 में जन्म दर जहां 39.9 प्रति हजार से कम होकर 2000 में 25 प्रति हजार हो गई वहीं मृत्यु दर में गिरावट बहुत अधिक हुई जो 27. 4 प्रति हजार से कम होकर 9 प्रति हजार हो गई। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि जन्म दर को नियंत्रित कर पाना कठिन होता है। जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए लोगों का विवाह, परिवार, पुत्र, जन्म आदि के संदर्भ में दृष्टिकोण बदला जाना चाहिए, जागरूकता पैदा किया जाना चाहिए जो आसान नहीं है। भारत में इस समय जनांकिकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर में भारी अंतर के कारण जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ती है।

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि भारत में राज्य स्तर पर जनसंख्या वृद्धि में बड़ी असमानता है। जहां कुछ राज्य जनांकिकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था के प्रारंभिक चरण में है यथा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छतीसगढ़, उड़ीसा, असम, राजस्थान वहीं केरल, तमिलनाडु और गोवा जनांकिकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था के अंतिम चरण में हैं। उपर्युक्त राज्य जो जनांकिकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था

के प्रारंभिक चरण में हैं जनसंख्या नीति–निर्धारकों के सम्मुख एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करते हैं। जनसंख्या वृद्धि की गंभीर चुनौती को इन्ही राज्यों में जन्म दर में कमी लाकर किया जा सकता है। अतएव इस गंभीर चुनौती का सामना करने के लिए क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचने की आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश में जन्म दर न केवल केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसा राज्यों से बहुत अधिक है वरन् भारत की औसत जन्म दर से भी अधिक है और इसी कारण इन राज्यों में जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि दर भी बहुत अधिक है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि इन राज्यों का भारत की जनसंख्या में हिस्सेदारी 33 प्रतिशत से भी अधिक है। अतएव भारत में जनसंख्या में स्थिरीकरण की नीति तबतक सफल नही हो सकती जबतक इन राज्यों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं हो जाता।

जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर

1951–81	2.15
1981–91	2.11
1991–01	1.93
स्रोत : भारत की जनगणना	

चिंता का एक और पहलू है:– जनसंख्या का लिंगानुपात यानी पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात। चार बड़े हिन्दी भाषी राज्यों का प्रदर्शन लिंगानुपात के संदर्भ में भी बुरा रहा है। चिंता की बात दशक–दर–दशक इसमें और गिरावट आ रही है।

सबसे महत्वपूर्ण पहलू उच्च शिशु मृत्यु दर का होना है। शिशु मृत्यु दर के द्वारा किसी देश के सामाजिक–आर्थिक विकास के स्तर और चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता का ज्ञान होता है। भारत में मृत्यु दर अब विकसित देशों की मृत्यु दर के निकट आ गई है किंतु यहां शिशु मृत्यु दर वर्ष 2000 में 69 प्रति हजार था वहीं विकसित देशों की मृत्यु दर कि निकट आ गई है किंतु यहां शिशु मृत्यु दर अभी भी काफी ऊंची है। कुपोषण और चिकित्सकीय सुविधाओं के अभाव आदि के कारण भारत में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2000 में 69 प्रति हजार था वहीं विकसित देशों यथा, जर्मनी, इंग्लैड, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्रमशः 4,5,7,5 प्रति हजार था (विश्व विकास संकेतक 2002)। भारत में विशेषकर बड़े हिंदी भाषी राज्यों यथा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा आदि में उच्च शिशु मृत्यु दर का मुख्य कारण अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, निर्धनता, कुपोषण आदि हैं। इस संदर्भ में जागरूकता पैदा कर इसमें काफी हद तक कमी लाई जा सकती है।

भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि एवं अन्य उपरोक्त जनांकिकीय प्रवृत्तियों के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं:–

● उच्च जन्म दर एवं घटती हुई मृत्यु दर ● विवाह की व्यापकता और छोटी उम्र में शादी ● शिक्षा का अभाव और अज्ञानता ● अविवेकपूर्ण मातृत्व ● प्रति व्यक्ति आय में प्रारंभिक वृद्धि ● धार्मिक और सामाजिक अंधविश्वास ● ग्रामों की प्रधानता एवं मनोरंजन के साधनों का अभाव ● गर्म जलवायु आदि।

उपर्युक्त कारणों से विगत 50 वर्षों में जनवृद्धि बहुत तीव्र हुई है जिसके कारण देश की बढ़ती जनसंख्या एक समस्या बन गई है। देश की बढ़ती जनवृद्धि का कुपरिणाम आर्थिक सामाजिक तंत्र पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है यथा,

● प्रति व्यक्ति कृषि भूमि में गिरावट एवं कृषि पर बढ़ता भार ● गरीबी एवं बेरोजगारी में अत्यधिक वृद्धि ● खाद्यान्न एव पोषण की समस्या ● पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि सेवाओं की बढ़ती मांग ● नगरीय आबादी में तीव्र वृद्धि जो अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है। यथा आवास की समस्या, अपराध वृद्धि, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, गंदी बस्तियां आदि। ● आश्रित जनसंख्या में वृद्धि जो कार्यकारी जनसंख्या के उपर भारी बोझ होता है।

जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन कार्यक्रम

निरंतर बढ़ती जनसंख्या एवं सीमित संसाधनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण अत्यावश्यक है। यह इस बात से और भी स्पष्ट है कि केवल बीते दशक 1991–2001 में जनसंख्या में 18.3 करोड़ की वृद्धि हो गई है इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भारत विश्व का पहला देश है जिसने सर्वप्रथम 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया। पहली पंचवर्षीय योजना में ही बढ़ती जनसंख्या को विकास के बाधक के रूप में चिन्हित किया गया था और स्पष्ट किया गया था कि "वर्तमान परिस्थितियों में तीव्र दर से बढ़ती जनसंख्या जीवन स्तर के सुधार में बाधक है।" तभी से विभिन्न पंचवर्षीय यांजनाओं में जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास किये गए और उत्तरोत्तर योजनाओं में धन का आबंटन बढ़ाया गया। विभिन्च पंचवर्षीय योजनाओं मं परिवार नियोजन पर किये गए व्यय का ब्यौरा निम्न है:

परिवार नियोजन पर व्यय

हर पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम को महत्व देते हुए योजनागत व्यय में वृद्धि की गई है। जहां तृतीय पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर 25 करोड़ रुपये व्यय किये गए जो कुल योजनागत व्यय का मात्र 0.3 प्रतिशत था वहीं आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसे बढ़ाकर 6792 करोड़ रुपये कर दिया गया जो कुल योजनागत व्यय का 1.4 प्रतिशत है। फिर भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को सर्वाधिक महत्व दिये जाने को बाद भी किसी भी योजना में व्यय की राशि योजनागत व्यय का 1. 5 प्रतिशत भी नहीं रही है जिस कारण निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों में अंतर बना रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य कारक यथा, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवरोधों के कारण भी उपलब्धियां बराबर लक्ष्य से कम रही हैं। भारत में जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य जन्म दर को नियंत्रित करना रहा है किंतु किसी भी योजना में यह लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है।

भारत में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण जन्म दर का ऊंचा होना है जबतक इसे कम नहीं किया जाता तबतक विकसित भारत की परिकल्पना केवल कोरी–कल्पना मात्र ही रहेगी अतएव इसे नियंत्रित करने के लिए चहुंमुखी प्रयास की जरूरत है। इसी कारण नौवीं पंचवर्षीय योजना में व्यय की राशि बढ़ाकर योजनागत व्यय का 3 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया था।

नई जनसंख्या नीति

भारत सरकार ने 1976 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की जिसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक उपायों को शामिल किया गया। किंतु 1977 में जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई और उसने 1978 में जनसंख्या नीति की घोषणा की जिसमें 1976 की नीति में सुधार किया गया और इसे स्वैच्छिक बना दिया गया। सन् 2000 में नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। नई जनसंख्या नीति की प्रमुख बातें निम्न है:

- प्रजनन शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवाओं, आधारभूत ढांचे संबंधित आवश्यकताओं को प्रमुखता प्रदान करना।
- जनसंख्या नियंत्रण के लिये तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक कदम उठाने की घोषणा।
- वर्ष 2045 तक जनसंख्या के स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना।
- जन्म, मृत्यु, विवाह तथा गर्भावस्था का शत–प्रतिशत पंजीकरण।
- लड़कियों की शादी 18 वर्ष तथा लड़कों की शादी 20 वर्ष बाद करने को प्राथमिकता।
- सकल प्रजननता दर के प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त करने हेतु छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देना।
- प्रजनन विनिमय के सलाह और सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच तथा गर्भ निरोधक के व्यापक विकल्पों का पता लगाना।
- परिवार कल्याण को एक जनकेन्द्रित कार्यक्रम बनाने के लिए संबंधित सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों को एकीकृत करना आदि।

इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि नई जनसंख्या नीति के उपर्युक्त एवं अन्य उद्देश्यों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 11 मई 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। इसके सदस्यों की संख्या 100 के आस–पास है जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं और विशेष रूप से जनांकिकी विशेषज्ञों को शामिल किया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की प्रथम बैठक में ही जनसंख्या स्थिरीकरण कोष के गठन का निर्णय लिया गया जिसका उपयोग जनसंख्या नियंत्रण की परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा।

जनसंख्या नियंत्रण हेतु सुझाव

विभिन्न शोधों एवं क्षेत्र अध्ययनों से पता चलता है कि न केवल परिवार नियोजन कार्यक्रम एवं नीतियों वरन् विभिन्न स्वास्थ्य, शिक्षा कार्यक्रम एवं नीतियों का भी क्रियान्वयन सही रूप में नही हो सका है। जिससे निर्धारित लक्ष्य कभी भी नहीं प्राप्त हो सके हैं। इसके परिणामस्वरूप भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। स्पष्ट है कि बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने की नीतियों के साथ ही साथ नीतियों के क्रियान्वयन में योजना का अभाव, अदूरदर्शिता एवं तदर्थवाद की नीति झलकती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिज्ञों की भूमिका भी इसको बिगाड़ने में कम महत्वपूर्ण नहीं रही है। राजनीतिज्ञों ने बराबर इसे तदर्थवाद के रूप में सोचा है और इसका स्वरूप साम्प्रदायिक भी कर दिया है। अतएव आज आवश्यकता इस बात की है इस समस्या का समाधान समग्र रूप में किया जाय, जिसके लिए निम्न सुझाव महत्वपूर्ण होंगे:

- सर्वप्रथम बड़े हिंदी भाषी राज्यों में जहां पर जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक है और जिनका योगदान जनसंख्या में बहुत अधिक है अलग से 'क्षेत्रीय जनसंख्या नीति' का निर्धारण किया जाय और इसमें प्राथमिकताओं को तय किया जाय। प्राथमिकताओं की पूर्ति के लिये 'जनसंख्या कार्य दल' (पॉपुलेशन टास्क फोर्स) का गठन राज्य स्तर पर किया जाय। इस कार्यदल में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाये यथा, परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, अभियांत्रिकी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से जनांकिकी विशेषज्ञों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं यथा यूनिसेफ, यूएनडीपी डब्लू.एच. ओ. गैर–सरकारी संगठन आदि के प्रतिनिधि।
- जनसंख्या कार्यदल का महत्वपूर्ण कार्य जिला स्तर पर नीति निर्धारण के साथ ही साथ विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को विभिन्न जनसंख्या विधियों में प्रशिक्षण देना होगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य न केवल जननियंत्रण विधियों से परिचित कराना होगा वरन् 'टीम स्पिरिट', संचार एवं अन्य कार्यों यथा मूल्यांकन आदि विधियों में दक्षता प्रदान करना होगा।

- जिला स्तर पर प्रशिक्षित प्रतिनिधि निचले स्तर अर्थात गांव स्तर के उत्प्रेरक (मोटिवेटर) को जननियंत्रण विधियों में प्रशिक्षित करेंगे। इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि किसी कार्यक्रम की सफलता उसके सही क्रियान्वयन पर निर्भर करती है अतएव जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता भी इसी निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता पर निर्भर करेगा। उत्प्रेरक के अतिरिक्त गांव स्तर पर सभी सरकारी कर्मचारियों यथा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डाक्टरों, स्कूल शिक्षकों तथा पंचायत प्रतिनिधियों सभी को जननियंत्रण विधियों में प्रशिक्षित करना होगा और सबका सामूहिक उत्तरदायित्व तय करना होगा। केवल एक विभाग की जिम्मेदारी रहने से जन जागृति पैदा करना आसान नहीं होगा। अतएव सभी विभागों के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में समन्वय स्थापित कर इस कार्य को आसानी से किया जा सकता है।
- जब इस बात का प्रचार–प्रसार घर–घर तक हो जाएगा निश्चित रूप से जनसंख्या को नियंत्रित करने में सफलता मिलेगी। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि गांव का कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी संप्रदाय का हो वह जन नियंत्रण के लिए उत्सुक रहता है यदि उसे सही सलाह और उचित देखभाल सुनिश्चित की जाय।
- जनसंख्या नियंत्रण के लिये प्रचार–प्रसार माध्यमों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है जिसके लिये सूचना पत्र, श्रव्य एवं दृश्य माध्यम, समाचर–पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता बहुत हद तक महिलाओं की भूमिका पर निर्भर करेगा। इसके लिये महिलाओं को सामाजिक एव आर्थिक दोनों रूप से सशक्त करना आवश्यक होगा। सामाजिक सशक्तिकरण में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाओं को शामिल किया जाता है। शिक्षा से सोच का स्तर व्यापक हेाता है और यह देखा गया है कि जहां पर शिक्षित महिलाएं अधिक हैं वहां पर जनसंख्या वृद्धि की दर कम है किंतु केवल शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या को नियंत्रित करना कठिन है विशेषकर हिंदी भाषी राज्यों में। अतएव जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को भी शामिल किया जाना चाहिए तभी अपेक्षित सफलता मिल सकती है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में आंगनवाड़ी केंद्र को माध्यम बनाया जा सकता है जहां पर महिलाओं के लिये 'स्वयं सहायता समूह' को संचालित किया जा सकता है। इस प्रकार आर्थिक रूप से सशक्त महिला ही निर्णय निर्माण कर सकती है जिसकी कद्र उसके परिवार में होगी।
- जनसंख्या नियंत्रण की विधि का प्रयोग प्रभावशाली, सरल एवं सस्ता होना चाहिए। इसका प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिये।
- शिशु मृत्यु दर एवं मातृ दर में कमी लानी चाहिए। शिशु मृत्यु दर अधिक होने से लोगों में असुरक्षा की भावना रहती है।
- बुजुर्गों के लिये सामाजिक सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिये।

यदि उपर्युक्त सुझावों को सही रूप में अमल में लाया जाये तो निश्चित रूप से भारत की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है और इस प्रकार बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं यथा गरीबी, बेरोजगारी आदि में कमी लाई जा सकती है और एक स्वस्थ एवं समृद्ध विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है।

(लेखक आर.डी.एस. कालेज, मुजफ्फरपुर में व्याख्याता हैं)

सदस्यता कूपन

मैं/हम कुरुक्षेत्र का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 70 रुपये, दो वर्ष के लिए 135 रुपये, तीन वर्ष के लिए 190 रुपये का (जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....

पता .....

..... पिन .....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली–110 066

*कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर **निदेशक, प्रकाशन विभाग** को नई दिल्ली में देय हो।*

बढ़ती जनसंख्या - राष्ट्र विकास में बाधक

राकेश शर्मा "निशीथ"

आर्थिक विकास का मूल मंत्र मानव संसाधन हैं। किन्तु इसकी अधिकता आर्थिक विकास की गति को कई गुणा बढ़ा देती है। विश्व के प्रमुख विकसित देशों को छोड़ कर इस समय लगभग सभी देश जनसंख्या–वृद्धि की समस्या से जूझ रहे हैं। आज से तीन सौ साल पहले पृथ्वी पर 51 करोड़ लोग थे। वर्ष 1804 में विश्व की जनसंख्या सिर्फ एक अरब थी। विश्व की जनसंख्या को 1927 में दो अरब पर पहुंचने में 123 वर्ष लगे थे। लेकिन 1999 में विश्व जनसंख्या को पांच से 6 अरब तक पहुंचने में मात्र 12 वर्ष लगे। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या पांच अरब को पार कर गई थी। प्रति वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप मे मनाया जाता है ताकि विश्व समुदाय बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणामों के प्रति सचेत रहे।

किसी देश के लिए सर्वोत्तम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर है अनुकूलतम जनसंख्या या आदर्श जनसंख्या। जनसंख्या का आकार और संगठन इस प्रकार होना चाहिए कि वह किसी विशेष समय में वहां के प्राकृतिक स्रोतों का अधिकतम शोषण करने में समर्थ हो। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, आर्थिक कल्याण और जीवन स्तर अधिकतम हो सकेगा। यदि वास्तविक जनसंख्या इस आदर्श कसौटी से अधिक है तो जनाधिक्य की समस्या पैदा हो जाएगी। यह हानिकारक होगी क्योंकि प्राकृतिक स्रोतों के अभाव में प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण और जीवन स्तर अधिकतम हो सकेगा। यदि वास्तविक जनसंख्या इस आदर्श कसौटी से अधिक है तो जनाधिक्य की समस्या पैदा हो जाएगी। यह हानिकारक होगी क्योंकि प्राकृतिक स्रोतों के अभाव में प्रति व्यक्ति आय पुनः कम हो जाएगी।

दुष्परिणाम

जनगणना 2001 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 102. करोड़ थी। एक अमरीकी एजेंसी पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2050 में भारत की जनसंख्या 153.30 करोड़, चीन की जनसंख्या 139.4 करोड़ तथा इसके बाद अमरीका तीसरे नंबर पर होगा। प्राकृतिक संसाधन बढ़ती आबादी की जरूरत को पूरी नहीं कर पाएंगे। उत्पादन की वृद्धि गणितीय होती है, जबकि जनसंख्या ज्यामितीय होती है। उत्पादन में चाहे कितनी ही वृद्धि क्यों न की जाए, बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। बढ़ती आबादी का परिणाम सबसे पहले बच्चों को भुगतना पड़ता है। घोर गरीबी में मां–बाप का हाथ बंटाने के लिए ये बच्चे दुनिया में आ तो जाते हैं, परंतु अपनी उम्र से अधिक काम करने और समाज की ज्यादतियों का शिकार होने वाले इन बच्चों की सुध लेने वाला कोई नहीं होता। शहरों की ओर पलायन से शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों के पनपने का खतरा बढ़ रहा है। इससे सामाजिक तनावों, पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ रहे हैं। बढ़ती आबादी ने गरीब–अमीर के बीच की खाई चौड़ी कर दी है।

जिस तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उससे हमारी चिकित्सा सुविधा व्यवस्था चरमरा जा रही है। कभी भारत में जल भंडार प्रचुर मात्रा में थे। जल की खपत बढ़ती जा रही है। मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण और प्राकृतिक संतुलन की अनदेखी करने पर आमदा है। ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तेज ध्वनि से चिड़चिड़ापन, तनाव, पुट्ठों का दर्द, बेचैनी, कार्य में नीरसता, दिल की गति में वृद्धि, रक्त में कोलस्ट्रोल की वृद्धि, अपच, रक्तस्राव, सिरदर्द, कान–दर्द, मितली, सांस फूलना जैसे रोग बढ़ रहे हैं। हमारे ऊर्जा संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। इसके कारण बिजली, कोयला और पेट्रोलियम उत्पाद कम पड़ते जा रहे हैं।

जनसंख्या नियंत्रण के बिना समस्याएं लगातार जटिल होती जा रही हैं। इसके लिए परिवार नियोजन के बारे में लोगों को भरपूर जानकारी देना आवश्यक हैं। नसबंदी, कॉपर–टी, कंडोम सहित अन्य संसाधनों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है। लोगों में यह भी भ्रम दूर किया जाना आवश्यक है कि इनका इस्तेमाल करने से महिलाओं में शारीरिक कुरुपता तथा पुरुषों द्वारा इस्तेमाल करने से कमजोरी आ जाती है। भारत जनसंख्या नियंत्रण के लिए दो स्तर पर प्रयास हो रहे हैं एक तो परिवार नियोजन कार्यक्रमों द्वारा लोगों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाना तथा दूसरा सामाजिक–आर्थिक प्रयासों द्वारा लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने के उपाय सुझाना। देश के अधिकांश समाजशास्त्री दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते हैं।

लड़कों को परिवार का वारिस समझा जाता है। लड़के की चाहत में लोग कई–कई लड़कियों को जन्म देते रहते हैं। आज भी भारतीय समाज पुरानी दकियानूसी दर्शन और विचार से चिपका हुआ है जितने हाथ होंगे उतने काम मिलेंगे, परिवार की गरीबी दूर होगी और एक दर्जन बच्चों

में यदि ग्यारह भी नालायक निकल गये तो कम–से–कम एक तो बुढ़ापे का सहारा अवश्य बनेगा। सामाजिक असुरक्षा का यह भाव मनोवैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के युग में भी मनुष्य को भाग्यवादी बनने पर विवश कर देता है। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता काफी हद तक देर से विवाह करने और पहले बच्चे के जन्म में जल्दी न करने की अवधारणा को मानने पर निर्भर करती है। इससे गर्भधारण सुरिक्षत होता है। मां का स्वास्थ्य ठीक रहता है तथा शिशु भी जीवित रहता है।

विभिन्न कार्यक्रम

जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए देश में 1996 से काहिरा मॉडल लागू है जिसके अनुसार आबादी को घटाने के लिए जनता पर कोई दबाव नहीं डाला जाता है बल्कि शिक्षा के जरिए उनमें छोटे परिवार के प्रति चेतना पैदा की जाती है, ताकि वह अपने विवेक से छोटे परिवार को अपनाएं। पूरी दुनिया में यही फार्मूला अपनाया जा रहा है।

भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम वर्ष 1951 में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण के लिए जन्म दर में कमी लाने के उद्देश्य से किया गया। विश्व में परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू करने वाला भारत पहला देश था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जन्म दर में उल्लेखनीय कमी हुई है। वर्ष 1951 और 2002 के बीच जन्म दर 40.8 से कम होकर 25.0 प्रति हजार जीवित जन्म हुई और इसी अवधि में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्मों से 146 से घटाकर 63 हो गई थी।

73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों के जरिये पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाये जाने और उन्हें स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और शिक्षा संबंधी अधिकार दिये जाने के के अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। मौजूदा समय में पांच राज्यों द्वारा निकाय व पंचायत चुनावों में दो बच्चों के फार्मूले को लागू किया गया है। ये राज्य हैं – राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा तथा दिल्ली।

देश में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जारी की गई है। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें परिवार नियोजन के उपायों पर ध्यान देने के साथ–साथ लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास की बात भी शामिल की गई है। इस नीति के अंतर्गत वर्ष के अनुसार 2010 तक 14 राष्ट्रीय सामाजिक, जनसांख्यिकी उद्देश्यों की पहचान की गई है। इसके अनुसार प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की आपूर्ति और आवश्यक ढांचा तैयार करना, 14 वर्ष तक स्कूली शिक्षा मुफ्त करना, शिशु मृत्यु दर 30 प्रतिशत से कम करना, मातृ अनुपात में कमी करना, टीका प्रतिरोधक बीमारियों में विश्वव्यापी प्रतिरक्षण दर हासिल करना, लड़कियों की शादी की उम्र को 20 वर्ष तक बढ़ाने के प्रयास आदि शामिल हैं।

देश में बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाने के लिए अब संप्रग सरकार ने नई व्यूह–रचना घोषित की है। इसके अनुसार केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने तेजी से बढ़ रहे उच्च प्रजनन दर वाले 170 जिलों को चिह्नित किया है। अगर अगले दो–तीन वर्षों में इन जिलों की आबादी पर काबू पा लिया जाए तो देश 2010 तक जनसंख्या स्थिर करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इन जिलों में सेना का एक सेवानिवृत्त अधिकारी, एक एमबीएस डॉक्टर तथा एक चार्टर्ड एकाउंटेंट निर्धारित समय के लिए कांट्रेक्ट पर तैनात किए जाएंगे। ये जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी की मदद से जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम का प्रबंधन एवं नियमन आधुनिक तरीके से कर सकेंगे। कार्यक्रम समें पंचायतों व स्थानीय निकायों की भी मदद ली जाएगी ताकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को छोटे परिवार के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। प्रत्येक जिले को चालू वित्त वर्ष के लिए एक करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया जाएगा। इसके कार्यक्रम के अंतर्गत निजी डॉक्टरों को नसबंदी के एक ऑपरेशन के लिए बारह सौ रुपये तथा सरकारी डॉक्टरों को पांच सौ रुपये दिए जाएंगे।

पिछले सालों में भारत का विकास–दर अच्छा रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान, अस्पताल, पाठशाला, सड़क, रेल, कार, जहाज, टेलीफोन आदि में विकास हुआ है लेकिन यह बढ़ोत्तरी कहीं दिखाई नहीं देती। उल्टे इनकी कमी ही नजर आती है। इसका मूल कारण है लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या। यदि हम प्रत्येक वर्ष दो प्रतिशत बढ़ें तो पांच साल में दुगुने और सौ साल में चौगुने हो जाएंगे। अतः समय रहते हमें अपनी बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाना होगा। तभी हमारा देश और विकसित हो सकेगा।

(साभार : पत्र सूचना कार्यालय)

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो और उसके साथ मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न हो। कुरुक्षेत्र में साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित नहीं की जाती हैं। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख संपादक, कुरुक्षेत्र कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग, गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011 के पते पर भेजें।

प्रगति के लिए आवश्यक है आबादी में संतुलन

मनोहर पुरी

व्यक्ति परिवार का केंद्र बिंदु है और परिवारों के समूह से ही समाज एवं राष्ट्र निर्मित्त होते हैं। राष्ट्र का एकमात्र ध्येय होता है अपनी सीमा में निवास करने वाले परिवारों की सुरक्षा और उनका कल्याण। व्यक्ति की सुरक्षा और समृद्धि की शाश्वत इच्छा ने ही उसमें रहने वाले लोग सुखी एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। जब लोग खुशहाल होंगे तभी राष्ट्र का अस्तित्व बना रहेगा। यदि कोई राष्ट्र हर तरह के धन–धान्य से परिपूर्ण हो परंतु वहां के निवासी गरीबी, बीमारी और कुपोषण के शिकार हों तो ऐसे देश को समृद्ध देश नहीं कहा जा सकता।

हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महान और आश्चर्यजनक विकास के साधन हमारे देश में भी विकसित हुए हैं। हमारी वैज्ञानिक क्रांति की प्रगति पाश्चात्य देशों की तुलना में नगण्य ही है। हमारी सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक समस्याएं विकास के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इन समस्याओं का मूल कारण है हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या। आबादी की अधिकता के कारण हमारे विकास के सभी कार्यक्रम अवरुद्ध होकर रह गए हैं। प्रगति का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाया। प्रगति के लाभ प्रत्येक परिवार के कल्याण के लिए उपलब्ध कराएं ताकि हम विश्व में अपने लिए सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकें।

हमारे नेताओ ने स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भविष्य की इस समस्या को जानकर अपनी योजनाएं बनानी प्रारंभ कर थीं। हमारे संविधान में भी हर व्यक्ति के कल्याण की अवधारणा को स्थान दिया गया है। भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक अरबों–खरबों रुपये देश की प्रगति के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं में लगाए गए हैं। योजनाबद्ध विकास के फलस्वरूप हमने अत्यधिक प्रगति की परंतु उसके बावजूद हम विश्व के सबसे गरीब देशों की श्रेणी में हैं। इसे एक विडम्बना भी कहा जा सकता है कि हम विश्व के गिने–चुने औद्योगिक देशों में अपना स्थान बना चुके हैं। आणविक क्षेत्र तक में हमारी सफलताओं के ध्वज फहरा रहे हैं। भारत न केवल खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्मनिर्भर है बल्कि खाद्यान्नों का निर्यातक भी बन गया है। सुई से लेकर स्पूतनिकों तक का निर्माण हम अपने बलबूते पर कर रहे हैं। परंतु आज भी गरीबी, भुखमरी, असाध्य रोग और बीमारी जैसी समस्याओं से हमें जूझना पड़ रहा है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारी सफलताएं और विश्व के मंच पर प्राप्त उपलब्धियां जनसंख्या वृद्धि के कारण व्यर्थ सिद्ध होती रही है। संक्षेप में आज भी हमारे देश पर वही पुरानी उक्ति का प्रयोग किया जा रहा है कि भारत निर्धन लोगों का समृद्ध देश है।

हमारे देश की आबादी 1901 में मात्र 84 लाख थी जो अब एक अरब का आंकड़ा पार कर चुकी है। देश में प्रतिवर्ष एक करोड़ 70 लाख लोगों की बढ़ोत्तरी हो रही है। इस आबादी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध करवाना किसी भी कल्याणकारी राज्य का दायित्व नहीं सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन के स्तर में उचित सुधार भी समय की मांग के अनुरूप आवश्यक है। इन सब वस्तुओं और सेवाओं के प्रबंध के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। धीरे–धीरे प्राकृतिक संसाधन रिक्त होने लगे हैं। हमारा भूमि क्षेत्र विश्व का मात्र 2.4 प्रतिशत ही है जबकि जनसंख्या है विश्व का छठा हिस्सा अर्थात लगभग 16 प्रतिशत।

यदि हमें उन्नत देशों की पंक्ति में खड़ा होना है तो हमें जहां अपना सकल उत्पादन बढ़ाना होगा, वहीं बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर जुटाने होंगे। इसके लिए बढ़ती हुई जनसंख्या पर प्रतिबंध भी लगाना होगा। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कन्याओं की संख्या में आने वाली गिरावट पर काबू पाया जाए। लिंगानुपात के असामान्य होने पर हमारे देश के प्रत्येक क्षेत्र में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। जब तक यह संभव न हो तब तक जनसंख्या का एक शक्ति के रूप में सकारात्मक उपयोग करना भी बहुत आवश्यक है। मानवीय श्रम का अधिक से अधिक सफलतापूर्वक उपयोग हो इसको ध्यान में रख कर देश की आर्थिक नीतियों पर नए सिरे से विचार करना जरूरी है।

मानव समाज की परिवार कल्याण की अवधारणाओं के अनुरूप हमारे देश में अनेक कार्यक्रम अपनाए गए हैं। इसी के फलस्वरूप हमने तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या पर काबू पाना शुरू कर दिया है। देश के विकास के लिए जरूरी है कि परिवार कल्याण के सभी साधन लोगों को वहीं पर उपलब्ध हों जहां पर वे रहते हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रमों का सरकार ने तेजी से विस्तार किया है। इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि गांवों से शहरों की ओर होने वाला पलायन रोका जा सके। भारत को गांवों के देश के रूप में जाना जाता है। पहले हमारे देश की 85 प्रतिशत जनता गांवों मे रहती थी। शहरों की ओर पलायन ने हमारी समस्याओं में बढ़ोतरी ही की है। गांवों का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो सकता। 1947 में भारत की देहातों में रहने वाली आबादी 30 करोड़ थी। जहां गांव में आबादी दोगुनी बढ़ी है वहीं शहरों की जनसंख्या में छः गुना तक बढ़ोत्तरी हुई है। आबादी के इस पलायन के कारण शहर फैलते जा रहे हैं। कस्बे शहर, शहर बड़े शहर और बड़े शहर महानगर बनते जा रहे हैं। शहरों में गंदी बस्तियों का विकास हो रहा है और उन्हीं में पनप रहे है नए–नए रोगों और अपराधों के कीटाणु।

सरकार ने परिवार कल्याण के कार्यक्रम बड़ी मात्रा में हाथ में लिए हैं। भारत में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत 1951 में जन्म दर को उस स्तर तक कम करने के लिए की गई थी, जो जनसंख्या को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को अनुरूप करने के लिए आवश्यक है। तब से यह कार्यक्रम परिवार नियोजन के लिए आवश्यक सुविधाएं, सूचनाएं और शिक्षण कार्य तेजी से किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बाल विकास के कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। साक्षरता के लिए व्यापक अभियान चलाये जा रहे हैं। इस बात को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया गया है कि देश का विकास परिवार कल्याण के माध्यम से ही संभव है क्योंकि स्वास्थ्य और मानव विकास किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण आर्थिक सामाजिक विकास के अनिवार्य घटक होते हैं।

(लेखक पत्रकार हैं)

लोक प्रशासन

(हिन्दी माध्यम)

By

Atul Lohiya

(A person who believes in scientific approach and hard work)

UGC-NET

QUALIFIED IN TWO SUBJECTS

(HISTORY & PUB. ADMINISTRATION)

अतुल लोहिया ही क्यों? क्योंकि...

- ★ केवल हम कराते हैं लोक प्रशासन का सम्पूर्ण एवं समग्र अध्ययन;
- ★ *UPSC* के साथ *UP, MP, Raj., Bihar, Uttaranchal, Jharkhand Chhattisgarh, Haryana, Himachal PCS* की भी तैयारी;
- ★ बेहतर समझ, बेहतर नोट्स एवं बेहतर प्रश्न अभ्यास तथा लेखन-शैली के विकास के समन्वित दृष्टिकोण पर आधारित मार्गदर्शन। अध्यापन की शैली-विशिष्ट व वैज्ञानिक।
- ★ लोक प्रशासन से संबंधित समसामयिक, किन्तु आवश्यक एवं उपयुक्त जानकारियों का समावेश।
- ★ अनावश्यक तथ्यों के संकलन द्वारा लोक प्रशासन को बोझिल बनाने के स्थान पर एक सरल तथा सुरूचिपूर्ण विषय के रूप में समझाने पर विशेष बल।
- ★ नोट्स - वैज्ञानिक तरीके से तैयार पूर्णतः संशोधित, परिमार्जित एवं परिवर्धित, (Pre. और Mains के लिए अलग-अलग) संदर्भ : 80 से 85 स्रोत;
- ★ **केवल हमारे नोट्स से प्रतिवर्ष UPSC (Pre.) में 112 से 115 प्रश्न तथा मुख्य परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक प्रश्न आए;**
- ★ Revision Notes - चार्ट के रूप में उपलब्ध कराने वाले एकमात्र शिक्षक;
- ★ हम देते हैं प्रत्येक क्लास का 40 प्रतिशत समय प्रश्न अभ्यास में और शेष समय विषय की बेहतर समझ एवं छात्रों की परिपक्व सोच को विकसित करने में।
- ★ इसके अतिरिक्त आप प्राप्त कर सकते हैं – प्रतियोगी वातावरण, कुशल परिचर्चा समूह, और भी...
- ★ लोक प्रशासन हिन्दी माध्यम में परिणामों में भी सबसे आगे...

लोक प्रशासन ही क्यों? क्योंकि...

आप एक लोक प्रशासक बनने जा रहे हैं ;

- ★ परीक्षा की चुनौतियों एवं बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अंकदायी विषय
- ★ भविष्य में सामान्य अध्ययन के अनिवार्य भाग के रूप में लोक प्रशासन को शामिल किए जाने की अधिकतम संभावना;
- ★ वर्तमान समय में भी अंकों के खेल में सबसे आगेः आपका अध्ययन 600 अंकों के लिए, लेकिन आप हल कर सकेंगे एक हजार से अधिक अंकों के प्रश्नः

  वैकल्पिक विषय - 600 + निबंध - 200 + G.S. (Polity) - 90 + G.S. (Social Problem) + G.S. Current Affairs + साक्षात्कार
- ★ प्रत्येक परीक्षार्थी द्वारा जिज्ञासावश भी अधिकांश सिलेबस का अध्ययन, जैसे - भर्ती, प्रशिक्षण, अलघ कमेटी, वेतन एवं सेवा शर्तें आदि।

अन्य विषयः **समाजशास्त्र** द्वारा **अनिल सिंह**

लोक प्रशासन

Mains के साथ-साथ Pre. के लिये भी बेहतर विकल्प

'अतुल लोहिया'

शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र भी

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध

(पूर्णतः संशोधित, परिमार्जित एवं परिवर्धित कम्प्यूटराइज्ड नोट्स)

MAINS - 2500/-

MAINS + PRE. - 3500/-

डाक खर्च - 200/- अतिरिक्त

Send DD/MO in favour of Atul Lohiya

New Batch (Delhi)-12th July & after UPSC (Pre.) Result

New Batch (Allahabad) After UPSC (Pre.) Result

"PRABHA"

AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

105, VIRAT BHAWAN (MTNL BLDG.), NEAR BATRA CINEMA, MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009

Phone : 27653498, 27655134, 32544250. Cell.: 9810651005 • e-mail: atullohiya@rediffmail.com

Branch : 305/250, COLONELGANJ, NEAR COLONELGANJ POLICE STATION, ALLAHABAD.

KH-07/06/03

जनसंख्या शिक्षा आर्थिक विकास में सहायक

चंदेश्वर यादव

जनसंख्या और आर्थिक विकास में घनिष्ठ संबंध है। किसी भी राष्ट्र के अधिकतम व सुनियोजित आर्थिक विकास हेतु अनुकूलतम व आदर्श जनसंख्या का होना जरूरी है। यदि उपलब्ध साधनों की तुलना में जनसंख्या कम है तो श्रमिकों की कमी के कारण श्रम विभाजन एंव विशिष्टिकरण का उचित अवसर नहीं मिलता है। इससे उत्पादन कम होता है तथा प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है। मतलब कम जनसंख्या विकास अवरोधक। इसके विपरीत यदि जनसंख्या आदर्श बिंदु से अधिक हो जाय तो इससे उत्पादन के क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील व अविकसित देशों में अधिक जनसंख्या पूंजी निर्माण में एक बड़ी बाधा है। आर्थिक समृद्धि के लिए कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में अधिक विनियोग की आवश्यकता है। अधिक विनियोग के लिए आवश्यक है कि देश में आर्थिक बचत हो, परंतु उच्च जन्म दर तथा अति जनसंख्या बचत को कम करती है। परिणामस्वरूप पूंजी निर्माण की दर आर्थिक विकास में बहुत बड़ी बाधा है। इसीलिए आर्थिक समृद्धि कायम करने हेतु शिक्षा के साथ–साथ जनसंख्या शिक्षा भी जरूरी है।

जनसंख्या वृद्धि आज एक प्रमुख मानवीय समस्या के रूप में उदित हुई है। इससे जीवन का प्रत्येक पक्ष प्रभावित हुआ है। व्यक्तिगत रूप से जहां व्यक्तियों के स्वास्थ्य, धन तथा प्रसन्नता पर इसका प्रभाव पड़ा है वहीं अंतरराष्ट्रीय मंच पर शांति एवं सुरक्षा पर तमाम प्रश्न उठने लगे हैं। न्यूनतम आवश्यकताओं (रोटी, कपड़ा और मकान) की पूर्ति बाधक होने लगी है। जीवन स्तर में तेजी से गिरावट को आसानी से देखा जा सकता है। जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि के कारण ही तमाम सामाजिक, राजनैतिक तथा शैक्षिक समस्याएं चारों ओर परिलक्षित होने लगी हैं। मानव की मानव का भक्षक होता जा रहा है। प्रकृतिक आपदाएं (प्लेग, जेई, कैटरीना, सुनामी, रीटा आदि) का कारण भी जनसंख्या वृद्धि ही है क्योंकि प्रकृति अपना संतुलन बराबर बनाकर रखना चाहती है।

जनसंख्या वृद्धि की समस्या वर्तमान में किसी राष्ट्र की सीमा तक ही सीमित नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या हैं। ये अलग बात है कि विकसित देशों की अपेक्षा विकासोन्मुख देशों में गंभीर रूप धारण किए हुए है। भारत की स्थिति भी किसी से छुपी नहीं रही। भारत में जनसंख्या वृद्धि कैसे रुके यह प्रश्न बन चुका है।

स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक जनसंख्या में हुई दशकीय वुद्धि दर इस प्रकार है–

वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि दर (प्रतिशत)
1951	361088090	13.31
1961	439234771	21.51
1971	548159652	24.80
1981	683329097	24.66
1991	846302688	21.34

अशोक मेहता ने जनसंख्या वृद्धि को इस प्रकार वर्णित किया है–जनसंख्या वृद्धि भारतीय दुर्ग में छिपा हुआ ऐसा भयंकर शत्रु है जो हमारे समस्त योजनाओं को नष्ट कर रहा है। यदि बेकारी दूर करनी है, अन्न संकट से निजात पाना है, आवास की समस्या सुलझानी है या प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है, तो हमें जनसंख्या वृद्धि पर कठोर नियंत्रण करना पड़ेगा।

डा. चंद्रशेखर ने तो जनसंख्या वृद्धि के कारण भारतवर्ष को संतानोत्पत्ति का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कह डाला। स्थिति की भयावहता के लिए जरूरी है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझते हुए उसका उचित निर्वहन करे। तीव्रता से हो रही जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने हेतु शासन–प्रशासन स्तर पर क्रियाकलाप तय किये जाने चाहिए। स्थानीय स्तर पर खासतौर से ग्रामीण अंचलों में भी ग्राम प्रधानों को सहयोग के लिए आगे आकर लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रेरित करना चाहिए। समस्या से निजात पाने तथा दूरगामी परिणाम हेतु प्रत्येक व्यक्ति को जनसंख्या शिक्षा की जानकारी दी जानी चाहिए।

मुंबई में आयोजित नेशनल सेमिनार ऑन पॉपुलेशन एजुकेशन में जनसंख्या शिक्षा के संबंध में कहा गया है कि–

- परिवार के आकार को नियंत्रित किया जा सकता है।
- जनसंख्या को सीमित करने से राष्ट्र में उच्च स्तर के जीवन का विकास सरल हो सकता है।
- छोटा परिवार व्यक्तिगत स्तर पर भौतिक दृष्टि से गुणात्मकता को ऊंचा उठा सकता है।

- परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य एवं कल्याण की सुरक्षा की दृष्टि से नई पीढ़ी के बेहतर संभावनाओं की दृष्टि से तथा परिवार के आर्थिक स्थायित्व की दृष्टि से आज भारतीय परिवार छोटे होने चाहिए।

दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जनसंख्या की द्रीव गति से वृद्धि के परिणामस्वरूप मानव–जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक पक्षों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के प्रति जागरूकता एवं संबंध समाधानों के विषय में वैचारिक क्रांति की शैक्षिक व्यवस्था ही जनसंख्या शिक्षा है। जनसंख्या शिक्षा को यौन शिक्षा पारिवारिक जीवन की शिक्षा तथा परिवार नियोजन की विधियों से पृथक करके इसके शुद्ध स्वरूप को समझा जा सकता है।

फरवरी 1978 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तक पापूलेशन क्लासरूम में जनसंख्या शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य प्रतिपादित किए गए हैं–

- जनसंख्या वृद्धि के मुख्य अवयव जैसे जन्मदर, मृत्यदर तथा वृद्धि–दर इत्यादि की जानकारी को विकसित करना।
- राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या की प्रवृत्ति के अवबोध को विकसित करना।
- यह अनुमान करना है कि जनसंख्या जन्म–दर में अंतर बढ़ने से बढ़ती है।
- यह प्रचार कि भारत में दूसरे देशों की अपेक्षा निर्भरता अनुपात ऊंचा है।
- विद्यार्थियों को जनसंख्या संबंधी चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र और सांख्यिकी आंकड़ों के प्रयोग एवं व्याख्या में निपुण करना।
- छात्रों का परिवारों के मानक के प्रति वांछित दृष्टिकोण तैयार करना।
- सही समय पर परिवार के आकार के बारे में सही निर्णय की क्षमता विकसित करना।

जनसंख्या शिक्षा के संबंध में भारतीय परिवार नियोजन संघ की अध्यक्षा और जनसंख्या शिक्षा के मामले में अग्रणी श्रीमती आभाबाई बी. वाडिया ने लिखा है, आने वाली पीढ़ी को हर हालत में समय पर और विभिन्न स्तरों पर पढ़ाई के माहौल में यह जानने का आदेश दिया जाना चाहिए कि जनसंख्या की यह आधुनिक और विकराल समस्या क्या है, जीवन के सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक पहलुओं में यह किस तरह काम कर रही है और मानव जीवन में स्वरूप को यह किस तरह प्रभावित कर रही है" जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व इस प्रकार हैं–

- परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु जनसंख्या को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। चूंकि भारत की अधिकांश जनता अशिक्षित, अंधविश्वासी, रूढ़िवादी व धार्मिक कट्टरता से घिरी है इसलिए वह समझती है कि बच्चे ईश्वर की देन है, अतः ईश्वर के कार्य में रुकावट डालना उचित नही है। धार्मिक नेताओं को जो खुद को धर्म का ठेकेदार मानते हैं अपने रूढ़िवादी विचारों की बयानबाजी बचना चाहिए।
- जनसंख्या शिक्षा के जरिए ही जनमानस को जनसंख्या वृद्धि के कुपरिणामों से अवगत कराया जा सकता है। सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए जनसंख्या का सीमित होना ही एकमात्र उपाय है। समाज में व्याप्त लड़कों के प्रति 'बुढ़ापे की लाठी' तथा लड़कियों के प्रति दूसरे की अमानत' जैसी लिंग भेद भावना से उबारना होगा।
- परिवार की सुख–शांति व देश की समुचित विकास हेतु जनसंख्या शिक्षा के द्वारा ही लोगों में यह चेतना जागृत की जा सकती है यदि जनसंख्या कम होगी तो देश के विकास की उपलब्धियों का उचित लाभ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यदि जनसंख्या वृद्धि की गति इसी प्रकार जारी रही तो हमें देश के विकास का कोई लाभ नहीं मिलने वाला नहीं।
- जनसंख्या शिक्षा समाज में व्याप्त सामाजिक बुराईयों जैसे चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बाल–मजदूरी आदि को अलविदा कहने में भी कोई मददगार साबित होगा।

स्थितियां चाहे जो हो जनसंख्या शिक्षा भारत के साथ–साथ पूरे विश्व के लिए अनिवार्य है। यदि जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश नहीं लगा तो यह कहना कदाचित गलत न होगा कि 'हमारी प्रगति रेत पर लिखने के समान होगी जिसको जनसंख्या वृद्धि की लहरें मिटा देंगी'। अतः प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र की समृद्धि हेतु अपने सहयोग को अहमियत देते हुए अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक व सजग हो जाना चाहिए। इसी में व्यक्ति के साथ–साथ राष्ट्र की भलाई है।

(लेखक बुद्धा यूनिवर्सल डेवलपमेंट संस्थान से सम्बद्ध हैं)

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

बढ़ती आबादी की चुनौतियां

प्रतापमल देवपुरा

तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या हमारे देश और विशेषकर प्रदेश के लिए ज्वलंत समस्या बनी हुई है। आम आदमी के जीवन का कोई भी पक्ष इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। बेतहाशा बढ़ती आबादी ने हमारे आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्षों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। खासतौर पर परिवार की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान की आपूर्ति में भी कठिनाइयां आ रही हैं। रोजगार के अवसर कम होने से गरीबी एवं बेरोजगारी बढ़ी है। जल, जंगल एवं जमीन सभी घटते जा रहे हैं। ऊर्जा की खपत बढ़ने से प्राकृतिक स्रोत समाप्त हो गए हैं। चिकित्सा सुविधाएं तंगहाल है। पर्यावरण के बिगड़ने और शहरीकरण के बढ़ने से अनेक नई समस्याएं पैदा हो रही है। देश एवं प्रदेश में आज निरंतर बढ़ती जनसंख्या ही विकास में सबसे बड़ी बाधा है।

विकास एवं बेहतर जीवन स्तर से जनसंख्या का गहरा संबंध है। अनियंत्रित रूप से बढ़ रही आबादी हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। यदि हम परिवार कल्याण के साथ–साथ मानव संसाधन विकास एवं प्रबंधन की ओर ध्यान लगाएं तो स्थिति पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण हेतु तात्कालिक एवं व्यवहारिक प्रयासों की आवश्यकता है। भारत सरकार ने जनसंख्या और विकास के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीपीडी) के लक्ष्यों पर 1994 में हस्ताक्षर करने के बाद देश की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 बनाई, जो लिंग के मुद्दे को लेकर ज्यादा संवेदनशील है और ज्यादा प्रगतिशील सोच पर आधारित है। आईसीपीडी के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए लक्ष्य तय करने की नीति को छोड़ दिया गया है। देखना यह है कि यह नीति क्या रंग लाती है?

विश्व जनसंख्या का बदलता स्वरूपः 20वीं सदी की शुरूआत में दुनियां की आबादी लगभग 1.5 अरब थी, वह 1960 के आते–जाते दो गुनी हो गई और 1999 तक चौगुनी हो गई। 12 अक्टूबर, 1999 को विश्व की आबादी 6 अरब अर्थात् 600 करोड़ को पार कर गई। पिछले 12 वर्षों में विश्व आबादी में एक अरब नए मुंह और जुड़ गए हैं। बढ़ती आबादी की इतनी तेज रफ्तार का प्रभाव संपूर्ण विश्व में तो होता ही है परंतु विकासशील देशों पर यह प्रभाव ज्यादा दृष्टिगोचर होने लगा है। सन् 1960 में 70 प्रतिशत हो गई है। विकासशील देश ही 95 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि के लिए भी उत्तरदायी है।

भारत की बढ़ती जनसंख्याः देश की आजादी के बाद वर्ष 1951 में जब जनगणना हुई तब हम 36.42 करोड़ थे। अब वर्ष 2001 में हम 102. 70 करोड़ है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि आजादी के बाद जनसंख्या बढ़कर तीन गुणा हो गई।

बढ़ती आबादी–बढ़ते गरीबः हमारे देश में आबादी के बाद जनसंख्या तीन गुणा हो गई है। देश में विकास करने एवं गरीबी हटाने के तमाम दावों के बावजूद आज विश्व में हम एक गरीब लोकतांत्रिक देश के रूप में पहचाने जाते हैं। देश में आज भी 35 करोड़ लोग अशिक्षित हैं। यह संख्या आजादी के समय की जनसंख्या के बराबर है। जो कुछ शिक्षा व्यवस्था हमने कर रखी है। वह भी नाम मात्र की ही व्यवस्था है। 30 से 35 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं जिन्हें दो जून की रोटी भी नसीब नहीं है। चिकित्सा व्यवस्था गांवों में नाममात्र की है। जबकि शहरों में प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे चलती है। पंचायत स्तर को तो जाने दें ब्लॉक स्तर पर भी चिकित्सा की समुचित व्यवस्थाएं नहीं है। लोगों के पास न तो रोजगार है न ही अपनी खेती बाड़ी। सिंचाई की व्यवस्था पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है बिजली की आंख मिचौली चलती रहती है। इतना सब होने पर गरीबी मिटाने का स्वप्न किस प्रकार पूरा कर सकते हैं। ऊपर से बढ़ती जनसंख्या का बोझ रही सही कसर भी पूरी कर देती है।

भारत की जनसंख्या

वर्ष	जनसंख्या	वृद्धिदर प्रतिशत
1951	361.1	13.31
1961	439.2	21.51
1971	548.2	24.66
1981	683.2	24.66
1991	843.9	23.86
2001	1027.0	21.34

देश की आबादी में हर वर्ष 1.9 करोड़ का इजाफा होता है। ऐसे में संतोष की बात यही है कि आठवें दशक तक जो जनसंख्या वृद्धि दर थी, उस पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। हालांकि इससे भी तुरंत जनसंख्या का बढ़ना कम नहीं होगा। पोपुलेशन मोमेंटम की वजह से आबादी तो अब भी बढ़ती रहेगी।, लेकिन अभी ब्रेक हुआ है तो 15–20 साल बाद आबादी कम होने लगेगी। हमारी उम्मीद है कि 2050–2060 तक भारत की आबादी बढ़ने की दर एक प्रतिशत हो जाएगी। अभी यह दर 2.8 प्रतिशत है। पहले 2015–2016 तक यह घट कर 2.1 होगी और इसके बाद क्रमशः यह रफ्तार और भी कम होती जाएगी। 2060 तक भारत की आबादी 160 तक करोड़ पहुंचने की आशंका है। इस कारण हमारे सामने कुछ चुनौतियां तेजी से उभरती जा रही है।

युवा शक्ति का सही इस्तेमालः हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है बढ़ती हुई युवा शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल करना। हमारी आबादी मे 0–14 साल तक के बच्चों की जन्म दर तो गिर रही है और आगे इसमें और गिरावट आने की संभावना है जबकि 17 साल से लेकर 45 साल की उम्र तक के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। यह हमारा सबसे बड़ा डेमोग्राफिक बोनस है। अगर इस श्रम शक्ति का इस्तेमाल हम बेहतर ढंग से कर पाए तो देश की तरक्की संभव है। यह स्थिति शायद 20–30 साल बाद नही रह सकेगी।

युवा शक्ति के लिए शिक्षा और रोजगार की समुचित व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में अनेक राजकीय एवं गैर–राजकीय संस्थाओं की संख्या बढ़ रही है परंतु उनमें देश की आवश्यकतानुसार युवाओं को शिक्षित प्रशिक्षित करना जरूरी है। दूसरी आवश्यकता युवा शक्ति को रोजगार देने की है। दर–दर भटकते युवा एवं रोजगार कार्यालयों के आकड़ें यह प्रमाणित करते हैं कि युवा शक्ति के लिए किए जाने वाले वादे केवल वादे हैं। यंत्रीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण ने तेजी से विकास तो किया है परंतु बेरोजगारी को और अधिक बढ़ावा दिया है। यदि हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो युवा वर्ग गलत दिशा में प्रवृत्त हो जाएगा जाएगा परिणाम खमियाजा देश के लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा।

बुजुर्गों के लिए सेवा में विस्तारः अगल 20–30 वर्षों में साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों की आबादी में काफी बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए उनकी चिंता हमें अभी से करनी चाहिए। भारत में भी संयुक्त परिवारों के बिखरने से अब वृद्धजन अधिक अकेले होते जा रहे हैं। उनकी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, आर्थिक स्वतंत्रता आदि का व्यापक पैमाने पर प्रबंध किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में आरंभ की गई एकाकी वृद्धाश्रमों की व्यवस्था ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो रही है। चिकित्सा सेवाएं अपर्याप्त है। अतः बुजुर्गो के लिए व्यापक रूप से नीति निर्धारित कर इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक विस्तारः बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में जनसंख्या पर नियंत्रण के तमाम उपाय कारगर नहीं हो रहे है। खासकर ग्रामीण इलाकों में ये सुविधाएं कैसे आम लोगों तक पहुचाई जाए? इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। पंचायतों में स्थित उपस्वास्थ्य केंद्रों पर मात्र कुछ गोलियों का वितरण ही स्वास्थ्य सेवा मान लेना कहां तक उचित होगा? पहली बात साधनविहीन स्वास्थ्य केंद्र लोगों को किस प्रकार स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं? दूसरी बात बिना प्रशिक्षित कर्मियों के चिकित्सा भवन किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं? इन सेवाओं के अभाव में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय कारगर नहीं हो पाते हैं हालांकि बेहतर जीवन की चाह में लोग नियंत्रण चाहते हैं लेकिन बेहतर स्वास्थ्य सेवा नही हाने से इसे अपनाने में मुश्किलें होती हैं। आबादी के 70 फीसदी लोग तो आज भी ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं। वे भी जानते हैं कि इससे स्त्रियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। उन्हें नहीं पता होता कि 0–5 साल की उम्र के उनके कितने बच्चे जीवित बचेंगे। उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देकर ज्यादा जनसंख्या को रोका जा सकता है। आने वाले समय में जितना जल्दी हम इस चुनौती का मुकाबला सफलातापूर्वक करेंगे उतना ही जल्दी आबादी पर नियंत्रण करने में सफल हो सकेंगे।

शिक्षा सेवाओं का सुदृढ़ीकरणः गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी शिक्षा के बिना लोगों में जागृति उत्पन्न करना संभव नहीं है। परंतु अनेक गांवों एवं कस्बों में आज तक भी विद्यालय नहीं खुल सके है। जिन गांवों में विद्यालय खोले भी गए है वहां पर 5वीं कक्षा तक की शिक्षा तक के लुंज–पुंज इंतजाम हो सके हैं। वहां प्रायः अच्छे शिक्षकों का अभाव रहता है। यह व्यवस्था लोगों को मात्र साक्षर बना सकती है। क्या ऐसी शिक्षा प्राप्त लोग तेजी से बदलते जमाने के साथ दौड़ पाएंगे? अधिकांश पंचायतों में प्रायः 8वीं तक की शिक्षा के लिए एक स्कूल बनाया गया है। वे बच्चों के घर से 5–7 किलोमीटर दूर होते हैं। वहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं फिर भी उसके बाद उनकी शिक्षा प्रायः बंद हो जाती है क्या इस उम्र तक बच्चों में स्वयं के विवाह एवं परिवार से संबंधित निर्णय लेने की क्षमता का विकास संभव हो जाता है? व्यवहारगत परिवर्तन एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास तो कुछ अधिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही संभव है अतः आबादी पर नियंत्रण के लिए शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं कारगर बनाने की बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है।

लिंग असमानता की चुनौतीः चीन में नई आबादी नीति के कारण दो दशक के भीतर ही 100 लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या 105 और फिर 117 हो गई। भारत में भी कन्या भ्रूण हत्या के कारण लड़कियों की संख्या कम हो गई है और ऐसा निरंतर हो रहा है। हमारे देश में 2001 की जनगणना के अनुसार 107 पुरुषों की तुलना में मात्र 100 महिलाएं है। देश में कुछ राज्यों व नगरों में तो 125 पुरुषों की तुलना में मात्र 100 महिलाएं ही रह गई है। इस चुनौती का सामना करने के लिए बेटे की चाह में होने वाली कन्या भ्रूण हत्या को रोकना हमारी0 प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में कन्याओं का अनुपात घटता जाएगा और अलग 20–वर्षों में लोगों की शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलेगी। इसलिए नीति के स्तर पर कन्या के जन्म को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लोगों के मन से यह धारणा दूर करनी चाहिए कि बेटा होना ही शुभ है और बेटी होना अशुभ। अगर लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाएंगी और उनके लिए प्रोत्साहन स्कीम चलेगी तब कहीं जाकर लोगों के मन में लड़कियों को लेकर भेदभाव को दूर किया जाना संभव होगा।

पर्यावरण संरक्षणः दिन–प्रतिदिन बिगड़ता पर्यावरण पूरे विश्व में चिंता का विषय बना हुआ है। पर्यावरण के तमाम घटक जल, जंगल, जमीन, वायु, आदि का प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। पीने का शुद्ध जल आधी जनसंख्या के लिए आज भी उपलब्ध

नही है। ऊर्जा की बढ़ती खपत ने परंपरागत साधनों जैसे पेट्रोल एवं कोयले के अधिकाधिक उपयोग ने वायुमंडल को दूषित कर दिया है। औद्योगिकरण एवं शहरीकरण से जंगल समाप्त हो गए हैं। उद्योग एवं शहरों से निकलने वाली गंदगी से भूमि प्रदूषण बढ़ा है। प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ करने से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मौसम परिवर्तन, समुद्र व जीव–जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण ह्रास का प्रभाव जीव–जगत की तमाम गतिविधियों पर पड़ रहा है। वर्षा चक्र में बदलाव, बढ़ता तापमान एवं पिघलते हिमखंडों ने अपना असर दिखना आरंभ कर दिया है। अधिक आबादी के कारण अधिक उत्पादन और अधिक खपत से उपजे असंतुलन को मिटाना आज बहुत बड़ी चुनौती है।

दरअसल, भारत और चीन दोनों के लिए उसकी जनसंख्या बहुत बड़ी संपदा है। भारत और चीन दोनों आज बहुत बड़े आर्थिक बाजार है तो केवल अपनी जनसंख्या की ताकत के कारण ही। जनसंख्या नियंत्रण का कार्य जबरदस्ती नहीं हो सकता है। जैसे–जैसे जागरूकता आएगी और बेहतर जीवन के प्रति लोगों का रूझान होगा जनसंख्या नियंत्रण खुद–ब–खुद होता जाएगा। आज कोई भी माता–पिता ज्यादा बच्चे नहीं करना चाहते। हमारे देश में केरल में उच्च साक्षरता दर, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और अच्छी आर्थिक के कारण जन्म दर संतुलित है। बढ़ती आबादी की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने, लोगों में जागरूकता बढ़ाने और परिवार नियोजन के विकल्प मुहैया कराने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

(लेखक पत्रकार हैं)

रेगिस्तान में खेती

वी.के. अब्दुल्ला

गुजरात के अंजार कस्बे से लगभग 15 किलोमीटर दूर पांठिया गांव में सड़क के किनारे सूखेवाले क्षेत्र के बीचोंबीच हरियाली का एक टुकड़ा किसी की नजर से बच नहीं सकता है। रेगिस्तान में नखलिस्तान जैसा वह जमीन का टुकड़ा सहकारी ग्रामीण विकास ट्रस्ट का 165 एकड़ का बागवानी फार्म है जहां केसर आम, जामुन, नारियल, चीकू, काजू आदि के पेड़ हैं और गन्ने तथा मूंगफली की खेती भी है। यह ट्रस्ट देश की सबसे बड़ी रासायनिक खाद बनाने वाली सहकारी कंपनी इंडियन फारमर्स फर्टीलाइजर्स कॉपरेटिव–इफ्फको का है

धारणा टूटीः यह फार्म आठ साल पहले नवीनतम कृषि तकनीकों में किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए शुरू किया गया था। इसने साबित कर दिया है कि जहां चाह है वहां राह है। कच्छ क्षेत्र, जहां बहुत कम वर्षा से नर्मदा के पानी का इंतजार कर रहा है। पर्याप्त पानी न होने के कारण इस क्षेत्र में कृषि कार्य संभव नहीं है। सभी की आम राय यही है, लेकिन इस ट्रस्ट ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है। और पिछले आठ वर्षों में यह फार्म कामयाब बागवानी का प्रतीक बन गया है।

जल संरक्षण प्रणालियांः सहकारी ग्रामीण विकास ट्रस्ट ने इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए नलकूपों का इस्तेमाल किया है। फार्म में तीन गहरे नलकूप हैं। जब वहां बिजली होती है, तो पानी निकालकर बड़े–बड़े टैंकों में भर दिया जाता है और फार्म की सिंचाई की जाती है। हैवी ड्यूटी पंपों का इस्तेमाल करके पानी 500 फुट गहराई से खींचा जाता है। इससे भूमिगत जल समाप्त नहीं होगा। हमने भूमि की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपाय किए है। वर्षा जल संग्रहण की पूरी व्यवस्था की गई है और पानी इकट्ठा करने के लिए बड़े–बड़े जलाशय बनाये गए हैं। वर्षा के पानी की एक बूंद भी बेकार नहीं जाती है। इससे भूमिगत जल की कमी पूरी हो जाती है।

इस फार्म की सफलता ने छोटे और बड़े कई जमींदारों की आंखे खोली हैं। कइयों ने अपने यहां भी इसी तरह के सफलतापूर्वक प्रयास किये हैं। पास के गांव के करमसिंग राबड़ी का कहना है कि मैंने इस फार्म से कई बातें सीखीं हैं और मैं इन्हें अपने तीस एकड़ के फार्म में लागू कर रहा हूं।

यंत्रीकृत खेतीः इस फार्म में पूरी तरह से मशीनों का उपयोग हो रहा है। ट्रैक्टर तथा फसल काटने की कई मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं। आजकल आमों का मौसम है सब जगह केसर आम दिखाई दे रहे हैं। रसीले सुनहरे आम, आने जाने वालों को यह संदेश दे रहे हैं कि इस तरह की सफलता सभी जगह प्राप्त की जा सकती है।

फार्म में 15 कामगारों को सीधे सालभर का रोजगार मिला हुआ है। ये लोग पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं और फार्म में आने वाले अधिकारियों की सलाह को पूरी तरह से मानते हैं।

बागवानी के नये तरीकेः अहमदाबाद के पास कलोल में और उत्तर प्रदेश में फूलपुर में हमारे फार्म हैं इन फार्मों के उत्पाद बेचते हैं जिससे पैसा मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी कमाई किसानों की कर्त्तव्यपरायणता। वे यहां आते हैं और बागवानी के नये–नये तरीकों की समझ लेकर जाते हैं।

इफ्फको अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहा है। गांव के युवाओं की मदद के लिए इफ्फको एक विशेष उद्यमी कोष बनाने की योजना तैयार कर रहा है, जिससे कि ये युवा गांवों में ही अपने उद्यम लगा सकें। बागवानी के अलावा इफ्फको बड़ी संख्या में महिलाओं को भी प्रशिक्षण देने की भी सोच रहा है। उन्हें डेयरी कार्य, मछली पालन और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वे अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगी इसके लिए आंध्र प्रदेश में नेल्लोर में नया फार्म स्थापित किया जा रहा है।

(लेखक गुजरात क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रचार विभाग के निदेशक हैं)

जनसंख्या स्थिरीकरण में शिक्षित महिलाओं की भूमिका

दयाशंकर सिंह यादव

फ्रांस के गणितज्ञ मारक्विज अगर बच्चे खुशहाली के अस्तित्व के लिए, तो जनसंख्या में सदी में विश्व के अधिकांश देश रहे हैं। शुरू से लेकर 1830 तक विश्व थी, किंतु अगले 100 वर्षों में ही अर्थात जनसंख्या वृद्धि की यह गति और तीव्र अरब की और वृद्धि हो गयी। 1975 अरब हो गयी और अगले 12 वर्षों में 11 जुलाई 1987 को विश्व की कुल कर गयी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व की जनसंख्या 6.5 अरब पहुंच

डी कंडरसेट ने 1795 में लिखा था कि लिए पैदा किए जायें, न कि मात्र- स्वयं ही स्थिरता आ जायेगी। 21वीं जनसंख्या विस्फोट की समस्या से जूझ की कुल जनसंख्या केवल एक अरब 1930 तक जनसंख्या दो गुनी हो गयी। हुई और केवल 30 वर्षों में ही एक तक विश्व की जनसंख्या बढ़कर चार पुनः एक अरब की और वृद्धि हुई अर्थात जनसंख्या 5 अरब के बिन्दु को भी पार सहस्त्राब्दि में प्रवेश के साथ ही पूरे गयी है। सांख्यिकी दृष्टि से अनुमान लगाने पर पता चला है कि 2015 तक यह 7.29 अरब एवं 2050 तक 9.37 अरब हो जायेगी। इस प्रकार विश्व जनसंख्या निरंतर गुणात्मक रूप से बढ़ रही है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रसिद्ध जनसंख्या शास्त्री माल्थस के विचार सत्य सिद्ध हो रहे हैं। उनका कथन है कि खाद्य सामग्री में वृद्धि सदैव अंकगणितीय क्रम जैसे– 1, 2, 3, 4..... में होती है तथा जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय क्रम जैसे 2, 4, 8, 16..... में बढ़ती है।

जनसंख्या विस्फोट के परिणामस्वरूप लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों जैसे–भूमि, वायु, जल आदि के अनियंत्रित तथा अव्यवस्थित उपयोग ने प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ दिया है जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति भूकंप, सूनामी, सूखा, बाढ़, तूफान, चक्रवात, अनियमित वर्षा आदि के माध्यम से अपनी नाराजगी अभियव्यक्त कर रही है। जनसंख्या विस्फोट ने मूल प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है जिसका दुष्परिणाम वर्तमान में संपूर्ण विश्व को भुगतना पड़ रहा है।

आज विश्व की 16.7 प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास कर रही है, जबकि विश्व की भूमि का 2.4 प्रतिशत ही भारत के हिस्से में है। भारत की वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर 1.93 प्रतिशत वार्षिक है। जबकि चीन की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 0.95 प्रतिशत रह गयी है। भारत की वर्तमान जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अब लगभग 25 करोड़ ही कम है। 1999–2001 के दशक में भारत की जनसंख्या में निरपेक्ष वृद्धि जहां 18. 10 करोड़ की हुई है वहीं विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश चीन में 1990–2000 के दशक में 13.22 करोड़ की वृद्धि हुई है। दोनों राष्ट्रों में जनसंख्या वृद्धि को वर्तमान स्थिति को देखते हुए 2025–50 के मध्य कभी भी भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो सकती है। एक सांख्यिकीय अनुमान के अनुसार पूरे भारत वर्ष की जनसंख्या 2021 में 134.5 करोड़ एवं 2025 में 164.6 करोड़ हो जायेगी। जनसंख्या की दृष्टि में उत्तर प्रदेश ने पाकिस्तान की जनसंख्या के आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया है।

आज भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनसंख्या स्थिरीकरण की है। जनसंख्या की समस्या ने आज देश सरकार तथा प्रशासन के समक्ष गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर दी है। यह चुनौती इस विशाल जनसंख्या के लिए भोजन, मकान, कपड़ा, रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, आदि उपलब्ध कराने की है। जनसंख्या वृद्धि ने सरकार की अनेक विकास योजनाओं को अप्रासंगिक बना दिया है। यदि कोई योजना वर्तमान में प्रस्तुत की जाती है तो उसे पूरा होने तक जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी होती है कि संबंधित योजना की प्रासंगिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। वर्तमान में सड़क, अस्पताल, विद्यालय, शुद्ध पेय जल, विद्युत आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाएं जनसंख्या के दबाव के सामने स्वयं को असहाय महसूस कर रही हैं। जनसंख्या विस्फोट से रोजगार की स्थिति पर बेहद गंभीर प्रभाव डाला है तथा वर्तमान में करोड़ों व्यक्ति रोजगार के तलाश में हैं। किसी छोटे से छोटे पद के लिए बड़े से बड़े डिग्रीधारी लाइन में लग जा रहे हैं। इस जनसंख्या विस्फोट ने देश के आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला है। प्रख्यात अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ नेशन्स' में लिखा है कि 'वास्तव में मनुष्य का प्रयत्न तथा योग्यता ही अंततः समस्त आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं का स्रोत है। देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का उचित विदोहन करने के लिए आवश्यक है। कि देश में जनसंख्या का आदर्श अनुपात हो। भारत में प्राकृतिक संसाधनों तथा जनसंख्या के मध्य असंतुलन ने अनेक सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को जन्म दिया है।

बढ़ती जनसंख्या इस समय देश की वह गंभीरतम समस्या है जिस पर कम से कम पिछले दो दशकों से लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है वैसे तो भारत में लगभग पांच दशक पहले से ही, 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हो गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम के वांछित परिणाम न मिलने और इसके विफल हो जाने के बाद से जनसंख्या नियंत्रण संबंधी चिंता और गहरा गयी है। आस्ट्रेलिया की जनसंख्या जितनी है उतनी भारत में प्रति वर्ष बढ़ रही है। यह एक गंभीर मामला है। चिंता और आत्मचिंतन का विषय है। चिंता इस बात की है कि

जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि का प्रभाव राष्ट्र के आर्थिक, प्राकृतिक और अन्य संसाधनों पर पड़ेगा और आत्म चिंतन यह करना होगा कि हमने गलती कहां की और जनसंख्या स्थिरीकरण हम कैसे ला सकते हैं। इसी गंभीर चिंता को ध्यान में रखते हुए फरवरी 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तथा 11 मई 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का तात्कालिक उद्देश्य गर्भ निरोधकों की अपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करना, स्वास्थ्य कर्मियों पर ध्यान देना और बुनियादी सुपुर्दगी की व्यवस्था करना है। इस नीति का मध्यावधिक उद्देश्य अंतर क्षेत्रक कार्यात्मक कार्यनीतियों के ठोस कार्यान्वयन के माध्यम से वर्ष 2010 तक ही टीएफआर को प्रतिस्थापन स्तर तक लाना है। दीर्घकालिक उद्देश्य वर्ष 2045 तक ऐसे स्तर पर जनसंख्या स्थिरीकरण हासिल करना है जो चिरकालिक आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के अनुरूप हो। परंतु इसकी सफलता पूर्ण रूप से महिला शिक्षा और परिवार में उनकी हैसियत पर निर्भर करेगी।

जनसंख्या नियंत्रण में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। ऐसा पाया गया है कि एक तरफ आबादी के आकार और उसके विकास के बीच तथा दूसरी तरफ महिलाओं और जसंख्या वृद्धि के बीच सुनिश्चित रिश्ता है। अपने स्वभाव और विशिष्ट क्षमताओं के कारण किसी अन्य के मुकाबले जनसंख्या नियंत्रण में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

21वीं सदी में अगर हमें जनसंख्या पर पूर्ण रूप से नियंत्रण प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से हमें महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। जनसंख्या संबंधी अध्ययन और अनुभव बताते हैं कि महिलाओं के सबलीकरण के बिना जनसंख्या नियंत्रण संभव नहीं है। सशक्त बनाने का तात्पर्य महिलाओं का चहुंमुखी विकास हो, जिसमें उनके जीवन का हर पहलू शामिल हो। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार भी हुआ है। महिलाओं को सशक्त बनाने वाले मुख्य तत्व उनका शिक्षित होना, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना, सामाजिक रूप से पुरूषों के बराबर अधिकार प्राप्त होना, पारिवारिक मामलों में निर्णय का अधिकार प्राप्त होना, राजनीतिक रूप से जानकार होना तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आदि।

महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण हथियार हो सकती है। कहा जाता है कि महिला की शिक्षा से उसकी धनोपार्जन क्षमता में वृद्धि होती है, आधुनिक उपभोक्ता मानकों में रुचि पैदा होती है, परिवार की आय बढ़ती है और महिलाओं के प्रजनन कार्यक्रम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का स्तर सामाजिक–आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, व्यक्ति परिवार से हटकर अन्य क्षेत्रों से जुड़ता है और इस तरह सीमित परिवार के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा होती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि शिक्षा के प्रसार से विवाह देर से करने की प्रेरणा मिलती है, परिणामस्वरूप बच्चों की संख्या सीमित हो जाती है। ऐसा पाया गया है कि पढ़ी–लिखी महिलाओं की कुल प्रजनन दर निरक्षर महिलाओं की प्रजनन दर से कम होती है। इसलिए महिलाओं की शिक्षा में पूंजी निवेश को वास्तव में परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता के लिए किया गया पूंजी निवेश माना जा सकता है।

जनसंख्या नियंत्रण के रूप से संचालन के लिए उनमें वर्चस्वकारी भूमिका हो सामाजिक स्तर पर उन्हें जाये। हमारे भारतीय समाज एवं विकास की तमाम जटिल महिलाओं की सर्वाधिक उपेक्षा निर्णायक प्रक्रियाओं से प्रायः जनसंख्या नियंत्रण के उन पर जिम्मेदारियां तो डाली इच्छा और पहल कदमी को है। गर्भ धारण करना या गर्भ करना पुरुष द्वारा उन पर अपनी देह और प्रजनन से अन्य प्रक्रियाओं तक में उस देह के स्वैच्छिक उपायों की आजादी उन्हें नहीं है। जाहिर है, इस मूलभूत कमी से जूझना आसान नहीं है और यह अकेले जनसंख्या नियंत्रण में लगे लोगों के वश की बात नहीं है। लक्ष्यों के भार और शर्तें थोपने के दबावकारी तरीके से किनारा करके, लोगों की स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक पहलकदमी को विकसित करने की जो नीति अपनायी गयी है, उसकी सफलता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अतिंम कसौटी महिलाएं ही है।

विभिन्न कार्यक्रमों को सुचारू जरूरी है कि महिलाओं की और इसके लिए जरूरी है कि अधिक अधिकार संपन्न बनाया में जाति, वर्ग, लिंग, शिक्षा विषमताओं के बीच भी है। परिवार समाज की उन्हें दूर ही रक्षा जाता है। कार्यक्रमों में विभिन्न स्तरों पर जाती है, किंतु उनकी अपनी एक सिरे से नकार दिया जाता निरोध के उपायों पर अमल थोपी गयी जवाब देही है। लेकर उत्पादन विकास की

अगर हम चीन का उदाहरण ले तो चीन ने महिलाओं की स्थिति को सुधार कर ही परिवार नियोजन के उपायों को सफल बनाया है। पश्चिमी देशों में भी महिलाओं की सामाजिक भागीदारी से ही परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सफलता प्राप्त हुई है। भारत के अपने राज्य केरल का उदाहरण सामने है, जहां शिक्षा के प्रचार–प्रसार के कारण परिवार नियोजन के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलते हैं। भारत में यह आम धारणा है कि महिलाओं को घर में रहना है तो उन्हें पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत है? इस घातक धारणा को तोड़ने की जरूरत है। गांव से लेकर नगरों तक शिक्षा ढांचे को इस तरह बनाने की जरूरत है कि शिशु स्तर से लेकर वयस्क होने तक हर महिला का शिक्षित होना सुनिश्चित किया जा सके। शिक्षित महिला ही जनसंख्या नियंत्रण संबंधी जरूरतों को समझ सकती है और उन्हें लागू भी कर सकती है।

जनसंख्या विस्फोट

अवधेश कुमार मिश्र

जनसंख्या विश्व की एक ऐसी समस्या है जिस पर विश्व के अनेक विचारक अपना समय लगा रहे हैं। जनसंख्या का विकास तो प्रकृति के हाथों में निहित है। मनुष्य यदि चाहे तो अपने कर्मों एवं प्रयासों से जनसंख्या नियंत्रण में योगदान कर सकता है। जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक रूप से अत्यन्त पीछे हैं। राष्ट्रीय भावना का कम होना या राष्ट्रीय भावना का अभाव इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। हम बहुत पढ़–लिख रहे हैं। परन्तु भावनात्मक रूप से पीछे होने के कारण हम यदि चाहें तो तो भी जो डाक्टर होगा वह भी पूर्ण रूपेण योग्य न होगा, जो इंजीनियर होगा वह भी पूर्ण रूप से योग्य न होगा तथा इसी प्रकार हम अनेकानेक विधा से जुड़े लोगों को हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय भावना से अभावग्रस्त होगा उससे आध्यात्मिक मौलिक रूप से दूर रहती है। कारण यह है कि हम किसी वृक्ष के फल को ही देख रहे होते हैं और उस वृक्ष के जड़ तथा उर्वरा आदि के विषय में सोच नहीं पाते बल्कि उसकी पत्तियों को देखते हैं और फिर शाखाओं को देखते हैं परन्तु जड़ तक पहुंच नहीं बना पाते और जड़ तक न पहुंच पाने के कारण जानकारी का अभाव रहता है। जनसंख्या के विषय में भी यही बात है कि जनसंख्या क्या है इसकी वृद्धि क्यों और कैसे हो रही है इसके आध्यात्मिक पहलू को सुनने के लिये कोई तैयार नहीं है बल्कि यों कहा जाय तो अधिक उचित होगा कि आध्यात्मिक पहलू पर कोई विचार करता ही नहीं।

जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने हेतु मनुष्य अनेक उपाय करता है परन्तु प्रकृति जनसंख्या वृद्धि को रोकने के प्रयास अपने स्तर से करती रहती है। समाज अनेक उपाय करके जनस्वास्थ्य को ठीक करने का कार्य तो करता है परन्तु प्रकृति की आवश्यकताओं के विषय में अनभिज्ञ रहता है। जनसंख्या वृद्धि ऐसी बात नहीं है जिससे समाज की स्थिति बहुत अधिक दुखदायी हो जाएगी। परन्तु जनसंख्या वृद्धि के साथ–साथ जब भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी और मनुष्य का सर्वांगींण विकास नहीं होगा तो हम जनसंख्या को दोष देकर अपने अन्य दोषों को छिपाने का प्रयास करेंगे। वास्तविकता भी यही है कि बढ़ते हुए भ्रष्टाचार एवं स्वार्थपरता की भावना के कारण मनुष्य दुख उठाता है और दोष जनसंख्या पर मढ़ा जाता है। परन्तु राशन की सरकारी दुकान से सस्ता गल्ला यदि ब्लैक में बिक गया है, यदि मिट्टी का तेल ब्लैक कर दिया गया है तो जनता के कष्ट के लिये जनसंख्या को कहां तक दोषी कहलाया जा सकता है।

यह तो सत्य है कि जनसंख्या वृद्धि से व्यवस्था प्रभावित होती है परन्तु यदि नीयत ठीक करके व्यवस्था के पक्ष में रहकर जनता अपना कार्य करे तो जनसंख्या उसके रास्ते में कभी भी नहीं आयेगा। आज, भ्रष्टाचार व्याप्त होने से पूरा समाज व्यवस्था के अभाव में चरमरा रहा है। समस्त लोग केवल जनसंख्या को दोषी ठहराने लगे। परन्तु जनसंख्या को नियंत्रित करना कोई आसान कार्य तो नहीं कि जब चाहा इसे नियंत्रित कर लिया। जनसंख्या का प्रकोप तो प्रत्येक राष्ट्र को परेशान करने लगा है। चीन ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिये ऐसा कानून अपने यहाँ पास कर दिया कि स्वयं जनसंख्या नियंत्रित हो गई है। जनसंख्या नियंत्रित करने से चीन ने अपने को समुन्नत राष्ट्रों में गिनना प्रारम्भ कर दिया है। परन्तु जनसंख्या को नियंत्रित करने के मानवीय तरीके और प्राकृतिक तरीके, दोनों में बड़ा अन्तर है। एक तरफ तो मनुष्य अपने तमाम शक्ति प्रयोग कर बिना ही सब आवश्यक बातों को देखे ही जनसंख्या नियंत्रण प्रारम्भ कर दिया और दूसरी तरफ प्रकृति स्वयं ही जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक उपाय ढूंढकर अपने हाथों इस महान कार्य को करती है।

जनसंख्या के कारणों पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। जनसंख्या के कारणों पर विचार करने पर ऐसा लगता है कि अशिक्षा, धनहीनता तथा मनोरंजन के साधनों का अभाव जनसंख्या वृद्धि के लिये सबसे आवश्यक तत्व है।

जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं :–

जन्मदर: भारत में लगभग 33 जन्म प्रतिमिनट, 2000 प्रतिघंटा, 48000 प्रतिदिन के रफ्तार से हर वर्ष जनसंख्या में 12 मिलियन और जुड़ जाते हैं। इस रफ्तार से यदि हम बढ़ते रहे तो शीघ्र ही चीन की जनसंख्या पार कर विश्व के प्रथम देश जनसंख्या के मामले में बन जायेंगे। विश्लेषण करने पर जन्मदर बढ़ने के निम्नलिखित कारण दिखाई देते हैं :–

- गरीबी– जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण गरीबी है। गरीबी अभिशाप तो है ही परन्तु इसके साथ अज्ञानता और अंधविश्वास भी जुड़े रहते हैं। गरीबों में ऐसी धारणा होती है कि अधिक बच्चे अर्थात् अधिक कमाने वालों की संख्या। इस तरह के भावना और अंधविश्वास को निर्मूल करना आवश्यक है।
- धार्मिक विचार– बच्चे भगवान की दी हुई भेंट मानकर अधिकांश भारतीय इस पर रोग लगाना नहीं चाहते। यह सब बातें जन्मदर बढ़ाने में अपनी विशेष भूमिका निभाती है।
- सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएं– भारतीय समाज में पुत्र का विशेष महत्व है। परिवार में पुत्ररत्न की प्राप्ति की अभिलाषा में कई लड़कियों का जन्म हो जाता है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि के कारणों में एक कारण यह भी है।

- अज्ञानता– उपरोक्त परेशानियों से बचने के लिये ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसकी अनुपस्थिति एवं परिवार ही एक मात्र मनोरंजन का साधन है ऐसे विचारों के फलस्वरूप भी अधिक बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं।
- विज्ञान– चिकित्सा ज्ञान में विकास के कारण जन्मदर में वृद्धि हुई है। विभिन्न बीमारियों पर काबू पा लिया गया है। बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के कारण गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान शिशु के मृत्युदर में कमी आयी है। यह मानव जाति व समाज के लिये शुभ है। परन्तु निःसंदेह जन्मदर के बढ़ाने में इसकी अहम भूमिका है। दूसरी ओर विज्ञान के चमत्कार, उत्कृष्ट गर्भ निरोधक एवं गर्भपात की व्यवस्था से इसे कम भी किया जा सकता है।
- मृत्युदर – मृत्युदर का घटना जनसंख्या वृद्धि में सहायक है।
- अप्रवास– अवैध घुसपैठ से जनसंख्या में वृद्धि तो होती ही है साथ ही इसके सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं आर्थिक पहलू भी है जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। यह लोग अधिकतर गरीब होते हैं अतः इसका जनसंख्या वृद्धि में विशेष योगदान होता है। भारत जैसे विस्तृत देश में जहां हजारों किलोमीटर लम्बी खुली सीमा है वहां इसे रोकना कठिन है परन्तु असम्भव नहीं। इस पर शीघ्र ही आवश्यक ध्यान देना आवश्यक है। भारत जैसे विकासशील देश के लिये जिसके पड़ोस में पाकिस्तान, बांगलादेश एवं नेपाल जैसे गरीब देश है।
- प्रवास– हमारे देश के बाहर जाने वालों की संख्या सीमित है। अतः इनसे जनसंख्या में कमी नगण्य होती है। बाहर जाने वाले अक्सर सफल व्यवसायी, विशेषज्ञ, इंजीनियर और डाक्टर होते हैं। परन्तु इनके जाने से समाज एवं देश में प्रगति की दर घटती है। जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं।

विश्व की जनसंख्या तीव्रगति से बढ़ती हुई 2050 तक 10 बिलियन पहुँचने की उम्मीद है। जनसंख्या एवं विकास के अन्तर्राष्ट्रीय मतानुसार जनसंख्या वृद्धि में आधा योगदान चीन, भारत, पाकिस्तान, इण्डोनेशिया एवं नाइजीरिया यही पांच देश करेंगे। चीन ने तो अपनी जनसंख्या पर अभूतपूर्व रोक लगा रखी है। परन्तु भारत में परिवार नियोजन व अन्य योजनाएं आशा के अनुरूप सफल नहीं हो पायीं। फलस्वरूप हम शीघ्र ही विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश कहलाने योग्य बन जाएंगे। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में प्रारम्भ हो चुका था। जिसमें परिवार नियोजन का नारा परिवार में दो बच्चों का था। परन्तु आज ही औसतन 3–4 बच्चे प्रत्येक महिला द्वारा जन्म दिये जाते हैं। भारत में 1901 में जहां 77 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. की जनसंख्या थी जो बढ़कर 1981 में 216 एवं 1991 में 267 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. हो गई है।

जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम मुख्यतः निम्न हैं।

- वायु प्रदूषण– अधिक जनसंख्या अर्थात् अधिक कार्बन डाईऑक्साइड, एक सीधा सम्बन्ध है। अप्रत्यक्ष रूप से असर देखें तो अधिक जनता के लिये अधिक कारखाने, अधिक खेती योग्य जमीन एवं घर, मकान, शहर के लिये अधिक जंगल की कटाई अर्थात् वायु के शुद्धिकरण में कमी। अत्यधिक कारखानों से, जंगल की कमी व वायु के प्रदूषण से तापमान में वृद्धि हो रही है, जोकि मानव के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। विज्ञान के आविष्कार का प्रयोग करते हुए अधिक वातानुकूलन से और अधिक प्रदूषण एवं प्रकृति के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जो भविष्य में विनाशकारी भी हो सकता है।
- जल प्रदूषण– पेयजल की कमी होने की सूचना मिल रही है और कहा जाता है कि यदि अगला विश्वयुद्ध लड़ा गया तो वह पानी के लिये होगा। पेयजल की कमी का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुद्ध पेयजल, विगत कुछ दशकों में ही हर जगह बिकने लगा। गर्मी में कई ऐसे क्षेत्र होते हैं। जहाँ हफ्तों पानी नहीं मिलता, अधिक कल कारखाने, कृषि का विस्तार एवं बढ़ी हुई आबादी हेतु बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर इनके माध्यम से जल का प्रदूषण भी होता है। पृथ्वी के 70 प्रतिशत भाग में पानी है परन्तु इसका मात्र 3 प्रतिशत ही मानव के उपयोग में लाया जा सकता है।
- प्राकृतिक संसाधनों में कमी– प्रकृति में सभी कुछ सीमित मात्रा में है। सभी का आपस में सामंजस्य बना हुआ है। कोई भी प्राकृतिक साधन व सम्पदा लें, उसका अत्यधिक उपयोग जहां उसे समाप्त कर सकता है वहीं प्रकृति का संतुलन एवं व्यवस्था बिगड़ सकती है जिसका दुष्परिणाम अंततः मानव को ही भुगतना होगा।
- शिक्षा एवं रोजगार– प्रकृति की बात यदि हम न भी करें तो मानव द्वारा उत्पन्न संसाधन भी सीमित हैं। चाहें वह स्कूल, कालेज हों या कारखाने व रोजगार। शिक्षा की उपलब्धता व उसका प्रसार जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ पा रही है। दूसरी ओर रोजगार भी उसी गति से नहीं उत्पन्न हो पा रहे हैं। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या अशिक्षित बेरोजगारों से अधिक तीव्रगति से बढ़ रही है। जो कि समाज एवं देश के लिये चिन्ता का विषय है। अशिक्षा से जहां जनसंख्या एवं गरीबी में वृद्धि होती है, वही शिक्षित बेरोजगार से समाज की व्यवस्था पर असर पड़ता है।
- भोजन का असंतुलित होना– मानव के लिये खान–पान प्रकृति व कृषि से ही उत्पन्न होता है। जो सीमित है। हरित क्रान्ति के बाद भी आज हम खाद्य व अनाज जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ा पा रहे हैं। वर्तमान में विश्व बैंक के मतानुसार विश्व स्तर पर चार वर्ष से कम पचास प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। कुछ वर्षों में ही अतिरिक्त खाद्यान्न समाप्त हो जायेगा। यदि हम जनसंख्या वृद्धि पर रोक न लगा सके या कोई चामत्कारिक वैज्ञानिक आविष्कार नहीं किया गया तो हम एक–एक दाने के लिये लड़ने लगेंगे।

नियंत्रित जन्म दर ही उपरोक्त सभी परेशानियों का निदान है। जिसके लिये हमें सामाजिक एवं राजनैतिक इच्छाशक्ति के साथ–साथ धार्मिक भावनाओं को भी नियमित करना होगा। कोई भी व्यवस्था मानव के ऊपर नहीं। जब मानव स्वयं ही अव्यवस्थित व अस्त–व्यस्त होगा तो कैसा समाज, कैसी राजनीति, कैसा धर्म। प्रत्येक को अपना योगदान करना होगा। महिलाओं को शिक्षित करना होगा। परिवार नियोजन की उपयोगिता माननी होगी अन्यथा प्रकृति अपना रूप दिखायेगी जो मानव जाति एवं सभ्यता के अनुकूल न होगा और तरह–तरह के महामारी एवं रोगों का शिकार होकर मानव जीवन की विभीषिकाओं को गले लगाने के लिये बाध्य होगा। इस प्रकार, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिये समाज की हर इकाई को हर स्तर पर कटिबद्ध होना होगा तभी जीवन सुरक्षित रह सकेगा।

स्त्री के हाथ जनसंख्या नियंत्रण

मीनाक्षी सिन्हा

प्रकृति के जीवन चक्र को चलाए रखने के स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे किसी भी तौर पर अनदेखा नहीं किया जा सकता है। प्राचीन सभ्यताओं में तमाम ऐसे प्रमाण मिले हैं कि उसकी प्रजनन क्षमता के चलते स्त्री शक्ति की पूजा की जाती रही है। आज भी नारी हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। घर हो या बाहर वे ज्यादा आत्मविश्वास से युक्त व्यक्ति के तौर पर उभरकर सामने आई है। आज स्त्री अपना व अपने परिवार के भलाई को लेकर निर्णय लेने में सक्षम है और यह सब संभव हुआ है स्त्री के शिक्षित होने के कारण। कहा भी गया है कि अगर एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ वह अकेला पढ़ता है लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है तो उसके साथ पूरा एक परिवार शिक्षित होता है। यही कारण है कि एक शिक्षित, स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरी औरत ही परिवार और समाज को बेहतर भविष्य दे सकती है। स्त्री अपने, अपने बच्चों और पूरे परिवार को संस्कारी बनाने में अहम भूमिका निभाती है।

एक स्त्री जानती है कि उसके परिवार का आकार और स्वरूप कैसा हो, उसे अपने बच्चों के बीच किस प्रकार तालमेल बैठाना है और यही कारण है कि आज समूचा देश तो क्या पूरी दुनिया इस बात पर विश्वास करती है कि यदि हमें आज की सबसे बड़ी समस्या जो बढ़ती जनसंख्या है, अगर उस पर काबू पाना है तो औरत को आगे लाना पड़ेगा, उसे जागरूक करना होगा। इस आधी आबादी को महज प्रजनन यंत्र न समझकर हमें निःसंदेह आज पिछले अनुभवों को आत्मसात् करते हुए ज्यादा सूझबूझ एवं संवेदनशीलता से कदम बढ़ाने की जरुरत है, तभी हम जनसंख्या नियंत्रण पर सफलता हासिल कर सकते हैं।

औरतें जब शिक्षित होती हैं और परिवार एवं समाज में उनकी स्थिति मजबूत होती है तथा उनका दखल बढ़ता है तो जन्म दर घटती है। इन चीजों को ग्रामीण स्तर पर भी अपनाकर जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो. अमर्त्य सेन का कहना है कि महिला शिक्षा एवं जन्म दर के बीच सम्बन्ध बिल्कुल स्पष्ट है। यह सम्बन्ध दूसरे देशों में व्यापक तौर पर दिखायी पड़ता है और कोई ताज्जुब नहीं कि भारत में भी वैसा ही दिखायी पड़े।

शिक्षित औरतों की बार–बार बच्चों के लालन–पालन में फंसने की अनिच्छा से जन्म दर पर असर पड़ता है। शिक्षा से सोचने–समझने के दायरे का भी विस्तार होता है और परिवार नियोजन की जानकारी के प्रचार–प्रसार में भी मदद मिलती है। औरतों की सक्रिय भागीदारी का ही नतीजा है कि केरल में जन्मदर में भारी गिरावट आई है।

यही बात शेष भारत के लिए भी महत्वपूर्ण सबक साबित होगी। चूंकि यह साबित हो चुका है कि महिला भागीदारी एवं साक्षरता से मृत्यु–दर घटाने में काफी मदद मिलती है, इसलिए प्रत्यक्ष के अलावा इस परोक्ष रूप से भी जन्म दर में कमी लाने में महिला साक्षरता अपनी भूमिका निभाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों एवं परियोजनाओं को अमल में लाने के लिए गांव की महिलाओं को शिक्षित करने पर विशेष जोर देना होगा।

जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए शहरों की अपेक्षा पिछड़े और अविकसित इलाकों की ओर अधिक ध्यान देना होगा। शिक्षित आबादी जहां सीमित परिवार के प्रति सचेत है, वहां पिछड़ी आबादी अभी भी इस विषय में अंधविश्वासी और भाग्यवादी होने के कारण लापरवाह है और इसे दूर करने के लिए शिक्षा का प्रचार–प्रसार ही एकमात्र समाधान है।

इसके लिए जब तक सामाजिक संस्थाओं और संगठनों द्वारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सीमित परिवार की चेतना नहीं जगाई जायेगी, तब तक इस पर काबू पाना संभव नहीं होगा। इसके लिए शहर की कच्ची बस्तियों, कस्बों, गांवों और दूर–दराज के क्षेत्रों में घूम–घूम कर लोगों, खासकर महिलाओं को सीमित परिवार की शिक्षा देनी होगी और बेहतर यह होगा कि इस काम के लिए किसी शिक्षित औरत को ही बहाल करना चाहिए। इससे गांव की औरतों को समझाना अधिक सरल होगा।

इसके साथ ही सीमित परिवार रखने वालों को सरकार और समाज द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे यह दूसरों के लिए एक प्रेरणादायक कदम साबित हो सके।

भारत की जनगणना 2001 CENSUS OF INDIA
लोकाभिमुख
PEOPLE ORIENTED

(लेखिका पत्रकार हैं)

औषधीय पौधों की लाभकारी खेती

अर्चना सूद

नींबू की घास, तुलसी, ब्राह्मी, पुदीना, पिपरमिंट और खस जैसे खेती किसानों में लोकप्रिय हो रही है। और उनसे निकाले गए अर्क या रस का जा रहा है। अपने जैविक या कार्बनिक होने की वजह से ऐसे रस और सुगंधित प्राकृतिक स्रोतों से निकाले जाते हैं। दिल्ली तरह की कई औषधीय जड़ी–बूटियों के पौधों की खेती का लाभ किसानों को बताने पहल पर हाल ही में मुगल गार्डन में एक था। अपने लिए औषधीय पौधों की खेती के उद्देश्य से कई राज्यों, खासकर पंजाब आयोजन में आये हुए थे। किसानों के इन उनसे उनकी फसलों के बारे में जानकारी में वैज्ञानिक तरीके से उगाए गए पौधे करना है' मुगल गार्डन के विशेष उद्यान बोर्ड, औषधीय और ऐरोमैटिक प्लांट्स केंद्रीय विकास केंद्र, कन्नौज के विशेषज्ञों के साथ मिलकर किसानों को 33 से भी अधिक औषधीय पौधों के बारे में तकनीकी जानकारी दी।

किसानों को दिखाया गया कि एरोमैटिक पौधों से आवश्यक तेल किस प्रकार निकाला जाता है। उन्हें औषधीय खेती की मूल्य–रहित द्वारा लाभ प्राप्त करने की जानकारी भी दी गई। उन्हें बायो डीजल के लिए जेट्रोफा उगाने का तरीका और बायो डीजल बनाने की विधि दिखाई गई और इसके तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी भी दी गई। जेट्रोफा के बारे में बोलते हुए डॉ. ब्रह्मा सिंह ने बताया कि शुरुआती तीन–चार सालों में जब जेट्रोफा की उपज का लाभ काफी कम होता है, तब किसान इसके साथ चने, मसूर या सेम की बुवाई करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वे जेट्रोफा के साथ ही इसबगोल या पुदीने जैसे औषधीय पौधों की भी उपज पैदा कर सकते हैं। राष्ट्रीय वानस्पतिक संस्थान, लखनऊ और पंतनगर तथा कोयंबटूर के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा इस क्षेत्र में अनुसंधान किए जा रहे हैं।

औषधीय पौधों से सुगंध का निष्कर्षण

केंद्रीय औषधीय व एरोमैटिक प्लांट्स संस्थान, लखनऊ द्वारा किए गए प्रदर्शन का फोकस जड़ी–बूटी वाले पौधों से सुगंध और सुरसता के निष्कर्षण पर रहा। यह देश का अकेला संस्थान है जहां एक ही जगह औषधीय पौधों की खेती से लेकर सुगंध तैयार करने तक की पूरी जानकारी देने की व्यवस्था है। किसानों को तेल के निष्कर्षण, इत्र के निर्माण और अन्य उत्पादों के बारे में जानकारी के साथ–साथ विपणन के बारे में भी बताया गया। इसके अलावा यह संस्थान औषधीय और एरोमैटिक पौधों के नवीन अनुसंधानों और उनके विकास से भी संबंद्ध है। इस प्रकार यह ग्रामीण जनता में उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है और उनमें कुशलता का संचार भी करता है। राष्ट्र को ग्रामीण विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में इस संस्थान की भूमिका भी रेखांकित की गई है। ग्रामीण विकास में कारपोरेट पहलों की मान्यता के लिए इस संस्थान ने श्राफ्स फाउंडेशन ट्रस्ट, कलाली, बड़ोदरा के साथ वर्ष 2004–2005 का फिक्की वार्षिक पुरस्कार जीता है। अपनी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक सशक्तीकरण के लिए इसकी भूमिका वास्तव में उल्लेखनीय है। माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा दिया गया फिक्की पुरस्कार औषधीय खेती के माध्यम से खासकर आदिवासी और महिला आबादी के उन्नयन में इस संस्थान की विकासकारी भूमिका का ही एक प्रमाण है।

संस्थान किसान मेलों का भी आयोजन कराता है जहां पर किसान सिर्फ दस रुपये की टोकन फीस देकर प्रवेश ले सकते हैं। किसान यहां औषधीय खेती से परिचित हो सकते हैं और इस पर कुछ साहित्य या पठन सामग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक से लेकर तीन सप्ताह तक के कार्यक्रम भी हैं, जहां पर तेल के निष्कर्षण, सुगंध को तैयार करने, सुरसता बनाने, उत्पादों के विनिर्माण और यंत्रों व उपकरणों की खरीद से संबंधित जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाता है। विपणन के क्षेत्र में व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए संस्थान भारत के सुगंध और सुरसता एसोसिएशन जैसे कई प्रमुख एसोसिएशनों के साथ किसानों की अंतक्रिया की व्यवस्था भी करता है। ये विशेषज्ञ किसानों को बाजार की मांग की जानकारी देने के साथ–साथ यह भी बताते हैं कि किस तेल का मूल्य अच्छा मिलेगा। इसके अलावा मेंथाल जैसी कई चीजों को बनाने के बारे में सलाह और तकनीक भी में विशेषज्ञ उपलब्ध कराते हैं।

प्रशिक्षण सत्रों के दौरान प्रायोगिक प्रदर्शन किए जाते हैं जिनकी मदद से किसान जड़ी–बूटियों में तेल की मात्रा का प्रतिशत जान सकते हैं। इससे किसानों को अच्छी किस्म पहचानने में सहायता मिलती है और वे गुणवत्ता के लिए उपज का मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि आसवन में कोई कमी हो तो किसान उसकी पहचान करके उसे संशोधित कर सकते हैं। उपज में तेल की मात्रा पर्याप्त न होने पर किसान ऐसी दशा में बेहतर मात्रा वाली उपज की ओर जा सकते हैं। इस प्रकार किसान एरोमैटिक पौधों और उनसे बने उत्पादों के क्षेत्र में नवीनतम जानकारी से युक्त रहते हैं।

एरोमैटिक पौधों के क्षेत्र से संबंद्ध एक दूसरा सुगंध और सुरसता विकास केंद्र (एफ.एफ.डी.सी.), कन्नौज, उत्तर प्रदेश है। यह भारत सरकार द्वारा यू.एन.डी.पी./यूनिडो और उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से बनाया गया एक स्वायत्त निकाय है। एरोमा धारित करने वाले पौधों की अधिक पैदावार वाली किस्मों को उगाने के लिए यह केंद्र किसानों की सहायता करता है। यह कटाई के बाद प्रयुक्त होने वाली तकनीक, भंडारण, पैकेजिंग, सैंपलिंग और विपणन से संबंधित मार्गदर्शन भी देता है। कच्चे मालों और उत्पादों के लिए परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण सेवाएं भी उपलब्ध करायी जाती हैं। पौधे लगाने के लिए आवश्यक पदार्थों और बीज इत्यादि चीजों को किसान इस केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र द्वारा प्रकाशित तकनीकी बुलेटिन किसानों के लिए उपयोगी हस्तपुस्तिकाओं का काम करते हैं। इनमें किसी विशेष औषधीय पौधे की खेती के बारे में जानकारी दी रहती है। कुछ पृष्ठों की पुस्तकों के रूप में पठन सामग्री के यह शृंखला औषधीय पौधों के कई प्रकार संवर्द्धन और आसवन के बारे में वृहद सूचनाएं देती है। उदाहरण के लिये नींबू की घास को लिया जा सकता है। नीचे बॉक्स में यहां हम उनके बारे में आवश्यक न्यूनतम सूचनाएं दे रहे हैं, ताकि पौधे के परिचय, उसकी उत्पत्ति व विश्व और भारत में उसके वार्षिक उत्पादन से शुरु करके पौधे के बारे में व्यापक सूचनाएं दी गई हैं, यथा वर्गीकरण, आनुवंशिकी, किस्में, उपयुक्त मृदा और जलवायु, प्रसार की तकनीकें, अंतर–संस्कृति व अनावश्यक घास–पात का नियंत्रण, खाद का प्रयोग, सिंचाई की आवश्यकताएं, बीमारियां और कीटजनित महामारियां व उनके उपाय, उपज और पैदावार, आसवन की

उपज और पैदावार

नींबू की पहली उपज पौध लगाने के पांच–छह महीने बाद प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद वाली उपजें दो–तीन महीने के अंतराल पर ली जा सकती हैं। हालांकि यह मृदा के उपजाऊ होने, तापमान, आर्द्रता और फसल के रख–रखाव पर निर्भर करता है। आसवन के पहले पत्तियों की नमी को वाष्पित करने के लिए उन्हें बारह से पंद्रह घंटे तक सुखाकर अर्द्ध–शुष्क बना लेना चाहिए। इसका तेल पूर्ण विकसित पत्तियों के आसवन से अर्थात् उनका अर्क उतारकर प्राप्त किया जाता है। ताजे पौधे की औसत उपज तीस से चालीस टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष होती है। ताजी घास से आधे से लेकर एक प्रतिशत की वसूली सामान्य मानी जाती है। नीबू की घास खेती से निबल औसत आमदनी 48000 रुपये प्रति हेक्टेयर के लगभग अपेक्षित होती है।

उपयोग

औषधियों में नींबू की घास का उपयोग भारत में दो हजार से भी अधिक वर्षों से होता आ रहा है। हालांकि आसवन के लिए इसका उपयोग लगभग सौ वर्ष पुराना है। भारत में इसका पहला आसवन ब्रिटिश काल में 1890 के आसपास किया गया था। इसमें केरल की जंगली घासों का आसवन किया गया था। इसके तेल का प्रयोग सुगंधित डिटर्जेंटों, नहाने और कपड़ा धोने के साबुनों और अन्य घरेलू उत्पादों में किया जाता है इसका मुख्य उपयोग साइट्राल को अलग करने के लिए किया जाता है जो इत्र बनाने में और सुस्वाद उत्पन्न करने में उपयोगी है।

प्रक्रिया इत्यादि। फसल से निकाले जाने वाले तेल का रासायनिक विवरण और प्रति हेक्टेयर के आधार पर उपज का अर्थशास्त्र भी उल्लिखित रहता है। इस प्रकार मूलभूत जानकारियों से लैस होकर फसल उगानेवाला अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकता है और एक अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकता है। वह जानता है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। अच्छी रकम पाने के लिए वह मूल्य संवर्द्धन की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है।

औषधीय पौधों की खेती इस प्रकार देश के तमाम भागों में किसानों के बीच लोकप्रिय हो रही है। किसान दिवस पर मुगल गार्डन में अलग–अलग राज्यों से किसानों के कई समूह इस क्षेत्र में उपलब्ध तमाम सुविधाओं को देखने के लिए आए। इससे इस क्षेत्र में किसानों की रुचि का भली–भांति अंदाजा लगाया जा सकता है। सिनैप, एफएफडीसी आदि संगठनों की सहायता से उपलब्ध तकनीकी जानकारी के साथ किसानों की लाभकारी कमाई के लिए अच्छी शुरूआत है। इसके अलावा इन जड़ी–बूटी वाले औषधीय पौधों से उत्पन्न एरोमैटिक यौगिक अपनी प्रकृति से ही जैविक होते हैं। अतः यह स्वास्थ्य के लिए हितकारी भी हैं। इस प्रकार इन एरोमैटिक यौगिकों का घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर एक अच्छा बाजार है। इसमें निर्यात की अच्छी संभावनाएं भी हैं। किसान तकनीक तक शीघ्रता से पहुंच सकते हैं और विशिष्टकृत एजेंसियों से बाजार की समझ को लाभकारी बना सकते हैं। इस प्रकार ये इस क्षेत्र में छिपी संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं। ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

(अनुवादः आशुतोष शुक्ल)

लेमनग्रास के संवर्द्धन और आसवन की तकनीकें

नींबू (लेमनग्रास) अपने महत्वपूर्ण और आवश्यक तेल या रस के लिए उगाया जाने वाला एक एरोमैटिक पौधा है। यह अफ्रीका और एशिया के लिए घरेलू है और ग्वाटेमाला, मेडागास्कर, कोमोरो द्वीप समूह, ब्राजील, चीन और इंडोनेशिया में उगाया जाता है। भारत और ग्वाटेमाला इसके तेल के प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में असम, पश्चिमी तटीय इलाके, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं।

नींबू ऐसा पौधा है जो ऊष्ण से लेकर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुंचता हो और अच्छे वितरण वाली वर्षा के साथ–साथ आर्द्रता काफी ज्यादा हो, वहां इसकी पैदावार अच्छी होती है। यह कई तरीके की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। जल धारिता करने की अच्छी क्षमता से युक्त बलुई दोमट या सामान्य दोमट मिट्टी इसके प्रचुर वानस्पतिक विकास में सहायक है। भारत में यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा जैसे सभी दक्षिणी राज्यों और असम, बंगाल, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे पूर्वी राज्यों में लाभदायक रूप से उगाया जा सकता है। भारत के दक्षिणी, मध्य और उत्तरी भागों में किसानों के बीच यह एक लोकप्रिय बारहमासी पौधा है। भारत में नींबू के उत्पादन में बढ़ोत्तरी, प्रसार और संवर्द्धन के लिए सुगंध और सुरसता विकास केंद्र (एफएफडीसी), कन्नौज ने जोरदार प्रयास किए थे।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के शुरू होने से देशभर के किसानों और उत्पादकों को स्थायी आय का आधार मिल सकेगा और उन्हें निर्यात की बेहतर संभावनाओं वाले बहुमूल्य फसलों की खेती (उत्पादन) के लिए प्रेरित भी कर सकेगा। मिशन के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को खास तौर पर लाभ होगा। कारण यह है कि मिशन प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास, खासकर शुद्ध खेती, उच्च तकनीक वाली बागवानी और सूक्ष्म सिंचाई पर जोर देता है। इस मामले में समग्र दृष्टिकोण अपनाए जाने से प्रसंस्करण और विपणन के साथ आपूर्ति श्रृंखला के विकास के साथ सीधा संपर्क सुनिश्चित हो सकेगा। इससे देश के संभावनाओं से संपन्न सभी क्षेत्रों में उत्पादन केंद्रों के विकास में मदद मिल सकेगी। बागवानी के पहले और बाद में जो जुड़ाव बनेंगे उससे ग्रामीण बेरोजगारों, महिलाओं और पुरुषों दोनों का रोजगार तो सुनिश्चित होगा ही, साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की खाई को भी पाटा जा सकेगा।

भारतीय कृषि के विकास को प्रोत्साहित करने में बागवानी की संभावनाओं और क्षमताओं को देखते हुए केंद्र द्वारा प्रायोजित बागवानी मिशन (एनएचएम) शुरू कर मई, 2005 में उसे प्रभावी कर दिया गया। 23 अरब रुपये के परिव्यय वाले इस मिशन का उद्देश्य क्षेत्र पर आधारित बागवानी का संपूर्ण विकास। विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार अलग–अलग रणनीति अपनाकर संपूर्ण विकास का इरादा ही बागवानी मिशन का लक्ष्य है। जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया है, उनके नाम हैं – आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर–प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार।

भारत का बागवानी क्षेत्र काफी विस्तृत और विविधताओं से भरा है। देश में अनेक प्रकार के फल, सब्जियां, कंदमूल, फूल, मशरूम (खुम्बी), मसाले, औषधीय और सुंगधीय पौधे होते हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार की बागान फसलें जैसे नारियल, काजू, कोको और सुपारी भी बहुतायत से उगायी जाती है। बागवानी क्षेत्र, भोजन और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के साथ अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन भी साबित हुआ है। ये बागवानी उत्पाद कृषि के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। पिछले दशक में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप भारत ने बागवानी के क्षेत्र में देखने लायक प्रगति की है। विश्व में फल और सब्जियों के उत्पादन के मामले में देश का दूसरा स्थान है। आम, केला, लीची, नारियल, काजू, सपोटा और मसालों जैसी फसलों का तो भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है।

मौसमी लाभ

कृषि जलवायु की विविधता के कारण फलों और सब्जियों का शीतोष्ण देशों के निर्यात में भारत का मौसम काफी सहायक है। फूलों, औषधीय और सुंगधीय पौधों के निर्यात की बृहद संभावनाएं हैं। इसके साथ ही बागवानी उत्पाद न केवल भोजन और पोषण की आवश्यकता पूरी करते हैं, बल्कि वे औषधीय पौधों और सुंगधियों की मांग भी पूरी करते हैं। इन सबके अलावा, बागवानी क्षेत्र, कुशल और अकुशल दोनों तरह के लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने में उल्लेखनीय भूमिका अदा करता है। बहुमूल्य, कम तादाद वाले उत्पादों में बेरोजगार युवाओं को काम के अवसर देने की इस क्षेत्र में अपार संभावना है।

मिशन शुरू से लेकर आखिर तक के नजरिए को सोच–विचार कर शुरू किया गया है। इसमें उत्पादन, फसल लेने के बाद ही व्यवस्था, प्रसंस्करण और विपणन भी शामिल है, जिससे सभी भागीदारों को सक्रिय रूप से शामिल कर उत्पादकों और निर्माताओं को उपयुक्त लाभ देना सुनिश्चित किया जा सके। मिशन पर अमल होने से ग्यारहवीं योजना के अंत तक निम्नलिखित व्यय होने की आशा है।

- करीब 33 लाख हेक्टेयर नई जमीन में बागवानी होने लगेगी। इसके अलावा 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जा सकेगा।
- बढ़िया किस्म के पौधे उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा नर्सरियों (पौधशालाओं) में जान डालने के अलावा 2040 नई नर्सरियां तैयार होंगी।
- करीब 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में एकीकृत कीट प्रबंधन (आईसीएम) को बढ़ावा मिलेगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों में, फसल बाद के प्रबंधन की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। इसमें पैंकिग कारखाने, कोल्ड स्टोरेज इकाइयां, नियंत्रित भंडारण आदि सुविधाएं शामिल होंगी।
- बागवानी क्षेत्र में लगभग 148 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार पैदा होगा।

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिशन की रणनीति में निम्नांकित बातें शामिल होंगी:–

(क) उत्पादन, फसल बाद प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन को शुमार करते हुए शुरू से आखिर तक का दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिससे उत्पादकों/निर्माताओं को समुचित लाभ मिलना सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) उत्पादन, फसलबाद प्रबंधन और प्रसंस्करण के लिए आरएंडडी (अनुसंधान और विकास) को बढ़ावा।

(ग) निम्नलिखित बागवानी के जरिए रकबे, प्रजातियों का विस्तार और उत्पादकता को बढ़ाना।

पारंपरिक फसलों के स्थान पर बागान, फलोद्यान, अंगूर के बाग, फूलों और सब्जियों के बगीचे लगाना, बागवानी को प्रोत्साहन और ठीक–ठाक तरीके से खेती के लिए किसानों को उच्च तकनीकी जानकारी देना, मूल्य संवर्धन और विपणन की संरचना के लिए फसलोपरांत प्रबंधन और प्रसंस्करण में सुधार, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय प्रादेशिक और उप–प्रांतीय स्तरों पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की आर एंड डी, प्रंसस्करण और विपणन एजेंसियों में समन्वय, भागीदारी, तालमेल में प्रोत्साहन के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) जैसी सहकारिताओं के आदर्श को प्रोत्साहन ताकि किसानों को उचित लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके, सभी स्तरों पर क्षमता विकास और मानव संसाधन विकास। इसके लिए यदि आवश्यकता पड़े तो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों कें कृषि स्नातकों के पाठ्यक्रम और पाठयचर्चा में परिवर्तन भी किया जाएगा।

मिशन सभी वर्गों में मांग चालित रहेगा। सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का व्यापक उपयोग बाजार और जिंस की भविष्यवाणी के लिए किया जाएगा।

इस तरह की वास्तविक और उचित समय पर दी गयी पूर्व सूचना विविध फसलों और जिंसों के विस्तार का आधार बनेगा।

प्रौद्योगिकी उत्पादन

विभिन्न राज्यों की सामाजिक जलवायु संबंधी और सामाजिक आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के उत्पादन

(उपयोग) पर बागवानी अनुसंधान कार्यक्रम केंद्रित होगा। देश और विदेश में उपलब्ध उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रसार और हस्तांतरण पर बल दिया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों और इस क्षेत्र में समर्थ निजी तथा सरकारी क्षेत्र की अन्य शोध संस्थाओं और संगठनों के साथ मिलकर अनुसंधान कार्यक्रमों में भागीदारी निभायेगा। उत्पादकों के मैदानी अनुभवों का उपयोग जरूरी हस्तक्षेप (जानकारी देना) के लिए किया जाएगा। इसके लिए किये जाने वाले शोध कार्यक्रमों का मार्गदर्शन अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) करेगी और पौध रोपण साम्रगी, उत्पादन प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के क्षेत्रों में सवालों और उभरती आवश्यकताओं का समाधान करेगी। इस तरह के अनुसंधान कार्यक्रम युक्तिपूर्ण अनुसंधान विस्तार स्ट्रैटजिक रिसर्च एक्सटेंशन कार्यक्रम के साथ मिलकर जिला स्तर पर सक्रिय उद्यानोन्मुख और उन पर केंद्रित कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों के अधीन काम करेंगी। जो एजेंसियां अनुसंधान परियोजनाओं पर काम करेगी, उन्हें आईसीएआर/सी एस आई आर की विद्यमान योजनाओं के अनुसार सहायता दी जाएगी।

फसलोपरांत प्रबंधन के क्षेत्र में मिशन का लक्ष्य कुशल फसलोपरांत प्रंबधन और बागवानी उत्पादों के विपणन के लिए उचित आद्योसरंचना तैयार करना है। विक्रय (विपणन) प्रोत्साहन, गतिविधियों में किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को बाजार संबंधी सूचना देना शामिल होगा।

विश्व बाजार की जानकारी लेना

विश्व बाजार की संभावनाओं का पता लगाने और बागवानी उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि निर्यात प्रक्षेत्रों के माध्यम से विशेष बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए, राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम और लघु कृषक कृषि व्यापार संगठन, कृषि और प्रसंस्करित खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) जैसी सरकारी संगठनों को शामिल कर उनकी विशेषज्ञता का लाभ लिया जाएगा।

मिशन संभावना वाले क्षेत्रों में बागवानी (खाद्य) प्रसंस्करण उद्योगों और फूड पार्क की स्थापना के लिए बागबानी उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के उन्नयन के लिए प्रोत्साहन देने पर विशेष जोर देगा। इस योजना को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा।

परियोजना के चार प्रमुख अवयवों, अनुसंधान, उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के क्रियान्वयन की संस्थागत व्यवस्था सहकारिताओं की शुमारी वाली कंपनियों (एनडीडीबी), व्यक्तिगत उद्यमियों राज्य सरकार के उपक्रमों के अनुसार की जाएगी। राज्य सरकारों को अपना आदर्श चुनने, तैयार करने अथवा मौजूदा संस्थाओं को मिशन के उद्देश्यों के समग्र रूप उनको दिशा देने की स्वतंत्रता होगी।

(साभार : प्रेस सूचना कार्यालय)

भारत में अनुबंधित खेती

नीरज कुमार वर्मा

खुला बाजार, वैश्वीकरण और बढ़ते कृषि व्यापार के युग का एक खतरा यह है कि लघु किसान बाजार अर्थव्यवस्था में पूर्णरूप से हिस्सा लेने में कठिनाई का अनुभव करेंगे। भारत में ऐसे किसानों की संख्या कम हो सकती है, क्योंकि बड़े फार्मों की आवश्यकता लाभकारी व्यापार के लिये निरंतर बढ़ रही है। इसके परिणामस्वरूप पिछले वर्षों में जनसंख्या का दबाव शहरों की तरफ बढ़ा है और विश्व में प्रायः सभी जगह ऐसा हो रहा है। सरकार एवं विकास एजेंसियां इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिये ग्रामीणों के लिये 'आय सृजन' वाले कार्यक्रमों की पहचान कर उन पर जोर देने का प्रयास कर रही हैं। दुर्भाग्य से इस बात को बहुत कम प्रमाण हैं कि ऐसे प्रयास हुए हैं। सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का हिस्सा वर्तमान में लगभग 25 प्रतिशत के करीब पहुंचा है। अधिकतर पिछड़े एवं विकसित बाजारों के बीच उत्पादन के लिए विस्तार की सलाह, मशीन सेवाएं, बीजों, उर्वरकों, साख सुनिश्चित एवं लाभदायक बाजारों में पर्याप्त निवेश के बारे में भी परस्पर विश्वास की कमी है। हालांकि सुव्यवस्थित एवं लाभदायक बाजारों में पर्याप्त निवेश के बारें में भी परस्पर विश्वास की कमी है। हालांकि 'सुव्यवस्थित ठेका खेती' ऐसे संबंध मुहैया कर सकती है जिस पर चलकर लघु कृषक व्यवसायिक तरीके से खेती कर सकते हैं।

'अनुबंधित खेती' को किसानों एवं प्रसंस्करण या विपणन फार्मों के मध्य एक समझौते के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस समझौते के अंतर्गत एवं निर्धारित कीमतों पर निरंतर उन्नत समझौते के जरिए कृषि उत्पादों का एवं उनकी आपूर्ति करना शामिल है। इस अवस्था में क्रेता द्वारा निवेश की आपूर्ति एवं तकनीकी सलाह जैसी उत्पादन सहायता भी निरंतर प्रदान की जाती है। इस अवस्था की बुनियाद दो बातों पर निर्भर है–पहले तो किसान अपने उत्पादों का परिणाम एवं गुणवत्ता का एक विशिष्ट मानक एवं माल की खरीददारी में सही समय पर सहायता करें।

अनुबंध के अनुसार कृषक ठेकेदार की बताई फसल हो बोएगा और उसे ही फसल उपज देगा। ठेकेदार ही उसे खाद, बीज, कीटनाशक आदि उपलब्ध करायेगा साथ ही इस्तेमाल करने का वैज्ञानिक तरीका भी समझायेगा। इसके अलावा उसकी पूरी उपज ठेकेदार को ही खरीदनी पड़ेगी। कृषि व्यापार में 'अनुबंधित खेती' एक महत्वपूर्ण पक्ष बनकर उभर रही है, चाहे उत्पादन बहुराष्ट्रीय कंपनियों, सरकारी समितियों, किसान सहकारी या व्यक्ति उद्यमों द्वारा खरीदे गए ठेका खेती की भारत में काफी संभावनाएं मौजूद हैं जिनमें विस्तृत क्षेत्र में छोटे पैमाने पर खेती की जाती हो, क्योंकि अनेक मामलों में छोटे किसान ठेका खेती में प्रदान की जा रही सेवाओं के बगैर लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा में नहीं ठहर सकते। हालांकि इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि ठेका खेती को अधिकता से प्रयुक्त करने के फैसले में व्यवसायिकता होनी चाहिए।

विश्व व्यापार संगठन के नियमानुसार सन् 2005, 1 अप्रैल से निर्यातकों को बताना पड़ेगा कि उसके उत्पाद किस स्थान से है, फसल की कौन सी प्रजाति है, बीज कैसा प्रयोग हुआ है और किस प्रकार के खाद या अन्य तत्वों का उपयोग हुआ है? इस तरह नियमानुसार देश के कृषि ढांचे में आमूल–चूल परिवर्तन आ जायेगा। सब कुछ नए सिरे से संगठित करना होगा। निर्यातकों को यह सब जानकारी कोई अनुभवी एजेंसी ही दे सकेगी । इसके अलावा कृषि आधारित उत्पाद तैयार करने वाले कई बड़े कार्पोरेटर समूह ने कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कम लागत और अच्छी गुणवत्ता के बाजार आधारित ऐसे मॉडल तैयार करने को प्रयास प्रारंभ कर दिया है जिससे कृषकों को फायदा होगा। 'अनुबंधित खेती' करवाने का उद्देश्य फसलों में विविधता लाना है। यह इसलिये जरूरी है कि विभिन्न स्तर पर विभिन्न फसलों की सिंचाई, जल, खाद, उर्वरक और कीटनाशक की आवश्यकता होती है। ऐसी फसलों को अनुबंधित किया जाएगा जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो और फायदा अधिक हो। उत्पादकों और खाद संवर्धन से जुड़ी कंपनियों को एक–दूसरे के साथ जोड़ना होगा, क्योंकि ऐसे उत्पादकों के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र में तैयार बाजार उपलब्ध है। अनुबंधित खेती से ऐसा लगता है कि देश में 1960 के दशक की कृषि में हरितक्रांति जैसा बदलाव आएगा, परंतु यह बदलाव संपन्न किसानों को ही मिलेगा, क्योंकि उनके पास मशीन और उन्नत बीजों में निवेश के लिए पैसा है।

अनुबंध की व्यवस्था निम्न तीन क्षेत्रों में से प्रत्येक को प्रबंधन की गंभीरता और उसके निहितार्थों के अनुसार भिन्न–भिन्न होगी पहले–बाजार प्रबंधन

यानी विपणन व्यवस्थाओं के साथ तैयारियों और तकनीकी सलाह सहित खरीददार की सहमति, तीसरे–विशिष्ट निकाई–गुड़ाई और विशिष्ट बुआई के बारे में उत्पादन की सहमति। प्रभावी विकास का माध्यम बन सकती है लिए लाभदायक तकनीकी कौशलों है। अनुबंधित खेती का उपयोग ने में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा और डेयरी उत्पादों में भी इसका दृष्टिकोण से अनुबंध की व्यवस्था और ऋण के साथ–साथ नवीन

संयोजक में यदा–कदा भूमि की चुनिंदा निवेश की आपूर्ति के लिए प्रबंधन के अंतर्गत उत्पादन, निवेश, के सुझाए गए तरीकों का पालन करने प्रबंधन से अनुबंधित खेती बाजार के और प्रायोजकों एवं कृषकों दोनों के के हस्तांतरण का तरीका हो सकता केवल पेड़ और अन्य नकदी फसलों रहा है, बल्कि, सब्जियों, पोल्ट्री, सुअरों उपयोग बढ़ रहा है। किसानों के उनको उत्पादन सेवाओं तक पहुंचे तकनीकी का ज्ञान प्रदान कर सकती है। मूल्य व्यवस्था जोखिम और अनिश्चितता को घटा सकती है। कुछ अनुबंधित खेती से संबंधित जोखिम किसानों को नई फसलों के विविधीकरण के अवसर देते हैं जो कंपनियों द्वारा प्रदान की गई विपणन सुविधाओं और इस प्रक्रिया के बगैर संभव नही होता। हालांकि नई फसल की बुवाई से इन लाभों के निष्फल होने की संभावना भी है। और कंपनी वायदों से पीछे हट सकती है एवं यदि समस्या बढ़ी तो ऋणग्रस्तता का भी खतरा है।

अनुबंधित खेती से किसानों को लाभः • प्रायोजक प्रायः निवेश एवं उत्पाद सेवाओं की आपूर्ति करता है। • यह प्रायोजक या बैंकर से अग्रिम के माध्यम से आसानी से ऋण द्वारा संपन्न होता है। • किसानों को नई तकनीक से परिचित कराती है और किसानों को नए कौशलों को सीखने के योग्य बनाती है। • यह किसानों के मूल्य संबंधी जोखिम को कम करती है, क्योंकि ज्यादातर सौदों से प्रारंभ मे ही कीमतों का उल्लेख कर दिया जाता है। • नई बाजार व्यवस्था का अवसर प्रदान करती है, जो सामान्यतः लघु किसानों की पहुंच से दूर होते हैं एवं किसानों की विश्वसनीयता बाजारों तक पहुंच जाती है। • किसानों को अनुबंधित खेती की व्यवस्था से मुख्य लाभ यह है कि प्रायोजक विशिष्ट क्वालिटी और मात्रा का मापक सभी उत्पादों की खरीदारी करेंगे।

प्रायोजकों को लाभः • लघु किसानों के साथ भी काम करके भूमि संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं। • खुले बाजार से खरीददारी की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय उत्पादन और उत्पादन के प्रति जिम्मेदारी न होने के कारण प्रायोजक कंपनी कम जोखिम का सामना करती है। • अधिक विश्वसनीय उत्पाद क्वालिटी प्राप्त की जा सकती है।

अनुबंधित खेती के उद्देश्यः • गुणवत्ता में स्थिरता प्राप्त करना। • निरंतर आपूर्ति में क्षमता। • उत्पादन बढ़ाना तथा उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त करना। • कच्चे कृषि उत्पाद की लागत स्थिर रखना।

अनुबंधित खेती की शुरुआतः निजी क्षेत्र की कृषि से जुड़ी 'फ्रेश आ वेज' संस्था के अंतर्गत पंजाब राज्य में ग्राम दतोदा, सिमरौला, तिल्लौर और नरवर ग्राम के आसपास के क्षेत्रों में अनुबधित खेती का एक कार्यक्रम सन् 2000 से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आलू की फसल लगभग 400 एकड़ क्षेत्र में बोई गई। इस प्रकार कृषकों को उन्नत एवं प्रमाणित बीज उर्वरक प्रदान किए गए तथा 'फ्रेश ओ वेज' के वैज्ञानिकों के द्वारा खेत का भ्रमण करके उचित मार्गदर्शन दिया गया। फसल को बोने के पूर्व खेतों की मिट्टी की जांच कराई गई और प्राप्त परिणामों के अनुरूप उन्हें उर्वरकों के उपयोग की अनुशंसा की गई जिसके परिणाम अच्छे पाए गए तथा कृषकों को इससे काफी लाभ प्राप्त हुआ।

अनुबंधित खेती पंजाब के पटियाला, गुरदासपुर और अमृतसर में करीब 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्र पर धान की खेती को 2700 किसान कर रहे हैं और अगले वर्षों में और अधिक किसानों की जुड़ने की संभावना है। कई बहुराष्ट्रीय कृषि कंपनियों इस खेती से जुड़ रही हैं। मध्य प्रदेश के मध्य भारत क्षेत्र में आलू व अन्य फसलों में तथा दक्षिण भारत में फलों, मसालेदार फसलों व अन्य फसलों में अनुबंधित खेती विशेष रूप से हो रही है। पश्चिमी उ.प्र. के आगरा एवं मेरठ जनपदों में भी आलू प्रसंस्करण से जुड़ी राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त आलू की किस्मों का अनुबंधित खेती के जरिए उत्पादकों से अच्छी गुणवत्ता के आलु पैदा करा रही है। अनुबंधित खेती का निर्धारण व क्रियांन्वयन के लिये कुछ बातें विशेष ध्यान रखने योग्य हैं। दायित्व और कर्तव्य का निर्धारण, विसंगतियों के पाए जाने पर पंच की नियुक्ति बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता के नियमों में संशोधन और नियम पालन कराने हेतु अधिकारी की नियुक्ति अनुबंधित खेती में कुछ समस्याएं जैसे–खरीददार के द्वारा कम कीमत देना, किसानों को उचित मुनाफा नहीं मिलना, अगर फसल खराब हो जाती है तो उसका उत्तरदायित्व किस पर हो। ये समस्याएं हैं जिनका निराकरण शासकीय व अर्द्धशासकीय स्तर पर करना जरूरी है जिससे कि अनुबंधित खेती जो कि अभी बाल्यवस्था में है उचित स्थान पा सके जिससे कृषकों को हाईटेक फार्मिंग जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विश्वविद्यालय के मापदंडों के अनुसार विकसित हो रही है, उसका कृषकों को उचित लाभ मिल सके।

(लेखक कृषि विज्ञान ब्रह्मानंद महाविद्यालय, राठ (उ.प्र. से सबंद्ध हैं)

माइक्रो सिंचाई प्रणाली

सुरेंद्र सिंह चौधरी

हमारा देश कृषि प्रधान देश है एवं इसकी अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी कृषि प्रधान देश जल संरक्षण के बेहतर उपाय किये बिना अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर सकता। वर्तमान समय में कृषि, उद्योग एवं नागरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल की मांग दिनों–दिन बढ़ती जा रही है। जबकि पिछले कुछ वर्षों में अपर्याप्त वर्षा एवं अनुपयुक्त जल संरक्षण की वजह से भूमिगत जल का अंधाधुंध इस्तेमाल कर सिंचाई सुविधा जुटाई गई है, जिससे भूमिगत जलस्तर बहुत नीचे चला गया है। देश में उपलब्ध वर्षाती जल के समुचित संरक्षण के अभाव में मात्र 25 प्रतिशत जल ही सिंचाई कार्य में उपयोग हो पाता है।

हमारे देश में 1951 में कुल सिंचित क्षेत्र 2.26 करोड़ हेक्टेयर था जो जब बढ़कर 8.4 करोड़ हो गया है, छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत क्रमशः औसतन 21 लाख तथा 26 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष की बढ़ोत्तरी हुई। अनुमान है कि इस वर्ष के अंत तक 11.35 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता प्राप्त कर ली जायेगी। अभी देश के कुल सिंचित क्षेत्रों का 40 प्रतिशत बड़ी सिंचाई परियोजनाओं एवं 60 प्रतिशत लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत आता है। उत्पादन के आगामी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सन् 2002 में 6.2 करोड़ हेक्टेयर तथा 2035 में 7.7 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करनेकी अतिरिक्त आवश्यकता होगी। अतः इसके संरक्षण के लिए जल प्रबंधन का उचित उपाय करना परम आवश्यक है। उच्च उत्पादकता और बेहतर जल प्रबंध के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लघु सिंचाई अथवा माइक्रो सिंचाई प्रणाली और जल संभर जैसी उच्च कोटि की प्रौद्योगिकी एक साधन हो सकते हैं।

माइक्रो सिंचाई प्रणालीः माइक्रो सिंचाई प्रणाली को ड्रिप सिंचाई प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रणाली सर्वप्रथम इजरायल में विकसित की गई। आज इसे विश्व की अत्याधुनिक तकनीक माना जाता है। यह प्रणाली जल की अत्याधिक कमी वाले क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त है। इस प्रणाली में जल का प्रयोग कम मात्रा में बार–बार सीधे पौधों की जड़ों में और कम दबाव की वितरण प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इसमें पानी की आपूर्ति मुख्य सरणियों (लाइंस), उप–सरणियों अथवा पार्श्विक सरणियों के माध्यम से की जाती है। इसके द्वारा फसलों तक जल, पोषक तत्वों और अन्य सभी रसायन तत्वों को समान रूप से, नियंत्रित और उचित मात्रा में पंहुचाया जा सकता है। इस प्रकार गुरूत्वाकर्षण और कैपिलैरिटी की संयुक्त शक्तियों द्वारा जल पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है जिससे फसलों के उत्पादन, गुणवता एवं क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रणाली में स्ट्रिप ट्यूब, जेट्स, एमिटर इत्यादि उपकरणों का प्रयोग उत्सर्जक के रूप में किया जाता है। पूरे संयंत्र में एक पम्पिंग यूनिट जिससे 2.5 किग्रा प्रति वर्ग सेमी का दाब उत्पन्न किया जाता है। पीवीसी की बनी ट्यूब्स जिनमें ड्रिप टाइप नोजल या एमीटर लगा होता है, के अतिरिक्त एक फिल्टर यूनिट होती है। संयंत्र के शीर्ष पर एक अतिरिक्त टंकी लगी होती है जिसे उर्वरक टंकी वांछित स्तर तक फैलाई जा सकती है। मुख्य पानी लाइन के प्रवेश स्थान पर वेन्चुरी लगा देने से पानी की लाइन तथा उर्वरक की लाइन के बीच के डिफरेन्शियल दबाव बना रहता है जिससे उर्वरक का घोल मुख्य लाइन तथा फिल्टर में ठीक से प्रवाहित होता रहता है। सिंचाई की इस प्रणाली के प्रयोग द्वारा जल की 20 से 70 प्रतिशत मात्रा तक की बचत हो जाती है।

सिंचाई का बेहतर विकल्पः सिंचाई के लिए भूमिगत जल का उचित उपयोग यथा उचित प्रबंधन तथा संरक्षण भी कृषकों की मानसून पर पूर्ण निर्भरता की स्थिति से बचाता है। यदि इस जल का प्रयोग उचित ढंग से किया जाए तो शुष्क क्षेत्रों में भी सिंचाई की पूरक व्यवस्था की जा सकती है। शुष्क क्षेत्रों में निर्धनता व्याप्त रहती है एवं संसाधन की भी कमी रहती है। यहां के लोग पूर्णतः मौसम पर आश्रित रहते हैं। साथ ही, वर्षा के वितरण, सघनता और आवृत्ति की अनिश्चितता के चलते मिट्टी में नमी की मात्रा एकसमान नहीं होती है। वनों के अंधाधुंध कटाव से नित नए पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हो रहे हैं। अनावृष्टि की आशंका बढ़ रही है जिससे फसलों की पैदावार एवं गुणवत्ता में ह्रास होता जा रहा है। वनों के कटाव से उत्पन्न नाना प्रकार की समस्याओं से जूझते किसानों के समक्ष उपर्युक्त प्रौद्योगिकी सिंचाई का एक बेहतर विकल्प है।

कृषि में महत्वः आज हमारे देश के अनेक हिस्सों में जलस्तर घटता जा रहा है। इस विषम परिस्थिति से निपटने के लिए 'ड्रिप–सिंचाई' प्रणाली अथवा माइक्रो सिंचाई प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हालांकि इस प्रणाली के कार्यान्वयन से प्रारंभिक खर्च अधिक पड़ता है। यही कारण है कि अभी तक इसे देश के सभी भागों में लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाद में इससे जल, ऊर्जा (तेल अथवा बिजली), श्रम व समय की भारी बचत होती है और यह सिंचाई का सस्ता साधन बन जाता है। यही नहीं चूंकि इसके द्वारा उर्वरकों तथा दवाओं का प्रयोग पर्ण छिड़काव विधि से होता है। अतः उर्वरकों की भी भारी बचत हो जाती है। इसी प्रकार उर्वरकों व दवाओं के प्रयोग में श्रम व समय में भारी कटौती होने के कारण फसल उत्पादन में लागत कम हो जाती है। समय से व पर्याप्त मात्रा में जल, उर्वरकों व दवाओं की फसलों को उपलब्धता के कारण फसलोत्पादन बढ़ जाता है परिणामस्वरूप लाभ अधिक होता है। अतः अनुमान है कि ऐसी सस्ती सिंचाई प्रणाली का प्रयोग हमारे देश में निकट भविष्य में ही शीघ्र बड़े पैमाने पर किया जाने लगेगा, और भारतीय किसान इस प्रणाली का समुचित लाभ उठा सकेंगे। ❋❋❋❋❋❋

(लेखक भैरव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीण्डर, उदयपुर से संबद्ध हैं)

हरित क्रांति के असंतुलन को दूर करने के उपाय

रमेश कुमार दुबे

भारतीय खेती में मूलभूत परिवर्तन हरित क्रांति के समय में होना प्रारंभ हुआ। पहले दौर में ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि मोटे अनाजों और दालों के स्थान पर गेहूं धान जैसी चुनिंदा फसलों की किस्मों को रासायनिक खाद, कीटनाशकों, अत्यधिक पानी, रियायती दर पर डीजल–बिजली, खेती के यंत्रीकरण, सहकारिता आधार पर ऋण, सुरक्षित भण्डारण प्रणाली आदि के आधार पर अपनाया गया। इसके मूल में यह विचार था कि कृषि भूमि में वृद्धि किए बिना किस प्रकार उत्पादकता में वृद्धि किया जाये।

हरित क्रांति के बाद कुल कृषि भूमि में अनाज की खेती का भाग निरंतर बढ़ता गया है। सभी फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि हुई। 1947 में खाद्यान्न का उत्पादन 5 करोड़ टन था जो अब बढ़कर लगभग 22 करोड़ टन हो गया है। वर्ष 2005–06 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 215.00 मिलियन मी. टन निर्धारित किया गया है। उत्पादन लक्ष्यों का फसलवार विवरण इस प्रकार है–

(मिलियन मी. टन)

फसल का नाम	खरीफ	रबी	कुल
चावल	75.45	12.35	87.80
गेहूं	–	75.53	75.53
ज्वार	4.28	3.33	7.61
बाजरा	8.55	–	8.55
मक्का	12.54	2.85	15.39
रागी	2.79	–	2.79
जौ	–	1.65	1.65
छोटे कदन्न	0.53	–	0.53
कुल मोटे अनाज	28.69	7.83	36.52
कुल दलहन	5.78	9.37	15.15
कुल खाद्यान्न	109.92	105.08	215.00
कपास*	165.00	–	165.00
जूट**	101.20	–	101.20
मेस्ता**	11.60	–	11.60
गन्ना	–	–	237.50

*प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की लाख गांठे
**प्रत्येक 180 कि.ग्रा. की लाख गांठे।

हरित क्रांति के इन साकरात्मक पक्ष भी उत्पन्न हुए हैं जो अपनी हरित क्रांति से कृषि आय में अंतर फसल असमानताएं पैदा किस्में समय महंगे निवेशों की वहीं अधिक होती है जहां विद्यमान हैं। इसके विपरीत विषम अनुर्वर मिट्टी अपर्याप्त बुनियादी क्रांति आंशिक रूप से सफल और तिलहन हरित क्रांति की तीन फसलों की प्रधानता के और कृषि उत्पादन में अस्थिरता व सीमांत किसानों की संख्या लागत में वृद्धि हुई जिससे में फंस गए। हरित क्रांति से हुई। किसान भूमिगत जलस्तर शक्ति में कमी आने की शिकायत पक्षों के साथ कई नकारात्मक प्रकृति में अधिक भयावह है। अंतरक्षेत्रीय, अतः क्षेत्रीय और हुई है। अधिक उपज देने वाली मांग करती हैं। इनकी उपज आधारभूत कृषिगत सुविधाएं जलवायु सूखा–बाढ़ प्रवण क्षेत्र सुविधाओं वाले क्षेत्रों में हरित रही है। मोटे अनाज, दलहन परिधि से दूर ही रहे हैं। दो कारण कृषि की विविधता घटी अधिक हो गई। एक ओर छोटे बढ़ी तो दूसरी ओर खेती की अधिकांश किसान कर्ज के दुष्चक्र पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न नीचे जाने और भूमि की उपजाऊ करते रहे हैं।

इस प्रकार हरित क्रांति ने भारतीय कृषि में असंतुलित विकास प्रक्रिया को जन्म दिया। इस असंतुलित स्थिति में सुधार लाने के लिए हाल के वर्षों में कई प्रयास किए गए हैं।

हरित क्रांति के असंतुलन को दूर करने के प्रयास

मोटे अनाज पर बलः देश के खाद्यान्न उत्पादन को स्थिर करने में मोटे अनाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। खाद्यान्नों के अंतर्गत मोटे अनाजों का क्षेत्र 24.8 प्रतिशत था जो कि 2003–04 के दौरान 17.8 प्रतिशत तक गिर गया। 2003–04 के दौरान मोटे अनाजों को 30.76 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में उगाया गया जिसमें 38.12 मिलियन मी. टन उत्पादन हुआ। 2005–06 के दौरान 34.00 मिलियन मी. टन उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया जो कि 2004–05 के उत्पादन (33.92) से थोड़ा अधिक है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल में तथाकथित मोटे अनाजों (कोदो, सोरगम, कुत्थी, बाजरा, रागी आदि) की किस्मों के विकास की नयी योजना शुरू की है। पौष्टिकता की दृष्टि से ये अनाज गेहूं और चावल से किंचित मात्र भी कम नहीं है और सस्ते भी हैं। इनके उत्पादन से जहां गरीबों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध हो सकेगा वहीं कुपोषण की समस्या भी दूर हो जाएगी। इनकी उपज ऐसे क्षेत्रों में होती है जहां कृषिगत बुनियादी ढांचे की कमी है। मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि होने से हरित क्रांति के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में भी प्रभावी सफलता मिलेगी।

कपास प्रौद्योगिकी मिशन का मिनी मिशन–2: कपास की कम उत्पादकता और निम्न गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने फरवरी, 2000 से कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) शुरू किया है। कपास का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूर्ण करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग कपास प्रौद्योगिकी मिशन का मिनी मिशन–2 का कार्यान्वयन कर रहा है। कपास संबंधी मिनी मिशन–2 13 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में कार्यान्वित किया जा रहा है।

पूर्वी भारत में फसलोत्पादन बढ़ाने के लिए खेत पर ही जल प्रबंधन (आन फार्म जल प्रबंधन स्कीम): पूर्वी भारत में फसलोत्पादन बढ़ाने के लिए खेत पर ही जल प्रबंधन संबंधी केंद्र प्रायोजित योजना को असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, बिहार, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ राज्यों के सभी जिलों में कार्यान्वयन के लिए मार्च, 2002 के दौरान शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश के 35 जिलों और पश्चिम बंगाल के 9 जिलों को भी योजना में शामिल कर लिया गया है। योजना का उद्देश्य न केवल खरीफ और रबी/ग्रीष्म के चावल के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है बल्कि कृषकों को विविधीकृत कृषि कार्याकलापों को अपनाने के लिए भी सहायता देना है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य भूमि/सतह जल का दोहन करना है और पूर्वी क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसका दक्षता से उपयोग करना है जिससे क्षेत्र के किसानों की गरीबी कम हो और अधिक आय प्राप्त कर सके। योजना के मुख्य घटक हैं–

- व्यक्तिगत किसान/किसानों के समूहों के लिए पम्पसैट वाले उथले टयूबवैलों के संस्थापन के लिए सहायता।
- व्यक्तिगत किसानों को विद्युत/डीजल पम्पसैटों के लिए सहायता।
- किसान समूहों को सामुदायिक लिफ्ट इरिगेशन प्वाइंट्स (एलआईपी) के लिए सहायता।
- केवल पठार क्षेत्र में कुओं की खुदाई के लिए सहायता।

योजना राज्य सरकारों के सहयोग से नाबार्ड के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। योजना का वित्त पोषण पद्धति 20:50:30 आधार पर है अर्थात् लाभार्थियों द्वारा अंशदान की जाने वाली औसतन लागत का 20 प्रतिशत बैंक ऋण के रूप में 50 प्रतिशत तथा भारत सरकार से सहायता के रूप में शेष 30 प्रतिशत है।

समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम तथा मक्का योजना (आइसोपोम): राज्यों को क्षेत्रीय रूप से भिन्न दृष्टिकोण के आधार पर फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने तथा कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करके तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओपीडी), आयल पाम विकास कार्यक्रम (ओपीडीपी),

राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एनपीडीपी) तथा ज्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (एएमडीपी) के कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करने हेतु इन चारों योजनाओं का विलय करके एक केंद्रीय प्रायोजित योजना–समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम तथा मक्का स्कीम (आइसोपोम) में कर दिया गया है। इसका कार्यान्वयन 01.04.2004 से किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत दलहनों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को प्रजनक बीजों की खरीद, आधारी बीजों के उत्पादन, प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं वितरण, खरपतवार नाशकों के वितरण, राइजाबियम कल्चर, छिड़काव यंत्रों, प्रचार आदि के लिए सहायता दी जाती है।

शुष्क भूमि खेती प्रणालियों की सततता बढ़ाना: देश के शुष्क और अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में शुष्क भूमि खेती के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने हेतु "शुष्क भूमि खेती प्रणालियों की सततता बढ़ाना" नामक योजना तैयार की गई है। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य है वर्षा जल संचयन, स्वस्थाने मृदा नमी संरक्षण, जैविक खादों का उपयोग, वैकल्पिक भूमि उपयोग और उन्नत शुष्क भूमि खेती प्रौद्योगिकियां अपनाना। योजना को देश के शुष्क और अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में विशेषकर कम वार्षिक वर्षा वाले (750 मिलीमीटर) और सुनिश्चित सिंचाई के अधीन कम कवरेज वाले जिलों में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। योजना को शुरू में 16 जिलों (राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में प्रत्येक में 4) में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

हरित क्रांति के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उपर्युक्त उपायों के साथ–साथ कई पूरक उपाय भी किए गए हैं किसान काल सेंटर, राष्ट्रीय किसान चैनल, कृषि आमदनी बीमा योजना, कृषि स्नातकों द्वारा कृषि क्लीनिक और व्यापार केंद्रों की स्थापना आदि। ❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

(लेखक खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली से संबद्ध हैं)

राष्ट्रीय सेवा योजना संगठन की ग्रामीण विकास में भूमिका

रामनिवास यादव

राष्ट्रीय सेवा योजना को एन.एस.एस. के नाम से जाना जाता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रारंभ से ही छात्रों को राष्ट्रीय सेवा के प्रति जागरूक करने का प्रयास होता रहा है। सन् 1950 में प्रथम शिक्षा आयोग ने छात्रों को राष्ट्रीय सेवा के लिए भावना के आधार पर प्रवेश के लिए संस्तुति की। तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर डा. सी.डी. देशमुख की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया जिसका उद्देश्य छात्रों को स्नातक कक्षाओं में प्रवेश से पूर्व राष्ट्रीय सेवा अनिवार्य रूप से करनी थी। प्रो. के.जी. सैउद्दीन जो अनेकों देशों युवाओं द्वारा राष्ट्रीय सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्यों का अध्ययन कर चुके थे, उनका कहना था कि राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवकों के आधार पर शुरू की जानी चाहिए। इसी प्रकार का सुझाव तत्कालीन शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डा. डी. एस. कोठारी ने दिया।

अप्रैल 1967 में आयोजित विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में 'राष्ट्रीय सेवा योजना' नाम से बनाई गई योजना को मंजूरी प्रदान की गई व छात्रों को इस योजना में शामिल करने का आह्वान किया गया।

सितम्बर 1967 में उपकुलपतियों के एक सम्मेलन में इस योजना का स्वागत किया गया एवं सुझाव दिया कि उपकुलपतियों की एक विशेष समिति बनाई जाए जो इस योजना के क्रियान्वयन के बारे में विचार कर सकें। इसके परिणामस्वरूप योजना आयोग द्वारा 5 करोड़ रुपए का चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय सेवा योजना को अनुदान दिया गया जिससे चयनित शिक्षा संस्थानों में प्रयोग के आधार पर इसे शुरू किया जा सके। इसके पश्चात् सन् 1969 गांधी शताब्दी वर्ष से इस योजना को प्रारंभ किया गया। सन् 1969 में राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरूआत 40,000 छात्रों से की गई। यह संख्या बढ़कर 1985–86 में 7 लाख, 1986–87 में 7 लाख 70 हजार व 2005 में बढ़कर 20 लाख से भी ऊपर हो गई है। इस सेवा के आरंभ होने की तारीख से आज तक 3 करोड़ के लगभग छात्रों ने स्वयं सेवक के रूप में लाभ अर्जित किया है।

इस योजना का मूल उद्देश्य सामुदायिक सेवा के द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना है ताकि वे ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। राष्ट्रीय सेवा योजना संगठन शिक्षण संस्थाओं एवं समाज के मध्य एक कड़ी का काम करती है।

इस संगठन का मूल सिद्धांत यह है कि इसमें छात्र एवं अध्यापक अपने संयुक्त प्रयासों से समाज व राष्ट्र के निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभाते हैं। अब यह योजना देश के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं कुछ चुने हुए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में चल रही है। अब छात्र, अध्यापक एवं प्रशासक एन.एस.एस. की उपयोगिता महसूस करने लगे हैं। एन.एस.एस.एक ठोस कार्यक्रम है जो शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रासंगिक बनाता है। यह योजना शिक्षित एवं अशिक्षित युवा वर्ग के मध्य खाई को भरने का काम करती है। समाज सेवा द्वारा शिक्षा का विकास एन.एस.एस. की मूल संकल्पना है। समाज सेवा योजना के माध्यम से झाड़ू एवं पुस्तक व कलम एवं हल एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के नारे 'मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए' का तात्पर्य है कि व्यक्तिगत हित सामाजिक हित पर आधारित है। राष्ट्रीय सेवा योजना के इस नारे से निस्वार्थ सेवा की भावना उजागर होती है। एन.एस.एस. का चिन्ह उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ के पहिए पर आधारित है। यह विशाल पहिया गतिशीलता का द्योतक है तथा युवाओं के गतिशील एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण का प्रतीक है। एन.एस.एस. के बैज में दो रंग लाल एवं नीला है। लालरंग युवाओं के गतिशील एवं साहसिक जीवन का द्योतक है जबकि नेवी ब्लयू रंग इस बात का परिचायक है कि समस्त ब्राह्मांड में एन.एस.एस. भी एक छोटा सा हिस्सा है जो मानव जाति के कल्याण में अपना योगदान देता है। एन.एस.एस. संगठन द्वारा राष्ट्र निर्माण में विभिन्न प्रकार के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है जिसमें से प्रमुख निम्न प्रकार हैं:–

साक्षरता अभियान में भूमिका

निरक्षरता हमारे समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक है। भारत में 2001 की जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर 54.16 प्रतिशत थी जबकि पुरुष साक्षरता दर 75.85 प्रतिशत थी। इस प्रकार पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में 21.69 प्रतिशत का अंतर था। राष्ट्र निर्माण में सभी नागरिकों का साक्षर होना अनिवार्य है ताकि सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गई विभिन्न योजनाओं को समझकर उनसे भरपूर लाभ प्राप्त किया जाए। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों द्वारा देश में बड़े स्तर पर सन् 1989 से निरक्षरता को समाप्त करने का कार्यक्रम जारी हैं। स्वयंसेवक ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर नियमित एवं विशेष वार्षिक शिविर के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीणों को साक्षर बनाने का कार्य करते हैं। स्वयं सेवक के लिए तीन वर्ष की अवधि में कम से कम 5 निरक्षरों को साक्षर बनाना अनिवार्य होता है। इस प्रकार राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े स्वयं सेवक प्रतिवर्ष लाखों निरक्षरों को साक्षर बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

पर्यावरण संरक्षण में भूमिका

पर्यावरण प्रदूषण एक भू–मंडलीय समस्या बन गई है जिसका प्रभाव पूरे चैतन्य जगत पर स्पष्ट है। विवेकशील एवं विचारशील प्राणी होने के नाते मानव का यह परम कर्तव्य है कि वह भूमंडल पर पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में अपनी बुद्धि एवं क्षमताओं का भरपूर उपयोग करें। जीवन यापन के लिए स्वार्थ एवं विलासिता में संलिप्त होकर अपने परिवेश की अनदेखी करते रहने से काम चलने वाला नहीं है। इसी मानसिकता एवं विचारधारा को नजर रखते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण जागरूकता अभियान के माध्यम से जन–जन को पर्यावरण प्रदूषण के सभी खतरों एवं उनके उपायों की जानकारी देते हैं।

पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वन क्षेत्र में विस्तार करना अनिवार्य है। शताब्दियों से यह सिकुड़न जारी है पर जिस गति से आजादी के बाद वनों पर दबाव बढ़ा है वैसा पहले कभी नहीं था। जब देश आजाद हुआ उस समय कुल क्षेत्रफल के 22 प्रतिशत भाग पर वन थे, जबकि अब देश के केवल 19 प्रतिशत भाग पर ही वन हैं। वनों के बचाव के लिए हमें दोहरी नीति अपनानी होगी। यानि आज के आधुनिक प्रौद्योगिक ज्ञान को लोगों के पारम्परिक अनुभव के साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े स्वयं सेवक वृक्षारोपण के कार्य में सहयोगी हो सकते हैं। स्वयं सेवक सर्वेक्षण के उपरान्त सार्वजनिक एवं परती भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य विशेष शिविरों एवं नियमित गतिविधियों के द्वारा सम्पन्न करते हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम के द्वारा वन महोत्सव पखवाड़े में स्वयं सेवकों द्वारा शिक्षण संस्थाओं के परिसर में प्रतिवर्ष काफी संख्या में वृक्षारोपण किया जाता है। स्वयं सेवक केवल वृक्षारोपण ही नहीं करते बल्कि रोपित किए गए पौधों की परवरिश भी करते हैं। वृक्षारोपण करने से पर्यावरण में संतुलन होता है तथा जैव–विविधिता की रक्षा भी होती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों में भूमिका

भारत देश में जनसंख्या में निरन्तर त्वरित गति से हो रही वृद्धि अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दे रही है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 102.70 करोड़ आंकी गई थी जिसमें 53.13 करोड़ पुरुष तथा 45.57 करोड़ महिलाएं थीं। वर्तमान में भारत में जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर 1.93 प्रतिशत है जो संसार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन से भी काफी अधिक है। भारत की जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर को इसी तथ्य से महसूस किया जा सकता है कि यहाँ सन् 1901 में जन घनत्व 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जो 2001 में बढ़कर 689 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया।

वर्तमान में भारत में उच्च प्रजनन दर को ही जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण माना जाता है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की विफलता ने भी जनसंख्या वृद्धि में भूमिका निभाई है। दुर्भाग्यवश परिवार नियोजन कार्यक्रम पर ईमानदारी से अमल नहीं हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि परिवार नियोजन जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी जनता के मध्य लोकप्रिय न होकर मात्र सरकारी कार्यक्रम बनकर रह गया। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सरकार ने इस कार्यक्रम का नाम बदलकर 'परिवार कल्याण' कर दिया। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने गांव–गांव जाकर इस कार्यक्रम की महत्वत्ता के बारे में आम जनता को जागरूक किया व अगले ही कुछ वर्षों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे। पहले जहां जबरदस्ती करके लोगों को नसबन्दी करवाने के लिए बाध्य किया जाता था। वहीं अब लोगों ने अपनी मर्जी से नसबन्दी करवानी शुरू कर दी है व जन्म दर में कमी दर्ज की गई है।

एड्स जागरूकता अभियान में भूमिका

एड्स जैसी लाइलाज एवं घातक बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने में एन.एस.एस. कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भमिका रही है। स्वयं सेवकों को प्रथम चरण में विभिन्न समूहों में बांट कर एड्स बीमारी के कारणों एवं बचाने के विभिन्न उपायों पर विस्तार से चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। तत्पश्चात् प्रशिक्षित स्वयं सेवक विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विभिन्न कार्यशालाओं एवं जागरूकता अभियानों के माध्यम से एड्स बीमारी के खिलाफ कार्य करते हैं। एन.एस.एस. स्वयं सेवकों द्वारा अब तक हजारों एड्स जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जा चुका है।

पोलियो उन्मूलन अभियान में भूमिका

पोलियो उन्मूलन एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष बच्चे पोलियो के शिकार होकर अपंग हो जाते हैं। इस बीमारी के घातक प्रभावों को नजर रखते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न स्तरों पर समाज के विभिन्न वर्गों का सहयोग प्राप्त करके पोलियो को जड़ से समाप्त करने का अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक पोलियो उन्मूलन अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रतिवर्ष पोलियो की दवा पिलाने के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों को शामिल किया जाता है व वे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर देश के दूर–दराज के ग्रामीण अंचलों में स्थित परिवारों के बच्चों को पोलियो की ड्राप्स पिलाते हैं। इस अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। अब पोलिया के बहुत कम मामले सामने आ रहे हैं। इस बीमारी को समाप्त करने में एन.एस.एस. स्वयं सेवकों की भूमिका मील का पत्थर साबित होगी।

जल संरक्षण में भूमिका

देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में जल संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। कहा भी जाता है कि जल है तो कल है और रहीमजी ने तो बहुत पहले से ही जल संरक्षण के महत्व को अपने दोहों के माध्यम से इंगित किया है। देश में जल संकट दिनों–दिन बढ़ता ही जा रहा है। देश में जल संसाधनों के प्रबंधन में इस सीमा तक लापरवाही और अनदेखी है कि भविष्य ही संकट में पड़ता नजर आ रहा है। ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ ही जल का भीषण संकट उत्पन्न हो जाता है। अनेकों राज्यों में महिलाओं को मीलों चलकर पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। हमारे देश में वर्षा जल के संरक्षण का नितान्त अभाव है। एक दूसरा खतरा भूमिगत जल स्तर के गिरते जाने से उत्पन्न हो गया है। नदियों व झीलों का जल जहर में बदल गया है। यह सब लोगों की नासमझी का परिणाम है। हमारे देश के किसान उद्योगपति एवं गृहणी ने बिना सोचे समझे जल का दोहन किया है। परिणाम यह हुआ है कि हमने जमीन का पेट खाली करके प्राकृतिक जल चक्र को असंतुलित कर दिया है। इससे बाढ़ व सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई है। आज देश के प्रत्येक नागरिक का फर्ज है कि वह जल संरक्षण के विभिन्न उपायों को अपने जीवन में अमलीजामा पहनाने का प्रयत्न करे तभी हम आने वाली पीढ़ियों को पीने का पानी उपलब्ध करा पाएंगे।

जल संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश के ग्रामीण अंचलों में लोगों को वर्षा के जल को संरक्षित करने की विभिन्न तकनीकों की जानकारी प्रदान करते हैं। जिनके अपनाने के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े छात्रों ने महाराष्ट्र एवं राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में जल संरक्षण का कार्य छोटे–छोटे चैक डैमों के माध्यम से किया है। चैक डैमों के निर्माण से भूमिका का जल स्तर में इजाफा हुआ है तथा इससे कृषि उत्पादन बढ़ा है व किसानों की आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है।

प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में भूमिका

पर्यावरण के असंतुलित होने से विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं समय–समय पर देश के विभिन्न भागों में घटित होती रहती हैं। मुख्य तौर से बाढ़, सूखा, भूकम्प, चक्रवात, सुनामी आदि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनसे व्यापक स्तर पर जन–धन की हानि होती है। आपदाएं चाहे प्राकृतिक हों या मानव निर्मित हों सभी स्थानों पर आपदाओं के प्रबंधन में राष्ट्रीय सेवा योजना की अहम भूमिका होती है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में तूफान पीड़ितों की सहायता करके पश्चिम बंगाल, बिहार व उत्तर प्रदेश में बाढ़ के दौरान तथा महाराष्ट्र, राजस्थान व उड़ीसा में सूखे के दौरान लोगों की सहायता करके प्रशंसनीय कार्य किया है। जनता कालेज चरखी दादरी (हरियाणा) के स्वयं सेवकों ने महाराष्ट्र के लातूर में भूकम्प राहत कार्य, गुजरात के भूकम्प प्रभावित भुज क्षेत्र में राहत कार्य एवं सुनामी के दौरान नागापट्टनम में प्रशासन के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर एक महिने तक राहत कार्यों में सराहनीय एवं अनुकरणीय कार्य करके उदाहरण प्रस्तुत किया है।

रक्तदान कार्यक्रमों में भूमिका

रक्तदान महादान के रूप में जाना जाता है। हमारे द्वारा दान किया गया रक्त किसी को जीवन प्रदान कर सकता है। रक्त दान शिविरों का आयोजन करना एवं युवाओं को रक्तदान हेतु प्रेरित करना राष्ट्रीय सेवा योजना की एक प्रमुख गतिविधि है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समय–समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक युवाओं में रक्तदान चेतना अभियानों के माध्यम से इस भ्रान्ति को मिटाने का प्रयास करते हैं कि रक्तदान करने से किसी प्रकार की कमजोरी आती है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से समाज में रक्तदान के पक्ष में वातावरण का निर्माण करते हैं।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रति छात्रों की प्रतिक्रिया एवं समाज की सोच बहुत शानदार रही है। इस प्रकार राष्ट्रीय सेवा योजना शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में एक ठोस प्रयास है। राष्ट्रीय सेवा योजना की कुछ इकाइयों ने अपने शानदार कार्य एवं अनुकरणीय आचरण से मिसाल कायम की है जिससे समाज ने उन्हें आदर दिया है और उनमें अपना विश्वास व्यक्त किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना ने विभिन्न मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम जैसे– अकाल के मुकाबले में युवा (1973), गन्दगी और बीमारी के विरुद्ध युवा (1974),वन रोपण ओर पेड़ लगाने के लिए युवा (1975), आर्थिक विकास एवं ग्रामीण पुर्ननिर्माण के लिए युवा (1977), जल संरक्षण के लिए युवा (2005) और उससे आगे अन्य विषयों के अंतर्गत विशेष शिविर आयोजित किए जिनका परिणाम समाज व छात्र वर्ग दोनों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है।

राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों ने सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में विशेष योगदान दिया है। चाहे दहेज प्रथा के उन्मूलन की बात हो बाल विवाह प्रथा के निराकरण की बात हो या नशे के लत की बात हो प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों का सराहनीय प्रयास रहा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर मान्य लक्ष्यों जैसे भारतीयता में गर्व महसूस करना, स्वतन्त्रता, समाजवाद, राष्ट्रीय एकता, धर्म निरपेक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में अभियान में भी सराहनीय कार्य किया है। अतः राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं अतः इस योजना का और अधिक विस्तार किया जाना चाहिए।

(लेखक राष्ट्रीय सेवा योजना के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी हैं)

आदिवासी महिला रोज़गार में क्रांतिकारी कदम

बी.के. द्विवेदी, दयाशंकर श्रीवास्तव तथा
रवीन्द्र प्रकाश पाण्डेय

इलाहाबाद के मेजा, कोरांव, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चित्रकूट मंडल के अधिकांश क्षेत्रों की आदिवासी ग्रामीण महिलाओं के लिए पत्थर तोड़ना, क्षेत्र में उपस्थित पलाश के पेड़ों की पत्तियों से दोना पत्तल बनाने व जंगल से लकड़ी काटकर बेचना ही उनकी रोजी–रोटी का मुख्य जरिया रहा है। आबादी बढ़ने के साथ–साथ इन पेड़ों का कटान अनवरत दुर्गति से होने से वन संपदा समाप्त हो रही है। बदले में आमदनी कम मिलने से पौष्टिक आहार तो दूर दो वक्त की रोटी जुटाना भी उनके लिए मुश्किल है जिसमें तमाम आदिवासी महिलाएं क्षय व सिलकोसिस जैसी बीमारियों से पीड़ित होकर असमय दम तोड़ देती है। इन आदिवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई योजनाएं चलाई गयी और करोड़ों रुपये खर्च भी किये गये लेकिन इनकी हालत में बदलाव नहीं आया।

इलाहाबाद जिलों के कोरांव व मेजा का एक बड़ा इलाका पहाड़ियों से घिरा है जहां की भूमि पथरीली है तथा वहां खेती करना असंभव है पेड़–पौधों के नाम पर पलाश का ही यहा बहुतायत है जिसके सिर्फ पत्ते ही कुछ काम में आते हैं दिन भर मेहनत करने के बाद एक परिवार किसी तरह से बीस से पच्चीस रुपये का ही पत्ता तोड़ पाता है जिससे पूरे परिवार को दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती। प्लास्टिक के प्लेटों के बढ़ते चलन से उनका यह व्यवसाय करीब दम तोड़ चुका है रोजगारी के नाम पर बचा है तो बस पत्थर तोड़ना या फिर मजदूरी करना। इन इलाकों में लगभग तीन लाख अनुसूचित जाति व जनजाति की आबादी निजात करती है। जिसमें एक लाख 75 हजार पुरुष और एक लाख 25 हजार महिला है इनमें दो लाख धरिकार, हरिजन तथा अन्य गरीब आदिवासी जातियां हैं। इन क्षेत्रों में पानी की गंभीर समस्या है इसलिए खेती भी नहीं की जा सकती, पशुपालन में भी दिक्कत होती है। पुश्तैनी व्यवसाय पर आधुनिकता की मार झेल रहे लाखें अनुसूचित जाति और जनजाति के आदिवासी परिवार के भरण–पोषण हेतु बायोवेद शोध संस्थान ने क्षेत्र में उपस्थिति पलाश, बेर, बबूल, कुसुम, जंगल जलेबी, पीपल, गूलर, खैर, फ्लेमेन्जिया और गलवांग आदि पेड़ों पर लाख की खेती का शुभारंभ कराया और इन लोगों के पेट का सहारा बन गयी है लाख की खेती। लाख कीट द्वारा पलाश, बेर, बबूल तथा कुसुम के पेड़ों पर लाख उत्पादन कर अपना जीवनयापन ही नहीं कर रहे बल्कि अतिरिक्त धनार्जन कर आधुनिकता की दौड़ में शामिल हो गये हैं। अब सिर्फ दोना पत्तल में प्रयोग होने वाले ढाक अर्थात् पलाश के पेड़ों का उपयोग कुटीर उद्योग के लिए बहुपयोगी लाख उत्पादन में किया जा रहा है।

बायोवेद शोध संस्थान के वैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण करने के पश्चात् इन क्षेत्रों में लाख की खेती की संभावनाएं तलाशी। लाख का उत्पादन शंकरगढ़, कोरांव एवं मेजा विकास खंडों की पहाड़ी क्षेत्रों में उगे बबूल, पलाश एवं बेर के पेड़ों पर की जा रही है सलैया, सुजनी,गुलालपुर, सिरहिर, डीही, बिंदवारा, जोरा, सिंहपुर, परेहरा, मुजरा, इटवा, कोइलाहा, बसहरा, अलमागंज, मेडरा, अंतरी अमिलिया एवं कुर्की कला सहित कई अन्य गांवों में लाख की खेती की जा रही है सलैया गांव को बायोवेद शोध संस्थान ने एडाप्ट कर लिया है लगभग सात सौ आबादी वाले इस गांव में 70 आदिवासी परिवार हैं हर परिवार से एक महिला को चुना गया है और 10–10 महिलाओं के सात समूह बना दिए गये हैं सभी की बागडोर एक आदिवासी महिला के हाथ में है संस्थान द्वारा इन महिलाओं को लाख के विभिन्न उत्पाद तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है खास बात यह है कि ये सारी कि सारी महिला अनपढ़ है लेकिन लाख की खेती ने इन्हें चतुर बना दिया है और पुरुष सिर्फ उनके सहायक ही हैं। इससे इन महिलाओं में भी आत्मविश्वास जगा है और वे परिवार की आय बढ़ाने में मददगार हो गई है। पिछले दो वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में लगभग 6 टन लाख पैदा की गई जिसकी कीमत पांच लाख रुपये से ज्यादा है इस वर्ष अकेले सलैया गांव ने लगभग 25 कुन्तल लाख सीधा व्यापारियों को बेचा नतीजा यह है कि सलैया को लाख का गांव कहा जाने लगा है। नोएडा और फिरोजाबाद के व्यापारी यहां लाख खरीदने आ रहे हैं पहले वह लाख झारखंड से खरीदते थे जिसके लिए उन्हें तीन प्रदेश पार करके लाख ले आनी पड़ती थी जिसके कारण लाख यहां की अपेक्षा मंहगी पड़ती है लाख की खेती में संभावनाएं अपार है जरूरत है कि लाख की खेती को और बढ़ावा दिया जाये। लाख की खेती से इस क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं को कुछ अन्य लाभ भी हुए हैं। यहां शहद उत्पादन की गुंजाइश भी बनी है सलैया ग्राम में इस साल 50 किलोग्राम शहद हुई है पलाश के फूल के कारण मधुमक्खियों के सक्रिय होने से परागण क्रिया तेज हुई तो कृषि व फल उत्पादन भी डेढ़ से दो गुना बढ़ गया है सबसे बड़ा फायदा यह भी हुआ कि यहां की आदिवासी महिलाएं पुरूषों की बराबरी करने लगी हैं। लाख की खेती से दो

वर्ष के अंदर ही कई क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। सभी के व्यस्त होने से लड़ाई–झगड़े कम होने लगे सामाजिक संतुलन बना, क्रिया शक्ति भी बढ़ी और बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। लाख की खेती से उनकी रोजी–रोटी की समस्या तो दूर हुई है और उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा–दीक्षा मिलने लगी है। महिलाओं की इस जागरूकता को देखते हुए बायोवेद शोध संस्थान इन बच्चों की शिक्षा संबंधी जरूरतों पर भी ध्यान दे रहा है। इनको यह प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है कि भोजन के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के खर्च की व्यवस्था किस तरह से करना है।

इन पर्वतीय क्षेत्रों पर उगने वाले पेड़ क्षारीय मृदा व शुष्क जलवायु वाले होते हैं जिनकी जड़े बहुत पानी संचय करती हैं दशकों पहले आदिवासी इनकी जड़ों को चूसकर अपनी प्यास बुझाते थे एक पेड़ की जड़ से लगभग दो किग्रा पानी निकलता है। ढाक की पत्तियां क्षारीय मृदा के सुधार में भी उपयोग की जाती है। भूमि संरक्षण के लिए भी लाख का उत्पादन लाभकारी है इससे पेड़–पौधों की संख्या भी बढ़ेगी। लाख उत्पादन के लिए वृक्षारोपण की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। जिसके कारण भूमि संरक्षण, वन संरक्षण स्वतः होने लगा है। इस क्षेत्र की कुछ आदिवासी महिलाएं लाख के पोषक वृक्ष की नर्सरी लगाकर धन अर्जित कर रही हैं। आदिवासियों में इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को एहसास होने लगा है कि लाख की खेती उनकी आय का मुख्य साधन बन सकती है इसलिए वे पठारी क्षेत्रों में बेर, बबूल व अन्य पेड़ों को लगाएंगें पेड़ों की संख्या बढ़ने से भूमि की उर्वरता भी बढ़ेगी तथा अन्य रोजगार के रास्ते भी तेजी से खुलेंगे। लाख की खेती से इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और विकास के नये रास्ते भी खुलेंगे। लाख के वैज्ञानिक खेती हेतु बायोवेद शोध संस्थान एक हफ्ते का प्रशिक्षण देता है तकनीकी ज्ञान के साथ–साथ लाख बीज एवं सभी संसाधनों को उपलब्ध कराता है। बायोवेद शोध संस्थान ने इलाहाबाद में लाख उत्पादन केंद्र की स्थापना किया है और लाख द्वारा उत्पादित उत्पादों के निर्माण हेतु लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना में लगा है। ✱✱✱✱✱

(तीनों लेखक बायोवेद शोध एवं प्रसार केंद्र, इलाहाबाद में क्रमशः निदेशक, शोध सहायक और वरिष्ठ शोध अध्येता हैं)

नया बीज अधिनियम

बीज विधेयक, 2004 को दिसंबर, 2004 में राज्य सभा में पेश किया गया था। विधेयक में बिक्री हेतु बीज की गुणवत्ता, आयात और निर्यात बीजों उत्पादन तथा आपूर्ति और उनसे संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों को विनियमित करने का प्रावधान है।

निष्पादन के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा निजी संगठनों के प्रत्यायन पर अनिवार्य पंजीकरण के प्रावधान किए गए हैं ताकि पंजीकरण, स्वयं प्रमाण किसानों को क्षतिपूर्ति, ट्रांसजेनिक बीजों के विनियमन, उल्लंघनों के लिए दंड को बढ़ाने तथा अनिवार्य पंजीकरण से किसानों को छूट के उद्देश्य हेतु प्रत्याशित निष्पादन जांच की जा सके।

राष्ट्रीय कृषि जैव सुरक्षा प्रणाली

राष्ट्रीय किसान आयोग ने सरकार को हाल ही प्रस्तुत अपनी चौथी अंतरिम रिपोर्ट में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय कृषि जैव सुरक्षा कोष की स्थापना की सिफारिश की है।

- स्वास्थ्य एवं पादप स्वास्थ्य उपायों के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण।
- पौध, पशु और मात्यिसकी संगरोध और प्रमाणन के लिए सुविधाओं का संवर्धन।
- आक्रामक बाह्य प्रजातियों से उत्पन्न होने वाली महामारी जैसे गंभीर रोगों के प्रति जीन प्रतिरोधक क्षमता की पहचान करने के उद्देश्य से जानवरों के लिए आफशोर जेनेटिक स्क्रीनिंग सेंटर की स्थापना।

लघु उद्योगों के अस्तित्व पर गहराता संकट

अनिता मोदी

लघु व कुटीर उद्योगों के बिना समृद्ध आर्थिक भारत की कल्पना नामुमकिन हैं। राष्ट्रपिता गांधी के स्वप्निल भारत के निर्माण की आत्मा इन उद्योगों में ही निहित है। भारत के आर्थिक विकास में इन उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्ण हैं। लघु औद्योगिक इकाईयों भारत में औद्योगिक विकास के मुख्य उत्प्रेरक हैं व विदेशी मुद्रा अर्जन के महत्वपूर्ण साधन हैं। वस्तुतः भारत में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र लघु व कुटीर उद्योग ही हैं। यदि मिलों का सारा वस्त्र निर्यात कर दिया जाये और देशवासी खादी, हथकरघा व शक्तिकरघा पर बने वस्त्रों का ही उपयोग करें तो देश में बेरोजगारी तुरन्त समाप्त की जा सकती है। भारत में विद्यमान गंभीर बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए लघु व कुटीर उद्योगों का महत्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। आज इस क्षेत्र में 7500 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है जो विनिर्माण क्षेत्र का 40 प्रतिशत एवं कुल निर्यात का 35 प्रतिशत है। मार्च 2002 के अन्त में भारत में लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या 3.4 मिलियन थी और इनके जरिये 19.2 मिलियन लोगों को रोजगार मिला हुआ था।

1990 का दशक राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर, 1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों, उदारीकरण व वैश्वीकरण की नीतियों ने लघु औद्योगिक इकाईयों के लिए आर्थिक वातावरण को अधिक प्रतियोगी बन दिया। इसी भांति, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन के आगमन के साथ ही आयातों पर गैर–परिणामात्मक व गैर–प्रतियोगी नियंत्रणों को हटाने से सदस्य देशों के मध्य प्रतियोगिता में वृद्धि हुई है। इन परिवर्तनों ने लघु इकाईयों के समक्ष कई प्रकार से संकट उत्पन्न कर दिये हैं। भारत में लघु

औद्योगिक इकाईयों का प्रादुर्भाव एवं विकास संरक्षण व आरक्षण रूपी कवच में किया गया। परिणामतः ये लघु औद्योगिक इकाईयां वैश्वीकरण जनित प्रतियोगिता का सामना करने में सफल नहीं हो पा रही है। नब्बे के दशक में लघु उद्योगों की वृद्धि दर उनकी संख्या, उत्पादन व रोजगार के आधार पर अस्सी के दशक की अपेक्षा कम हो गई है। 1985–91 के दौरान लघु उद्योगों की संख्या में वृद्धि दर 7.56 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी जो कम होकर 1991–97 के दौरान 6.53 प्रतिशत प्रतिवर्ष रह गई। इसी अवधि के दौरान उत्पादन की संवृद्धि दर 20.47 प्रतिवर्ष से कम हो कर 18.57 प्रतिशत प्रतिवर्ष, रोजगार की वृद्धि दर 5.47 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम हो कर 4.27 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा निर्यात की वृद्धि दर 28.40 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम होकर 23.52 प्रतिशत प्रतिवर्ष रह गई।

उपरोक्त सभी तथ्य इस बात के स्पष्ट परिचायक है कि 1990 के दशक में लघु व कुटीर उद्योगों के विकास एवं संवर्द्धन में गिरावट आई है।

यही नहीं, लघु औद्योगिक इकाईयों में बढ़ती रुग्णता की प्रवृति देश के लिए चिन्ता का विषय है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अनुसार 31 मार्च 2003 को करीब 1,67,980 लघु इकाईयां रुग्ण इकाईयों के रूप में दर्ज की गई जो कि कुल लघु औद्योगिक इकाईयों का 50 फीसदी हैं। हकीकत में, पचास प्रतिशत लघु औद्योगिक इकाईयों का रुग्णावस्था में पाया जाना अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी हैं। इन रुग्ण इकाईयों में बैंकों का करीब 4800 करोड़ रुपये फंसे हुए है। इससे अधिक चिंताजनक पहलू यह है कि इनमें से केवल 13076 इकाईयों के पुनर्वास की ही संभावना है। शेष अस्वस्थ लघु इकाईयों को बंद करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं हैं। रुग्ण औद्योगिक इकाईयों की सर्वाधिक संख्या 44,496 पश्चिमी बंगाल में है जबकि इस मामले में दूसरा स्थान बिहार का है जहां इनकी संख्या 16,479 दर्ज की गई। गौरतलब है कि भिवण्डी में 60 प्रतिशत

पावरलूम इकाईयां बंद हो गई और अलीगढ़ में ताला बनाने व अन्य हार्डवेयर का उत्पादन करने वाली लघु औद्योगिक इकाईयां बंद होने के कगार पर है। कर्नाटक, तमिलनाडु व पश्चिमी बंगाल की लघु इकाईयों का निराशाजनक निष्पादन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कुटीर व लघु उद्योगों के प्रति सरकार उदासीन है जो एक चिंताजनक पहलू है।

उदारीकरण व वैश्वीकरण के इस युग में लघु औद्योगिक इकाईयों पर संकट के बादल गहरे होते जा रहे हैं। भारतीय लघु इकाईयां प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण से विकसित देशों की तुलना में पिछड़ी हुई है परिणामस्वरूप इनके उत्पादन निम्न गुणवत्ता एवं अधिक लागत वाले होते हैं। उदारीकरण के परिणामस्वरूप ये इकाईयां अब प्रतिस्पर्धा के बाजार में अपने आपको स्थापित करने में असमर्थ होती जा रही है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव बंगलौर के पीन्या औद्योगिक क्षेत्र की इकाईयों पर दृष्टिगत होता है। इस औद्योगिक क्षेत्र की करीब 1500 इकाईयां बिक्री आदेशों के अभाव में बंद हो चुकी है। प्रौद्योगिकी प्रावैगिकता के अभाव को रेखांकित करते हुए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुब्रहम्ण्यम ने बताया है कि भारतीय लघु इकाईयों में प्रौद्योगिकी प्रावैगिकता का अभाव है जिसके कारण वे तेजी से बढ़ रही प्रतियोगिता का मुकाबला करने में असमर्थ होती जा रही हैं। यही नहीं, कर्नाटक राज्य की चालीस प्रतिशत लघु इकाईयां भी उदारीकरण से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण बंद होने के कगार पर है। इन इकाईयों की रुग्णता का एक अन्य प्रमुख कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा माल का क्रय नहीं करना भी है। परंपरागत रूप से, सार्वजनिक क्षेत्र लघु औद्योगिक इकाईयों के उत्पादन का सबसे बड़ा ग्राहक रहा है किंतु उदारीकरण के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन हुआ है एवं बहुत से सार्वजनिक उपक्रम निजी उपक्रम के रूप में तब्दील हुए है। परिणामतः इनके द्वारा उत्पादित मात्रा की क्रय मात्रा में कमी आई है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए आवश्यक है कि इनके द्वारा उत्पादित माल की विपणन व्यवस्था सुदृढ़ की जाये एवं माल का मानकीकरण किया जाये।

लघु औद्योगिक इकाईयों के सामने एक बड़ी समस्या पूंजी का अभाव है। नीतिगत तौर पर, व्यापारिक बैंक, सिड़बी एवं लघु उद्योग विकास निगम इनको प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं किंतु वास्तविक तस्वीर इससे बिल्कुल भिन्न है। सिड़बी, जो कि लघु औद्योगिक

इकाईयों के विकास हेतु कटिबद्ध संस्था है, ने भी लघु औद्योगिक इकाईयों हेतु निर्धारित ऋण सीमा का केवल 5 प्रतिशत ऋण की वास्तविक रूप से इन लघु इकाईयों को प्रदान किया है। लघु औद्योगिक इकाईयों की पूंजी की समस्या का एक अन्य प्रमुख कारण क्रेताओं द्वारा इन इकाईयों की पूंजी की समस्या का एक अन्य प्रमुख कारण क्रेताओं द्वारा इन इकाईयों के द्वारा उत्पादित माल का समय पर भुगतान नहीं करना है। अनेक अध्ययनों के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें एवं अनेक क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम इन इकाइयों से माल तो क्रय कर लेते है किंतु इनका भुगतान समय पर नहीं करते है एवं उसमें अनावश्यक विलंब करते है। परिणामस्वरूप, इनकी पूंजी की समस्या बढ़ती जाती है एवं ये इकाईयां वित्तीय प्रबंधन के दृष्टि से कमजोर होती चली जाती हैं।

पूंजी के अभाव में इन इकाईयों का उत्पादन व वितरण तंत्र प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है एवं शनैःशनैः ये इकाइर्या वित्त की समस्या से जूझती हुई रुग्ण इकाईयों के रूप में तब्दील हो जाती है एवं अंत में बंद हो जाती है। अतः आवश्यक है कि इन संस्थाओं को समय पर, न्यूनतम ब्याज दर पर स्वीकृत ऋण की उपलब्धता एकल खिड़की योजना के द्वारा करवाई जाये।

सरकार को चाहिए कि वह लघु व कुटीर उद्योगों को बनाये रखने के लिए आधारभूत संरचना के विकास के साथ–साथ इन्हें नवीन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवायें तथा प्रतियोगिता के इस दौर में इन्हें अनुदान देकर इनके अस्तित्व को बनाये रखने में इनकी मदद करें।

(लेखिका जीएसएस गर्ल्स, पीजी कालेज, चिड़ावा से संबद्ध हैं)

चित्रकार से काष्ठ शिल्पी तक का सफर

ओम प्रकाश कादयान

भारत भूमि ने अनेक ऐसे कलाकार दिये हैं जो अपनी–अपनी कार्यशैली से लोगों को अपने सामान्य जीवन से हटकर कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। वेसे हर इंसान के अंदर एक कवि, चित्रकार, शिल्पी व एक वैज्ञानिक छिपा होता है, किंतु वातावरण व परिस्थिति के अनुसार उसके अंदर से वही प्रकाशित होता है जिस तरह के वातावरण में वह पलता है। कई इंसान बहुमुखी प्रतिभाशाली बन जाते हैं तो कई सामान्य व्यक्ति ही रहते हैं। कुछ लोगों का यह मत है कि किसी व्यक्ति में किसी प्रतिभा का होना भगवान की देन होती है। वैसे हर इंसान चाहता है कि मैं कुछ बनूं, कुछ करके दिखाऊं। और जो व्यक्ति साहस, लगन और मेहनत से किसी काम में जुट जाता हैं उसे सफलता भी अवश्य मिलती है। ऐसे व्यक्ति अपनी प्रतिभा के कारण चर्चित हो जाते हैं। ऐसे ही कलाकार हैं–भगवान सिंह अहलावत। गोच्छी गांव में 5 अगस्त 1943 को जन्मे व पिछले 35–36 वर्षों से रोहतक शहर में रह रहे 62 वर्षीय भगवान सिंह अहलावत ने समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है काष्ठ कला के क्षेत्र में। जिस प्रकार एक कुम्हार गीली मिट्टी के उसी लौंदे को एक कलात्मक रूप दे देता है, उसी तरह श्री भगवान सिंह जब किसी बेकार, बेढ़ब व सूखी लकड़ी को अपनी लंबी, कठोर व सृजनात्मक उंगलियों में छैनी फंसाकर हथौड़े की चोट मारते हैं तो हर चोट उस सूखी लकड़ी को एक नया रूप प्रदान करती है। किसी महान शिल्पी की तरह भगवान सिंह एक–एक चोट बड़ी साध कर मारते हैं तथा निर्जीव सूखी लकड़ी को किसी आकृति का रूप देकर मुंह बोलती रचना का निर्माण करते हैं। घर के बाहर बड़े–बड़े सूखे लक्कड़ देख व अंदर लकड़ी तराशने खट–खट की आवाज सुनकर गली से गुजरने वाले को यह एहसास हो जाता है कि शायद यह किसी कलाकार का घर है।

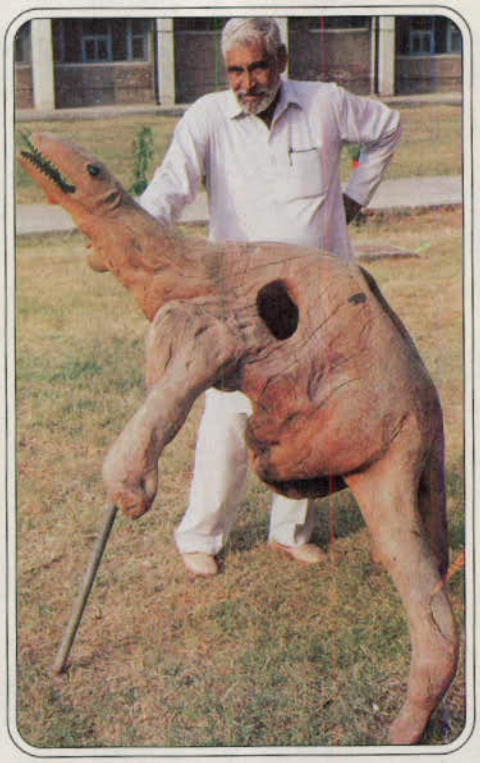

किसान परिवार में जन्मे भगवान सिंह अहलावत छुट्टी वाले दिन खेतों की ओर निकल जाते हैं सूखी लकड़ी की तलाश में। जहां भी इनको सूखी किंतु कलात्मक लकड़ी नजर आती है, उसको किसी भी तरीके से मोल लेकर या विनय से) प्राप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं। कभी काठ मंडियों से लकड़ी प्राप्त करते हैं। हरे–भरे पेड़ को ये कभी नहीं काटते, क्योंकि प्रकृति से इन्हें बेहद लगाव है। प्रकृति के विनाश को वे मनुष्य का ही विनाश नहीं बल्कि समस्त प्राणी जगत का विनाश मानते हैं।

अहलावत अपने मन में पहले कलाकृतियां सोचकर लकड़ी को नहीं तलाशते व तराशते बल्कि लकड़ी ढूंढते हैं और लकड़ी के अनुसार ही उसी कलाकृति की रचना करते हैं जो लकड़ियों में प्राकृतिक बनावट होती है। ये लकड़ी का कोई भी टुकड़ा अलग से किसी कृति में नही जोड़ते बल्कि प्राकृतिक बनावट को ही थोड़ा बहुत कुरेद कर कलाकृति का रूप दे देते हैं।

होली, नारी पर बोझ, कुश्ती, मां–बेटा, भालू, गिद्ध, गणेश, डबवाली कांड, हवाला कांड, बिल्ली, एड्स, पेट की आग, नट, नजर, बिटटू, छिपकली, सैनिक गिरगिट, सर्प, नेवला, मोर, जमनास्टिक, नटराज, नर–नारी, फूल, हाथी, गायक, बुद्ध, टाईगर, खरगोश, कुत्ता, गेंडा, प्रेमी युगल, कृष्ण–यशोदा, वंदना, गुफा, हनुमान, हिरण, तीतर, नर्तकी, मुर्गा, कछुआ, पक्षी–जोड़ा, शिवजी, बारहसिंगा, श्रमिक, डाइनासो, पनहारिन, युद्ध, छोटा परिवार, सुखी परिवार, हमसफर आदि शीर्षकों से सैकड़ों काष्ठ कलाकृतियां बनाई हैं।

जहां कलाकार ने अपनी कृतियों के माध्यम से सामाजिक बुराईयों के विरुद्ध एक अभियान चलाने का प्रयास किया है वहीं प्रकृति की हर चीज से प्रभावित भी होता दिखाई दिया है। पशु–पक्षी से लेकर मनुष्य के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं या मनोरंजन के साधनों को भी अपनी कृतियों में उकेरा है। हमारे देश में घटित होने वाली अच्छी–बुरी हर घटना कलाकार को प्रभावित करती है।

प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, नारी शोषण व युद्ध, डबवाली कांड, हवाला कांड, कुश्ती, नारी पर बोझ, मां–बच्चा, गणेश छोटा परिवार–सुखी परिवार, डायनासोर आदि इनकी चर्चित कृतियां हैं। इनकी बहुत सी ऐसी काष्ठ कलाकृतियां हैं जिनमें एक–एक कृति में दो–दो कृतियों समायी हुई हैं। भालू की कृति का उलटते हैं तो फूल बन जाता है। 'पुरुष' कृति को इसी तरह की और भी कृतियां हैं।

श्री अहलावत बताते हैं कि इनको बनाने में एक से 25 दिन तक लग जाते हैं। इनका मूल्य भी 100 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक होता है।

अब तक की कृतियों में 'होली' शीर्षक (छः फुट ऊंची) की कृति 21 हजार रुपये में तथा हाल ही में डयनासोर कृति 25 हजार रुपये में सबसे महंगी बिकी है। अब तक इनकी सैकड़ों काष्ठ कलाकृतियां बिक चुकी हैं जो विभिन्न स्थानों पर लगी हुई है। अनेक गणमान्य व्यक्तियों व नेताओं के घर इनकी कृतियां देखी जा सकती हैं। असंख्य नेता, कई मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि इनकी कला की सराहना कर चुके हैं। कला–प्रेमी दर्शक इनकी कला को देख आनंदित हो उठते हैं।

जयपुर, चंडीगढ़, अंबाला, करनाल, रोहतक, फरीदाबाद, दिल्ली आदि शहरों में ये अपनी कला प्रदर्शनियां लगा चुके हैं। दिल्ली हाट में कई बार अपनी कृतियां प्रदर्शित कर चुके हैं। 1994 में रोहतक के जाट कॉलेज में इनकी कृतियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी भजन लाल ने किया। फरीदाबाद रेड क्रास मेले मे गत तीन वर्षों से निरंतर अपनी कृतियों का प्रदर्शन कर रहे हैं, किंतु इन्हें हरियाणा सरकार से शिकायत है कि हरियाणा के कलाकारों हरियाणा सरकार उतना प्रोत्साहित नहीं करती जितना कि करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वे राज्य के कलाकारों को प्रदर्शनियां लगाने के लिए आमंत्रित करें ताकि कलाकारों का उत्साह बराबर बना रहे।

भगवान सिंह अहलावत एक अच्छे चित्रकार भी हैं। जब इन्होंने 1960 से आर्ट कालेज, शिमला में दाखिला लिया तो तभी से इनकी कला यात्रा एक चित्रकार के रूप में आरंभ हुई। एक लंबी यात्रा के बाद इनकी आंखें की रोशनी धुंधला गई तो इन्होंने चित्रकारी छोड़कर काष्ठकला की दुनिया अपना ली। 15 अगस्त 2001 को भगवान सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला ने सम्मानित किया। 17 नवंबर, 2003 को इन्हें काष्ठ कला क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये प्रगति मैदान में औद्योगिक विभाग हरियाणा सरकार द्वारा स्टेट अवार्ड प्रदान किया गया।

भगवान सिंह एक अच्छे लोकगीतकार भी हैं। देश की छोटी–बड़ी वह हर घटना जिनसे ये प्रभावित होते हैं, वह घटना इनकी कलम से रागिनी का रूप ले लेती हैं। जनसंख्या वृद्धि, फैलता भ्रष्टाचार, साक्षरता पर इनके द्वारा लिखे गीत (रागिनी) हम समय–समय पर आकाशवाणी

से भी सुन सकते हैं। हमारे समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध इनकी कलम निरंतर संघर्ष करती रही है। अब तक ये 1600 से ज्यादा गीत लिख चुके हैं।

सर छोटू राम के जीवन पर इनके लिखे गीतों की कैसट बाजारों में बिक रही हैं। इस श्रेष्ठ कार्य का श्रेय पहले इन्हीं को जाता है। अपने समय के ये कबड्डी के चर्चित खिलाड़ी भी रह चुके हैं, अनेकों पुरस्कार भी जीते। कलाकार, गीतकार भगवान सिंह बी.ए. के बाद आर्ट मास्टर (पेंटिंग) की उपाधि, शिमला व चंडीगढ़ से प्राप्त कर 1976 में 2001 तक रोहतक के कला स्कूल में आर्ट मास्टर के पद पर कार्यरत रहे हैं। आजकल ये गांव जनता बुटाणा (सोनीपत) मे आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल के मुख्याध्यापक के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

इनका पिछला जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है, किंतु कला में इनकी बराबर रुचि बनी रही। कला को इन्हें बचपन से ही शौक है। इनका कहना है "मुझे कला के क्षेत्र में कार्य करने पर आत्मसंतुष्टि व इज्जत मिलती है। लोगों से मुझे प्यार बराबर मिलता आया है। कुछ अप्रत्यक्ष आलोचक भी मिले किंतु उनसे मुझे किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई, उल्टे ही मेरी कला में निखार आता गया।" काव्य शिल्पी भगवान सिंह की गहरी इच्छा है कि अगर हरियाणा सरकार सहयोग करे तो मैं जिस तरह से चंडीगढ़ में नेक चंद ने रॉक गार्डन बना रखा है उसी तरह मैं हरियाणा में (रूट जड़ कलाकृतियां) गार्डन तैयार कर सकता हूं, जो हरियाणा में पर्यटकों के आकर्षण को केंद्र तो होगा ही यहां के यथा बाहर के कलाकारों के लिये प्रेरणा का कार्य भी करेगा।

(लेखक पत्रकार हैं)

तीखी पर बहुपयोगी है मिर्च

सुनील कुमार 'प्रियबच्चन'

ताजी हरी मिर्च हो या पकी हुई लाल मिर्च हो – सभी हमारे भोजन के एक अंग बन गए हैं। ज्यादातर घरों में विभिन्न खाद्य–व्यंजनों में सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल होता है। ऐसे जो लोग लाल मिर्च खाना नहीं पसंद करते हैं वे लोग साग–सब्जियों सहित अन्य व्यंजनों में हरी मिर्च का प्रयोग करते हैं।

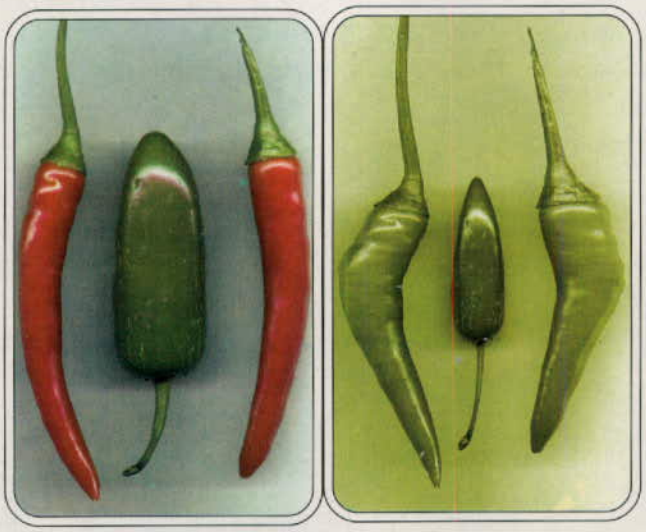

मिर्च भारतवासियों की पसंदीदा रही है। प्राचीन समय से ही मसाले के रूप में ज्यादातर सूखी मिर्च का इस्तेमाल होता रहा है। भारत में इसकी पैदावार प्राचीन काल से होती आ रही है। कई जगहों में तो शिमला मिर्च, पहाड़ी मिर्च एवं राजस्थानी मिर्च की सब्जी भी बड़े शौक से बनायी जाती है। फिर विभिन्न घरों में मिर्च का अचार तो बाखूबी शौक से खाया जाता है।

आज विश्व के अधिकांश देशों में मिर्च का प्रयोग जारी है। ऐसे भोजन के रूप में सीधे या सलाद के साथ ज्यादातर घरों में हरी मिर्च का प्रयोग देखा जा रहा है। आधुनिक विचारधारा है कि वह दक्षिण अमेरिका के उष्ण जलवायु क्षेत्र का एक फसल रही है फिर सत्रहवीं सदी में इस मिर्च का विस्तार विश्व के अन्य देशों में हुआ।

भारत में करीब आठ लाख हेक्टेयर भूमि पर मिर्च की खेती की जा रही है। भारत में इसकी खेती प्रमुख रूप से आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं मध्य प्रदेश में हो रही है।

मिर्च एक उष्ण कटिबंधीय फसल है जिसे ग्रीष्म ऋतु के अंत से लेकर वर्षाऋतु के प्रारंभ तक लगाया जा सकता है। ऐसे बरसाती मिर्च के रोपण का समय जून से अगस्त तक है। मिर्च को मैदानी भाग से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है। घरेलू बगानों में तो मिर्च की बागवानी काफी लोकप्रिय हो गई है। दक्षिण भारत में बरसात के आगमन के साथ ही बड़े धूम–धाम के साथ मिर्च की बोआई शुरू कर दी जाती है। मिर्च की खेती हेतु मुख्य रूप से दोमट एवं बलुआ दोमट मिट्टी ज्यादा उपयुक्त है।

आजकल तो विभिन्न क्षेत्रों में शौक से सूरजमुखी एवं लौंगिया मिरचाई की खेती किचन गार्डन में कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, हमारे उन्नत किसान व्यवसायिक दृष्टिकोण से मोटी एवं बड़े मिर्चों की खेती कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से विशेष लाभप्रद है।

एनपी–41, आर–449, एक्स–197, जी–1, जी–3, जी–5 वर्ल्ड बिटर, बेल पेप्पर, एनपी–46 एवं हाइब्रिड 5–1–5 आदि उन्नत प्रकार के मिर्चों की किस्में हैं। इनके खेतों में जल निकास का अच्छा प्रबंध होना जरूरी है। ऐसे फसल तैयार होने पर मिर्चों की 250 से 275 क्विंटल उपज प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है।

चरपरे एवं तीक्ष्ण मिर्चों का उपयोग चटनी में भी होता है। मिर्च में मौजूद 'कैप्सेकिन' नामक पदार्थ की वजह से यह तीक्ष्ण होता है। अधिकांश लोग अपने भोजन को चटपटा बनाने के लिए मिर्च का उपयोग करते हैं लेकिन यह बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि मिर्च को एक लंबे अरसे से आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है। लाल मिर्च एक तीव्र स्थानीय उत्तेजक के रूप में आयुर्वेदिक ग्रथ 'भाव प्रकाश निघण्टु' में वर्णित है। आयुर्वेद के अनुसार यह आंत को उत्तेजित करती है और पाक स्थली में उष्णता को अहसास कराती है। इसकी औषधि के रूप में प्रयोग करने से आमाशियक रस में वृद्धि होती है। मिर्च की नाड़ियों के लिए बलकारक एवं वृक्क आदि के लिए उत्तेजक भी बताया गया है।

मिर्च के रासायनिक विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि मिर्च में आर्दता के अलावा प्रोटीन 2.9 प्रतिशत, कार्बोहाइड्रेटस 6.1 प्रतिशत, फाइबर 6.8 प्रतिशत, वसा 0.6 प्रतिशत, कैप्सेकिन 0.1 प्रतिशत, फास्फोरस 0.08 प्रतिशत, लौह 0.012 प्रतिशत, कैल्सियम 0.03 प्रतिशत पाया जाता है। साथ ही इसमें विटामिन–सी, कैरोटीन एवं विटामिन–ई भी पाए जाते हैं।

आजकल मिर्च से कैप्सीकम आयल भी निकाला जा रहा है। यह परिष्कृत तेल कफ जन्य, पाचन रोग एवं शोध में विशेष लाभकारी सिद्ध हुआ है। इसके अलावा सिरदर्द, हड्डी एवं पसलियों के शोध एवं दर्द, कमर दर्द, घुटनों के दर्द, मांसपेशियों में दर्द एवं डिप्थेरिया आदि रोग में भी यह फायदेमंद हैं। ऐसा पाया गया है कि मिर्च का महीन चूर्ण पुराने अथवा सड़े–गले घाव पर एक सीमित मात्रा में लगा दिया जाए तो उससे मवाद बनना बंद हो जाता है और घाव धीरे–धीरे सूखने लगता है। इसी तरह से कुत्ते के काटे हुए स्थान पर मिर्च का बारीक चूर्ण लगाने से श्वानदंश का घाव भी धीरे–धीरे ठीक होने लगता है। फिर मिर्च का धार्मिक महत्व भी कम नहीं है। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में इसके प्रयोग तो होते ही है। कई घरों में भूत–प्रेत भगाने का काम भी इन्हीं मिर्चों से किया जाता है। इन्हीं सब कारणों से विविध स्थलों एवं कई दुकानों के गेट पर नींबू के साथ–साथ हरी मिर्च गुच्छे के रूप में लटकाते हुए पाये जाते हैं।

स्वच्छता अभियान का नायक - ग्राम बछौड़ा

मधुकर पवार

इंदौर जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर देपालपुर तहसील के ग्राम बछौड़ा के निवासी इन दिनों आत्मविश्वास से भरे और उत्साह से चहक रहे हैं। प्रसंग है ग्राम बछौड़ा देश के उन निर्मल ग्राम में शामिल हो गया है जिन्हें महामहिम राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने 23 मार्च को नई दिल्ली में निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया है। वर्ष 2005 के लिए मध्य प्रदेश से एकमात्र ग्राम पंचायत बछौड़ा ही है जिसे निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस तरह यह गांव मालवांचल सहित प्रदेश में स्वच्छता अभियान का नायक बन कर उभरा है।

केन्द्र सरकार की निर्मल ग्राम योजना के तहत बछौड़ा ग्राम में सभी घरों में शौचालयों का निर्माण हो गया है। इसका श्रेय जाता है वहां के सरपंच और पूर्व जनपद अध्यक्ष को जिन्होंने सदियों से खुले में शौच के लिए जाने की प्रथा को न सिर्फ समाप्त किया बल्कि ग्राम में स्वच्छता से परिपूर्ण वातावरण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। ग्राम बछौड़ा को निर्मल ग्राम बनाने में ग्राम के बुजुर्गों, युवा और महिलाओं के साथ बच्चों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है जिन्होंने अपने अपने माता–पिता से अपने घरों में शौचालय बनवाने के लिए जिद की बच्चों को स्वच्छता का पाठ स्थानीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाया गया। इस तरह बछौड़ा को निर्मल ग्राम बनाने में सभी ग्रामीणों के साथ–साथ समग्र स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए तैनात उन अधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही जिन्होंने ग्राम के नेतृत्व को इसके लिए प्रेरित किया।

पिछले डेढ़ वर्ष पहले ग्राम बछौड़ा भी अन्य ग्रामवासियों की तरह नित्य क्रिया (शौच) के लिए खुले मैदान अथवा गांव से निकलने वाले रास्तों के आसपास ही जाते थे। इनमें सबसे ज्यादा शर्मींदगी महिलाओं को उठानी पड़ती थी। बरसात के दिनों में तो यह किसी नरक की यातना से कम नहीं होता था। गांव के आसपास खुले में शौच जाने से आने–जाने वालों के साथ ग्रामीणों को भी दुर्गंध के साथ गंदगी का सामना करना पड़ता था। शौचालय का निर्माण कर सकने वाले आर्थिक रूप से सक्षम ग्रामीण भी खुले में शौच के लिए जाने की मानसिकता से नहीं उबर पाए। हालांकि ग्राम बछौड़ा में सन् 1980 में पहला शौचालय वर्तमान सरपंच सेठ शंकर लाल सिसोदिया के यहां बनाया गया था। तब से लेकर पिछले डेढ़ वर्ष पहले जब समग्र स्वच्छता कार्यक्रम की शुरूआत हुई तब तक केवल मात्र 27 घरों में ही शौचालय बने थे।

लेकिन ग्राम बछौड़ा की तस्वीर आज एकदम बदली हुई है। जिन्होंने करीब डेढ़ वर्ष पहले इस गांव को देखा था वे इसकी न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनने से आश्चर्य कर सकते हैं। उन्हें तो आश्चर्य तब भी होगा जब वे देखेंगे कि ग्रामीणों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका कड़ाई से पालने करके ही इस सुखद मुकाम तक पंहुचा जा सका है। एक 18 सूत्रीय नियम परिचय पत्र में भी मुद्रित किया गया और घर–घर में समग्र स्वच्छता अभियान की अलख जगाने के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया। करीब दो वर्ष पहले जब वर्तमान सरपंच सेठ शंकर लाल सिसोदिया निर्वाचित हुए तो उन्होंने सबसे पहले गांव को दुर्गंध भरे वातावरण से मुक्ति दिलाने का बीड़ा उठाया। उनका साथ दिया पूर्व जनपद अध्यक्ष श्री उमरावसिंह मौर्य और उपसरपंच श्री रूपसिंह मौर्च ने। सबसे पहले उन्होंने 18 सूत्रीय नियम बनाए तथा अपनी इस योजना से जनपद पंचायत, देपालपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मनीष भारद्वाज को अवगत कराया। अधिकारियों द्वारा समग्र स्वच्छता अभियान की जानकारी दी गई और गांव में शौचालय बनवाने पर प्रति शौचालय 500 रुपये के अनुदान के बारे में बताया गया। जब उन्हें यह बताया गया कि गांव के सभी घरों में शौचालय बन जाते हैं तो यह ग्राम निर्मल ग्राम बन सकता है, यही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर निर्मल ग्राम पुरस्कार भी मिल सकता है। बस यहीं से शुरू होती है निर्मल ग्राम बनाने की दास्ता।

217 परिवारों और 1235 जनसंख्या वाले इस बछौड़ा ग्राम के सरपंच और उनके सहयोगियों ने गांव के लोगों को शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। कुछ लोगों ने शौचालय बना लिए किन्तु कुछ लोग इसका विरोध करते रहे। तब उनके साथ सख्ती की गई तथा उनके खुले में शौच जाने की दिशा में युवाओं को पहरेदार बनाकर खड़ा कर दिया गया। यही नहीं, शौचालय बनाने में आना–कानी करने पर दण्ड स्वरूप शासकीय उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाले राशन पर भी रोक लगा दी गई। यहां तक कि स्कूल में भी बच्चों को स्वच्छता के बारे में जानकारी देने का दायित्व शिक्षकों ने उठाया और प्रति मंगलवार एक पीरियड स्वच्छता का लिया जाने लगा। बच्चों को भी इस बात की जिद करने के लिए कहा गया कि उनके माता–पिता अपने घरों में शीघ्र शौचालय बनवाएं। इसका यह परिणाम हुआ कि डेढ़ साल के अथक प्रयास से घरों, विद्यालय और आंगनबाड़ी केन्द्र पर शौचालय बन गए। गांव में दो महिलाएं अकेली रहती हैं, उन्होंने भी अपने घरों में शौचालय बनवाएं हैं। शौचालय बनवाने के साथ–साथ गांव में नालियां भी बनाई गई जिससे पानी की निकासी आसानी से होनी लगी। ग्राम पंचायत द्वारा सभी घरों में घर का कचरा जमा करने के लिए टीन के डिब्बे भी दिए दिए गए हैं। इससे घरों में महिलाएं अब घर का कचरा उसी डिब्बे में इकट्ठा कर अपने खेतों में बने घूरे पर ही फेंकती हैं। इस तरह घर का कचरा जिससे पहले मोहल्ले और गलियों में गंदगी ही फैलती थी, अब वहीं कचरा खाद बनाने के काम आ रहा है। 'घर का कचरा डिब्बे में, बहता पानी गड्डे में'। 'तन हो सुन्दर मन हो सुन्दर, घर का कोना कोना सुन्दर'। शौचालय का करें प्रयोग–मिटे गंदगी भागे रोग। ऐसे कितने ही नारे गांव के घरों की दिवारों पर लिखे गए हैं जो ग्रामीणों को स्वच्छता के लिए लगातार प्रेरित करते हैं।

समग्र स्वच्छता अभियान की सफलता से ग्रामीणों में एक नए उत्साह का संचार हुआ है। गांव के बच्चे, जवान और बूढ़े सभी आज इस पर गर्व कर रहे हैं। 85 वर्ष से अधिक आयु की श्रीमती अयोध्या बाई हो या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती अंजना मकवाना या फिर स्कूल की छात्राएं ज्योति, रीना या पूजा हों, सभी आज बेहद प्रसन्न हैं। उन्हें अब आवश्यक मूलभूत सुविधा अपने घर के साथ–साथ स्कूल और आंगनबाड़ी केन्द्र पर भी उपलब्ध हो गई है। इससे उन्हें एक ऐसी सामाजिक कुप्रथा और अभिशाप से मुक्ति मिली है जो उनके लिए पहले कल्पना मात्र थी। अब गांव की बहू–बेटियों को रात की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। गांव की बूढ़ी महिलाएं तो इस कार्य से इतनी प्रफुल्लित हैं कि वे समग्र स्वच्छता अभियान की सफलता की कहानी गढ़ने वाले इन नायकों को दूसरे जन्म में भी इसी गांव में जन्म लेने का आशीर्वाद देती हैं।

ग्राम बछौड़ा ग्राम के 62 वर्षीय सरपंच श्री सिसोदिया में किसी युवा जैसा उत्साह है। वे इस उपलब्धि का श्रेय सभी ग्रामीणों के साथ इस अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों को देते हैं। निर्मल ग्राम पुरस्कार के बाद वे अब दूने उत्साह से अगली योजनाओं के क्रियान्वयन की चर्चा करने लगे हैं। श्री सिसोदिया अपने गांव को एक ऐसे आदर्श गांव के रूप में विकसित करना चाहते हैं जिसे लोग न सिर्फ देखने आएं बल्कि वे यहां पर्यटन का भी आनन्द लें सकें। गांव में नल–जल योजना अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव को मुख्य से जोड़ने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। गांव में सीमेंट कंक्रीट की पक्की गलियां और नालियों का निर्माण जारी है। श्री सिसोदिया गांव में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयासरत हैं। बागवानी परियोजना शुरू हो जाने से कुपोषण जैसी समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। पिछले दिनों स्वास्थ्य परीक्षण में दो बच्चे कुपोषण के शिकार पाए गए थे। जिनका इलाज समय पर हो यगा।

ग्राम बछौड़ा में इन दिनों 25 बायोगैस संयंत्र सफलतापूर्वक चल रहे हैं। इसका उपयोग खाना बनाने के लिए करते हैं। गांव में सौर ऊर्जा से प्रकाश की व्यवस्था के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। ग्राम बछौड़ा प्रदेश का एकमात्र ऐसा पहला गांव था जहां सबसे पहले दुग्ध सहकारी समिति का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। इससे ग्रामीणों को अपने दूध का उचित मूल्य मिलने लगा है। गांव के प्रायः सभी 217 परिवार दुग्ध सहकारी समिति में प्रतिदिन करीब 2000 लीटर दूध का संग्रहण होता है।

एक सकारात्मक सोच के साथ विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए ग्राम बछौड़ा में जो शुरूआत हुई है, उसके सुखद परिणाम मिलने प्रारम्भ हो गए हैं। उम्मीद है इस गांव से प्रेरणा लेकर प्रदेश के अन्य ऐसे गांवों में जहां अभी तक समग्र स्वच्छता अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ है, वहां भी स्वच्छता के प्रति वातावरण बनेगा और स्वच्छ सुगंध भरी बयार बहेगी।

(लेखक प्रेस सूचना कार्यालय, इंदौर में सहायक सूचना अधिकारी है)

ग्रामीण अनाज बैंक योजना

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अनाज की कमी वाले क्षेत्रों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए 1996 में ग्रामीण अनाज बैंक योजना शुरू की थी। ये केंद्र गांवों में रहने वाले गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों और अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों द्वारा चलाए जाने थे। 1996–97 के दौरान 11 राज्यों में ग्रामीण अनाज बैंक स्थापित किए गए और 2004–05 तक मंत्रालय ने 4.858 अनाज बैंको को चलाने के लिए 10.26 करोड़ रुपये की राशि जारी की। 24 नवंबर, 2004 को यह योजना उपभोक्ता मामले, अनाज और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को हस्तांतरित कर दी गई।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के समय या अनाज की कम उपलब्धता वाली अवधि के दौरान औसतन 40 परिवारों के लिए अनाज का भंडारण बनाने के वास्ते अनाज उपलब्ध कराना था, ताकि लोग भुखमरी के शिकार न हों। ये अनाज बैंक सूखाग्रस्त क्षेत्रों, गर्म और सर्द रेगिस्तानी इलाकों और आदिवासी तथा दुर्गम पहाड़ी इलाकों जैसे अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाने हैं।

इन अनाज बैंकों को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत/ग्राम सभा, आत्म–सहायता समूह या गैर–सरकारी संगठन चला सकेंगे।

फरवरी, 2006 में इस योजना को संशोधित किया गया और केंद्र सरकार ने सात राज्यों – आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मेघालय में 3282 अनाज बैंक स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। मई 2006 में उत्तर प्रदेश में 500 अनाज बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

संशोधित योजना में गरीबी रेखा के नीचे के और अंतोदय अन्न योजना के उन सभी परिवारों को शामिल करने की व्यवस्था है जिनकी पहचान अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। अनाज बैंकों को सरकार कितना अनाज देगी और कितने समय में इसका भुगतान करना होगा, इसका फैसला कुछ चुने हुए परिवारों के समूह के साथ परामर्श करके लिया जाएगा। एक अनाज बैंक की स्थापना पर लगभग 60 हजार रुपये की लागत आती है।

योजना आयोग ने वर्ष 2005–06 में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा और मेघालय में 3282 अनाज बैंक स्थापित करने के लिए 20.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की। चालू वित्त वर्ष में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई और उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा असम के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

स्वास्थ्य देखभाल की किफायती पारंपरिक पद्धतियां

विश्व भर की सरकारों के लिए आम आदमी को सस्ती और अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना प्रमुख चिंता का विषय रहा है। परंतु हम भारतवासी इस मामले में काफी सौभाग्यशाली है कि हमारे देश में पहले से ही पारंपरिक चिकित्सा का ज्ञान उपलब्ध है लेकिन इस पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को सफल बनाने के लिए सरकार और जन सामान्य को एकजुट होकर कार्य करना होगा। सरकार ने चिकित्सा की पारंपरिक प्रणाली के गुप्त ज्ञान को प्रकाश में लाने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि इस ज्ञान को कोई और पेटेन्ट न करा सके। सरकार का प्रयास है कि सभी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हों और यह लोगों पर छोड़ दिया जाए कि वह किस चिकित्सा पद्धति का चुनाव करते हैं। यह पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां एक–दूसरे के अनुपूरक के रूप में भी हो सकती है या फिर अपने आप में स्वतंत्र रूप से भी इनका प्रयोग किया जा सकता है।

भारत का लंबा सांस्कृतिक इतिहास पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों से परिपूर्ण है। परंतु पिछली कुछ शताब्दियों से एलोपेथिक दवाओं का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। व्रीव औद्योगिकीकरण के कारण लोग जल्द अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए एलोपेथिक दवाओं की शरण में जाने लगे हैं। आधुनिक एलोपेथिक चिकित्सा प्रणाली काफी सुविधाजनक रूप से उपलब्ध है। निर्धारित मानक दवाएं मात्र पर्ची अथवा लेबल देखक उपचार के लिए खरीदी जा सकती हैं।

वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक चिकित्सा में रोगी के हर बार आने पर हकीम, वैद्य को पारंपरिक दवाएं तैयार करनी पड़ती हैं। हालांकि लोग धीरे–धीरे इन महंगी एलोपेथिक रासायनिक दवाओं के दुष्प्रभावों से परिचित हो रहे हैं तथा पारंपरिक दवाओं की खूबियों से वाकिफ हो रहें हैं जो कि रोगों की जड़ तक पहुंच कर उनका उपचार कर सकती है तथा इनसे लंबे समय तक स्वास्थ्य लाभ मिलता है जबकि एलोपेथिक चिकित्सा में मात्र रोग के ऊपरी कारणों को दबा दिया जाता है।

आयुषः भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा के महत्व को समझते हुए एक अलग विभाग–आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा–यूनानी, सिद्ध और होम्योपेथी) का गठन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का यह विभाग, भारतीय चिकित्सा प्रणाली और परिवार कल्याण मंत्रालय का यह विभाग, चिकित्सा प्रणाली और उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया है।

यूनानी चिकित्सा पद्धति, ग्रीक और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति, जर्मनी से आई थी हमने इन पद्धतियों को अपनाकर इन्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल लिया है। हमारे देश में इन चिकित्सा पद्धतियों की सफलता का कारण देश की जैव विविधता, हिमालय के ढलानों, दक्षिणी की नम जलवायु, पश्चिम के शुष्क मरुस्थल और पूर्व की दलदली भूमि में उगनेवाली जड़ी–बूटियों और वनस्पतियां है जो आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धतियों के विकास में काफी सहायक सिद्ध हुई हैं।

पश्चिमी देशों ने भी अब भारत की चिकित्सा प्रणाली कि विशेषताओं और उनसे होने वाले फायदों को स्वीकारना शुरू कर दिया है, परंतु अभी भी यह उनके लिए वैकल्पिक चिकित्सा ही है। पश्चिम में योग को भी काफी सराहा और स्वीकारा जा रहा है। खासकर उत्तरी अमरीका, जर्मनी और स्केन्डिनेवियन देशों में काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

लेकिन अभी और भी बहुत से कार्य बाकी हैं। भारत के आयुष विभाग को अभी इन सभी प्रणालियों को वैज्ञानिक कसौटियों पर खरा उतार कर इनका मानकीकरण कर इनको आधुनिक जीवन शैली के लिए उपयुक्त बनाना है।

विभाग द्वारा इन प्रणालियों के लिए पहचाने गए क्षेत्र हैं–शैक्षिक स्तर का उन्नयन करना, गुणवत्ता नियंत्रण, दवाओं का मानकीकरण और उनके अनुसंधान पर जोर इत्यादि। प्रत्येक चिकित्सा प्रणाली की विशेषताओं को उजागर करने के लिए प्रयासरत है, ताकि प्रत्येक नागरिक जागरूक हो और अपनी इच्छा से इन प्रणालियों में से किसी एक का चुनाव कर सकें। विभाग सदियों पुराने विज्ञान की प्रामाणिकता के साथ बिना किसी समझौते या ज्ञान की दूसरी प्रणाली की मानक अभिधारणाओं से वैधता की तुलना किए बिना ज्ञान के इस भंडार की समसामयिक प्रासंगिकता को प्रकाश में लाना चाहता है।

आयुर्वेदः आयुर्वेदिक परंपरा का इतिहास शायद उतना ही पुराना है जितनी की हमारी सामाजिक सभ्यता। यह जीवन का विज्ञान,शारीरिक, मानसिक, धार्मिक और

सामाजिक पहलू का मिश्रण है। आयुर्वेद के ज्ञान का भंडार से अंजान लोगों को यह नहीं पता कि आयुर्वेद का क्षेत्र अन्य किसी भी चिकित्सा प्रणाली से बहुत बड़ा है इसके आठ भागों में आंतरिक चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, महिला रोग, प्रसूति विज्ञान, विष विज्ञान, जरा चिकित्सा और मनोविज्ञान चिकित्सा का ज्ञान है। इस चिकित्सा विज्ञान का प्रयोग में लाने के लिए काफी तेज प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रणाली को और अधिक सफल बनाने के लिए इसमें औषध–विज्ञान, औषध निर्माण विज्ञान, रोग विज्ञान और शोधात्मक विज्ञान जैसे विशेष चिकित्सा विज्ञान को भी सम्मिलित किया जाएगा।

चाहे आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली हो या यूनानी अथवा सिद्ध चिकित्सा प्रणाली, इनमें चिंता का एक ही विषय है, वह दवाओं के निर्माण के लिए अच्छे कच्चे माल की उपलब्धता। मेडिसनिल प्लांट बोर्ड के जरिए सरकार यह तय करती है कि औषधि निमार्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाला कच्चा माल प्राप्त हो। दूसरी तरफ बोर्ड, उत्पादकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संरक्षण, खेती, प्रसंस्करण और विपणन का कार्य भी करता है। इसके द्वारा न सिर्फ घरेलू जरूरत को ही पूरा किया जाएगा, बल्कि कच्चे माल के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) ने सभी कि लिए स्वास्थ्य लक्ष्य में 20 वर्ष पहले ही पारंपरिक चिकित्सा कार्यक्रम का अपना लिया था। लेकिन डब्ल्यू एच ओ सिर्फ उन्हीं चिकित्सा प्रणालियों को ही समर्थन देता है जो ठोस वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित हो तथा जिनमें किसी भी प्रकार के विषाक्तता न हो। इसे ध्यान में रखते हुए संगठन ने आयुर्वेद को विधिवत मान्यता दी है।

योग और प्राकृतिक चिकित्सा: योग और प्राकृतिक चिकित्सा दोनों ही पुरातन विधा हैं जिनका अनुसरण कम ही लोगों द्वारा किया जाता है। कई लोगों का यह मानना है कि योग उन लोगों के लिए है जो भारी–भरकम कसरत नहीं करना चाहते और प्राकृतिक चिकित्सा केवल काया को सुंदर बनाने का तरीका है। दूसरा अंधविश्वास यह है कि इन पद्धतियों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। योग एक ऐसी विधा है जो शरीर को स्वस्थ रखने के साथ–साथ महंगी दवाओं और लंबी कष्टकारी बीमारियों से छुटकारा दिलाती है। भारत में बहुत से लोग योग साधना करके अपनी जीवन शैली के कारण उत्पन्न मानसिक दबावों से छुटकारा पाने में सफल हुए हैं, खासकर हृदय रोगों से। तनाव भरी जिंदगी का सीधा संबंध हृदय और धमनियों से जुड़ी बीमारियों के साथ होता है, परंतु नियमित योगाभ्यास से इस प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि योगाभ्यास सदैव किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक के निरीक्षण में ही करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक देखभाल का संबंध केवल भूखे रहने से या अल्पाहार से ही नहीं है, परंतु शारीरिक संरचना के अनुसार भोजन व आहार में संतुलन के जरिए बीमारियों के इलाज और उनसे बचाव की विधा से है। जिस तरह सभी मनुष्यों का शारीरिक व्यक्तित्व अलग–अलग होता है। उसी प्रकार उनके शरीर की जरूरतें भी अलग–अलग होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में भोजन का दवा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है।

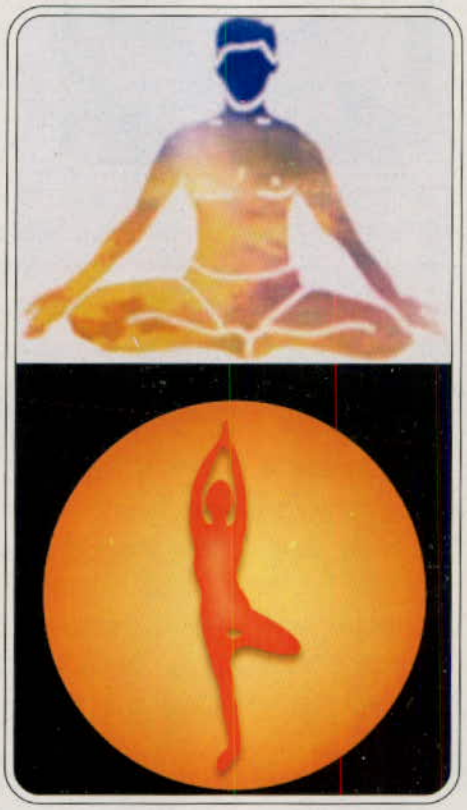

यूनानी पद्धति: यूनानी पद्धति की चिकित्सा और निदान मोटे तौर पर आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली जैसी ही लगती है, लेकिन वास्तव में यह काफी अलग है। यह पद्धति शरीर में मौजूद चार तरल तत्वों पर आधारित है। इसमें चार प्रमुख शारीरिक तरल तत्व हैं–रक्त, बलगम, पीला पित्त और काला पित्त। इन्हीं के आधार पर दवाओं का निर्माण कर बीमारियों को समाप्त किया जाता है। इस पद्धति में निदान तीन अवयवों पर आधारित होता है–निवारक, संवर्धक, उपचारात्मक। यूनानी पद्धति रहयूमेटिक आर्थराइटिस, पीलिया, फाइलेरिया, एग्ज़ीमा, सोरासिस, नजला, अस्थमा के विकार को समाप्त करने में सिद्धहस्त है। भारत की अन्य चिकित्सा प्रणालियों की तरह ही यूनानी पद्धति भी एचआईवी/एड्स, कैंसर, धमनियों के विकारों और टीबी से बचाव के उपायों को खोजने के लिए प्रयासरत है।

सिद्ध प्रणाली: सिद्ध चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद की तरह ही बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है। इसका नाम सिद्धों अथवा सिद्ध पुरुषों (संतों) से निकला है। इस प्रणाली को विकसित करने में 18 संतों/सिद्धों का विशेष योगदान रहा है। इस प्रणाली के मूलभूत और प्रायोगिक नियमों में आयुर्वेदिक पद्धति से काफी समानता है।

सिद्ध प्रणाली–एसटीडी, किडनी, नेट, हैजा, गठिया और कई एलर्जी विकारों को दूर करने में सक्षम है।

होम्योपेथी: जर्मनी के डा. सैम्युल हैनीमैन द्वारा विकसित इस प्रणाली का भारत में काफी प्रयोग होता है। हालांकि पश्चिम में इस का प्रयोग न्यूनतम है तथा एलोपेथी के बाद इसे वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में ही प्रयोग में लाया जाता है।

भारत में इसकी लोकप्रियता न सिर्फ इसके सस्ते होने बल्कि इसकी उपलब्धता और इसके प्रभावी उपयोग के कारण है। होम्योपैथी द्वारा निदान हो सकने वाले रोगों की सूची बेहद लंबी है। इस पद्धति में वायरल बुखार, बच्चों की सामान्य बीमारियों तथा गर्भावस्था से जुड़ी बीमारियों के साथ एचआईवी/एड्स, कैंसर, नशाखोरी और जीवनशैली के कारण उत्पन्न विकास जैसे मधुमेह, मैलीटस, मोटापा, तनाव, सर्वाइकल स्पौंडलाइटिस आदि का इलाज में यह सहौषधि के रूप में कार्य करती है।

आयुष के चमत्कारिक निदान: आयुर्वेद–क्षार सूत्र, पंचकर्म, रसायन शास्त्र, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध और होम्योपेथी चिकित्सा प्रणाली की ऐसी पद्धतियां हैं जो अनेकों बीमारियों को जड़ से समाप्त करने में एलोपेथिक से ज्यादा प्रभावी साबित हुई हैं। ❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

(साभार: प्रेस सूचना कार्यालय)

RAU'S IAS

A name that Nation trusts

Amazing Success

Our 2005 Exam Results : Nine positions secured by our students in first 20 and 49 in first 100 with overall 203 total selections. As regards the past achievements, Study Circle has contributed nearly one-third of the total selections done for Civil Services by UPSC since 1953.

It is a well known fact that Rau's is the most trusted and recommended name all over the country for IAS & PCS coaching.

Unbeatable Strategy

Answers that matter : The most crucial fact about coaching is that it should improve the quality of your answers in the minimum possible time. It is precisely this training on which we focus on at Rau's to give an extra edge to the answers you give / write in the Civil Services Examination.

Be Sure

We have no branches or associates any where in India except Jaipur. Our name which has become a legend among students for the highest standards in teaching, and hence has been copied by a lot of people across India, but no one can match our quality.

Programme Highlights

Civil Services/PCS Exam - 2007

- Personal Guidance (English Medium) is available for -
  General Studies/ Essay, History, Sociology, Public Administration, Geography, Psychology, Law & Commerce.
- पर्सनल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -
  सामान्य अध्ययन / निबंध, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र एवं लोक प्रशासन में उपलब्ध।
- Postal Guidance in English Medium available for -
  General Studies, History, Sociology, Public Administration and Geography.
- पोस्टल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -
  केवल सामान्य अध्ययन एवं भारतीय इतिहास में उपलब्ध।
- Hostel facility arranged.

कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं ।
जीता वही जो डरा नहीं ।।

If you are taught by the stars, sky is the limit.

Contact personally or write for prospectus with a DD/MO for Rs. 50/- favouring

RAU'S IAS STUDY CIRCLE

309, Kanchanjunga Bldg., 18, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001.
Phone : 39448880-81, 55391202, 23318135-36, 23738906-07, Fax: 23317153
Jaipur Centre : 701, Apex Mall, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur-302015. Ph.:0141-6450676, 3226167, 9351528027.
For full details on fast-track log-on our website: www.rauias.com

The Original Rau's / Rao's - Since 1953

KH-07/06/01

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2006-08
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-55/2006-08

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2006-08
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2006-08
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi

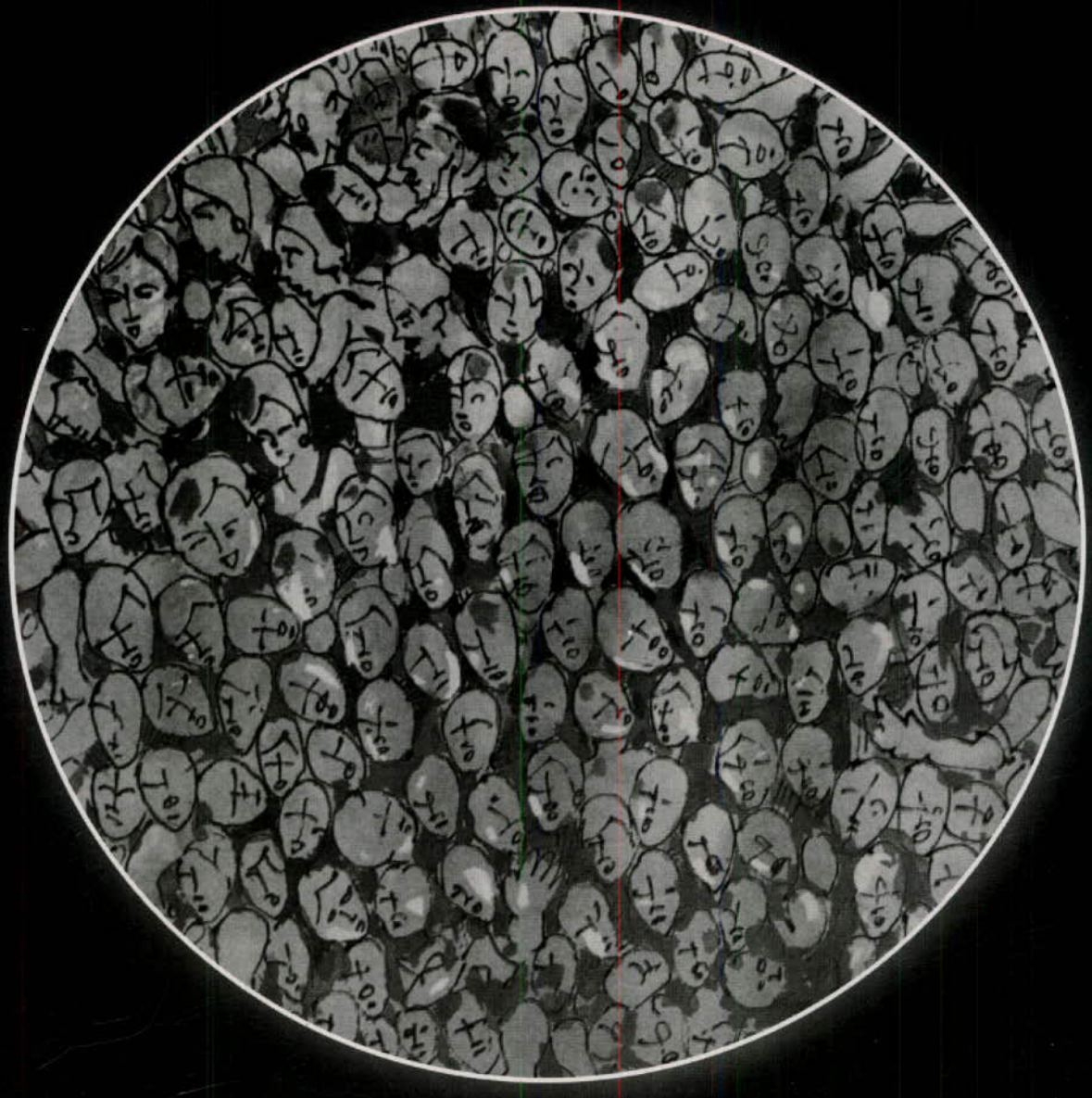

प्रकाशक और मुद्रक : वीणा जैन, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : संपादक : स्नेह राय